[2021] 5 एस. सी. आर. 458

भारत का संघ

वी.

राजेन्द्र एन. शाह और एक अन्य

(सिविल अपील सं। 9108-9109 2014)

20 जुलाई, 2021

[आर. एफ. नरीमन, के. एम. जोसेफ और बी. आर. गवई, जे. जे.]

संविधान (सतानबेवां संशोधन) अधिनियम, 2011-प्रक्रिया के आधार पर संविधान के अधिकारों को चुनौती देना।

97 छठा संशोधन अधिनियम, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ भाग IXB (जिसमें Arts.243ZH से लेकर 243ZT तक शामिल है) को 'द को' शीर्षक वाले अध्याय के तहत पेश किया।

संचालनात्मक समितियाँ-क्या भाग IXB को शामिल करने वाला संवैधानिक संशोधन संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर था Art.368 (2) परंतुक के तहत आवश्यक अनुसमर्थन-आयोजित: इन से

7 वीं अनुसूची की प्रविष्टि 32, सूची II की चौड़ाई को कम करके, भाग IXB 7 वीं अनुसूची की प्रविष्टि 32, सूची II के साथ पठित Art.246 (3) में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहता है, क्योंकि सहकारी समितियों के विषय के संबंध में कानून बनाने की राज्य की विशेष शक्ति में काफी कटौती की गई है, जिससे उसमें निहित अर्ध-संघीय सिद्धांत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट रूप से, इसलिए, भाग IXB, जहां तक यह किसी राज्य के भीतर काम करने वाली सहकारी समितियों पर लागू होता है, इसलिए संविधान के Art.368 (2) के परंतुक के उपखंड (बी) और (सी) दोनों के तहत अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी-अनुसमर्थन नहीं किया गया है

प्रभाव में, संशोधन गैर-स्थायी है-संविधान 97 वां संशोधन अधिनियम अनुसमर्थन के अभाव में अमान्य है-भारत का संविधान-भाग

IXB (Arts.243ZH से 243ZT); कला। 368 (2) परंतुक और अनुसूची VII, सूची II, प्रविष्टि 32-सहकारी समितियाँ।

भारत का संविधान, 1950-भाग IXB (जिसमें

कलाएँ। 243 जेड. एच. से 243 जेड. टी.) संविधान 97 वें संशोधन अधिनियम और Art.368 (2) परंतुक द्वारा अंत:स्थापित किया गया-भाग IXB को अंत:स्थापित करने वाला संवैधानिक संशोधन

Art.368 (2) परंतुक के तहत आवश्यक अनुसमर्थन के अभाव में संविधान के अधिकार से बाहर पाया गया-चाहे, भाग IXB हो

संवैधानिक रूप से कमजोर सहकारी समितियाँ जो इसके भीतर काम कर रही हैं एक राज्य में, यह अभी भी बहु-राज्य सहकारी समितियों का संचालन करेगा और केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्य आयोजित नहीं हैं (प्रति आर. एफ.

नरीमन, जे. (अपने और बी. आर. गवई, जे. के लिए) (बहुमत के अनुसार)-संविधान 97 वां संशोधन अधिनियम अनुसमर्थन के अभाव में अमान्य है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि इससे पूरा संशोधन अभी भी जन्म लेगा-संविधान के उद्देश्यों और कारणों का विवरण

97th संशोधन अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि बहु-राज्य सहकारी समितियों की योजना योजना से अलग है

" जहाँ तक बहु-राज्य सहकारी समितियों का संबंध है, संसद को सशक्त बनाना और राज्य विधानसभाओं को कुछ मामलों को निर्धारित करने के लिए उचित कानून बनाना, जहाँ तक "अन्य सहकारी समितियों" का संबंध है-संविधान का भाग IXB लागू है क्योंकि यह भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के भीतर बहु-राज्य सहकारी समितियों से संबंधित है-आयोजित (प्रति के. एम. जोसेफ, जे.)

(असहमति) गंभीरता का सिद्धांत निश्चित रूप से लागू होना चाहिए

आधार-Art.243ZI से Art.243ZQ और Art.243ZT से संबंधित प्रावधान, संविधान के Art.368 (2) के प्रावधान के जनादेश के साथ गैर-अनुपालन के लिए असंवैधानिक हैं-हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि गंभीरता का सिद्धांत लागू होगा

मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव को Art.243ZR और Art.243ZS बनाए रखें केंद्र शासित प्रदेशों में काम करने वाली समितियाँ और यह कि, यह केंद्र शासित प्रदेशों तक सीमित सहकारी समितियों पर लागू नहीं होगा -

एक बार जब न्यायालय ने पर्याप्त प्रावधानों (Art.243ZI से 243ZQ) को असंवैधानिकता के ब्रश के साथ चित्रित कर दिया है, तो उन प्रावधानों को, अभी भी पैदा हुए, Art.243ZR और Art.243ZS में निहित प्रावधान व्यवहार्य नहीं हैं और बनाए रखना असंभव है-संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2011-गंभीरता का सिद्धांत-प्रयोज्यता-सहकारी समितियाँ।

प्रति आर. एफ. नरीमन, जे. [अपने और बी. आर. गवई, जे. के लिए] 1.1 . हमारे संविधान को अर्ध-संघीय के रूप में वर्णित किया गया है

इसमें, जहां तक विधायी शक्तियों का संबंध है, हालांकि संघीय सर्वोच्चता सिद्धांत को देखते हुए राज्यों की तुलना में केंद्र के पक्ष में झुकाव है, फिर भी अपने क्षेत्र के भीतर, राज्यों के पास [2021] 5 एस. सी. आर. हैं।

विशेष रूप से उनके लिए आरक्षित विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची II के साथ पठित अनुच्छेद 246 (3) एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत को दर्शाता है जिसे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा कहा जा सकता है, अर्थात् यह तथ्य कि संविधान एकात्मक नहीं बल्कि अर्ध-संघीय है। [पारस 57,58] [517-बी-डी]

1.2 . संविधान के अनुच्छेद 246 में यह शक्ति है कि -

विधान, तीन सूचियों में निहित विधान के विषय इन्हें 'कानून के क्षेत्र' के रूप में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 246 (1) और 246 (2) में निहित गैर-बाध्यकारी खंड और अनुच्छेद 246 (3) में निहित 'अधीन' खंड संघीय व्यवस्था के सिद्धांत को निर्धारित करता है।

सर्वोच्चता, अर्थात राज्य सूची के विषयों को संघ या समवर्ती सूची में निहित विषयों को रास्ता देना होता है।

इन सूचियों में प्रविष्टियों के बीच ओवरलैप करें। इस तरह का ओवरलैप आसानी से नहीं पाया जा सकता है-इसके विपरीत, यह केवल एक अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय संघर्ष के मामले में है कि राज्य सूची में एक प्रविष्टि की चौड़ाई को सूची 1 या सूची 3 में से किसी एक प्रविष्टि के साथ ओवरलैप द्वारा कम किया जा सकता है। [पारस 16,17] [491-जी; 492-ए-सी]

2.1 . जहाँ तक सहकारी समितियों का संबंध है, यह पूरी तरह से राज्यों के लिए कानून बनाने का मामला है, क्योंकि यह अंतिम है।

प्रविष्टि 32 सूची II में उल्लिखित विषय वस्तु। सूची I की प्रविष्टि 43, जो बैंकिंग, बीमा और वित्तीय निगमों सहित व्यापारिक निगमों के निगमन, विनियमन और समापन से संबंधित है, स्पष्ट रूप से सहकारी समितियों को इसके दायरे से बाहर करती है। महत्वाकांक्षा। प्रविष्टि 44 सूची I, जो प्रविष्टि 43 से व्यापक है क्योंकि यह व्यापारिक निगमों तक ही सीमित नहीं है, उन निगमों की बात करती है जिनके उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित नहीं हैं। जब किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहने वाले उद्देश्यों वाली बहु-राज्य सहकारी समितियों की बात आती है, तो विधायी शक्ति भारत संघ की होगी जो प्रविष्टि 44 सूची I में निहित है। [पैरा 23] [497-ई-जी]

2.2 . बहु-राज्य सहकारी समितियों और सहकारी समितियों से संबंधित दो अलग-अलग क्षेत्र हैं। वहाँ कोई नहीं है

जहाँ तक विषय 'सहकारी समितियों' का संबंध है, वह किसी भी प्रकार से परस्पर व्याप्त है। एक विषय वस्तु के रूप में सहकारी समितियाँ पूरी तरह से और विशेष रूप से राज्य विधानसभाओं से संबंधित हैं जिन पर कानून बनाया जाता है, जबकि बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अर्थात भारत का सहकारी संघ v.

इस मामले के तथ्यों पर सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई ओवरलैप नहीं है और इसलिए, संघीय सर्वोच्चता को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिद्धांत। जहाँ तक सहकारी समितियों का संबंध है, राज्य विधानमंडलों के साथ कानून बनाने की विशेष शक्ति है, जो सूची II की प्रविष्टि 32 के साथ पठित अनुच्छेद 246 (3) में निहित है। [पैरा 26] [499-डी-एफ]

3.1 . संविधान के संशोधन की शक्ति है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में निहित है। अनुच्छेद 368 (1) संसद को संदर्भित करता है, जो संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़कर, परिवर्तित करके या निरस्त करके संविधान में संशोधन करने के लिए अपनी "घटक शक्ति" का प्रयोग कर सकती है। लेकिन यह होना चाहिए अनुच्छेद में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया के अनुसार। जहाँ तक संविधान के किसी भी प्रावधान में किए गए संशोधनों का संबंध है, अनुच्छेद 4 जैसे अनुच्छेदों को छोड़कर जो स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि यद्यपि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्य के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान के अन्य सभी अनुच्छेदों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन केवल उप-अनुच्छेद (2) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार। हालाँकि, जब अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक में कुछ निर्दिष्ट अनुच्छेदों/प्रावधानों में संशोधन करने की बात आती है तो एक प्रक्रिया होती है। [पारस 27,28 और 29] [500-ए; 501-ए-डी]

3.2 . परंतुक के उपखंड (बी) में भाग V के अध्याय IV की बात की गई है जो संघ की न्यायपालिका से संबंधित है जिसमें -

3.3 . यदि किसी संशोधन की विषय वस्तु परंतुक के भीतर आती है, तो अतिरिक्त प्रक्रियात्मक आवश्यकता यह है कि (2021) 5 एस. सी. आर. के लिए प्रावधान करने वाले विधेयक से पहले उन विधानमंडलों द्वारा पारित उस आशय के प्रस्ताव द्वारा संशोधन को कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों द्वारा अनुमोदित करने की भी आवश्यकता होगी।

इस तरह के संशोधन को राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन अधिनियमों के विपरीत, जिसमें पंचायतों से संबंधित भाग IX और भाग IXA शामिल किया गया था नगरपालिकाएँ, जिन संशोधनों को कम से कम आधे राज्यों द्वारा भी अनुमोदित किया गया था, 97 वां संशोधन जो सहकारी समितियों से संबंधित अध्याय को शामिल करता है, को इस तरह से अनुमोदित नहीं किया गया है। [पैरा 32] [501-जी-एच; 502-ए-बी]

4.1 . संसद की 'घटक शक्ति' का दायरा है -

अनुच्छेद 368 (1) में निर्दिष्ट। यद्यपि संविधान का संशोधन घटक शक्ति का प्रयोग है जो सामान्य विधायी शक्ति से अलग है, ऐसी घटक शक्ति संसद को मूल संविधान सभा में परिवर्तित नहीं करती है।

संसद के पास सीमित शक्ति होने के कारण ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल भारत के संविधान में निहित प्रक्रियात्मक और मूल सीमाओं दोनों के अनुसार ही किया जा सकता है। प्रक्रियात्मक सीमाएँ अनुच्छेद 368 के उप-अनुच्छेद 2 में निहित हैं। मूल सीमा यह है कि एक संवैधानिक संशोधन केवल तभी पारित हो सकता है जब यह संविधान की बुनियादी संरचना या आवश्यक विशेषताओं को नुकसान नहीं पहुंचाता है। [पैरा 33] [502-बी-ई]

4.2 . संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी जा सकती है,

परंतुक में बताए गए विशेष अनुच्छेद या प्रावधान की भाषा को जोड़ने, घटाने या संशोधित करने की भावना। द. निर्णय एक 'प्रभाव में परिवर्तन' की बात करते हैं जिसका अर्थ होगा एक परिवर्तन जो, हालांकि किसी भी प्रावधान की भाषा में नहीं है

संविधान, फिर भी एक ऐसा परिवर्तन होगा जो किसी विशेष अनुच्छेद और उसमें निहित सिद्धांत को कुछ महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करेगा। [पारस 36,37 और 56] [504-एफ-जी; 516-जी-एच; 517-ए]

5. बिल्डर्स एसोसिएशन का एक पठन। भारत के मामले और सीरवई की टिप्पणी से पता चलता है कि कोई भी महत्वपूर्ण जोड़ भारत का संघ v.

राजेन्द्र एन. शाह और एक अन्य

या संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूची II में प्रविष्टि में निहित कानून के क्षेत्र में कटौती भी एक 'परिवर्तन' के बराबर होगी ताकि अनुच्छेद 368 (2) के प्रावधान को आकर्षित किया जा सके। यह आवश्यक नहीं है कि परंतुक में निर्दिष्ट परिवर्तन

अनुच्छेद 368 (2) केवल तभी होगा जब राज्यों को दी गई किसी विषय वस्तु का कुछ हिस्सा संसद को हस्तांतरित किया गया हो या इसके विपरीत। इस तरह के हस्तांतरण के बिना भी, यदि विशेष रूप से राज्यों के लिए आरक्षित कानून के क्षेत्र में निहित विषय वस्तु का विस्तार या कटौती की जाती है, तो प्रभावी रूप से एक विधायी सूची में प्रविष्टि में परिवर्तन किया गया है, जो परिवर्तन, यदि महत्वपूर्ण है, तो अनुच्छेद 368 (2) के प्रावधान को आकर्षित करेगा और इसलिए अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। [पैरा 60] [520-डी-एफ]

6. भारत के संविधान को प्रभावित करने वाले मामलों में, रूप हमेशा सार को रास्ता देता है। प्रविष्टि में अपवाद दिए गए थे

भारत के संविधान की प्रविष्टि 32 सूची II में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। इसी तरह, अगर एक अलग हिस्सा जोड़ा जाता है भारत के संविधान में, इस तरह के हिस्से को जोड़ने का प्रत्यक्ष प्रभाव

या तो प्रविष्टि 32 में ही शब्दों को जोड़कर या हटा कर या एक अप्रत्यक्ष पद्धति के माध्यम से ऐसा करके, अर्थात् अनुच्छेद 366 में एक नया परिभाषा खंड जोड़कर या भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़कर। [पैरा 61] [520-जी-एच; 521-ए-सी] 7.1 . संविधान के भाग IX B में अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT तक शामिल हैं। भाग IXB में निहित प्रतिबंधों से, यह स्पष्ट है

कि प्रविष्टि 32 सूची II में निहित अनन्य विधायी शक्ति महत्वपूर्ण रूप से और काफी हद तक प्रभावित हुई है क्योंकि ऐसी अनन्य शक्ति अब बड़ी संख्या में

कटौती। वास्तव में, अनुच्छेद 243ZI विशेष रूप से आदेश देता है कि [2021] 5 एस. सी. आर. की प्रविष्टि 32 सूची II में निहित अनन्य विधायी शक्ति।

राज्य विधानमंडल में अब गंभीर रूप से कटौती की गई है क्योंकि इसका प्रयोग केवल भाग IXB के प्रावधानों के अधीन किया जा सकता है और इसके अलावा, अनुच्छेद 243ZT यह स्पष्ट करता है कि सभी राज्य कानून जो भाग IXB में उल्लिखित प्रतिबंधों के अनुरूप नहीं हैं, वे स्वतः ही एक वर्ष की समाप्ति पर समाप्त हो जाते हैं।

संविधान 97 वें संशोधन अधिनियम का प्रारंभ।

[पारस 64,65] [521-ई-जी; 523-सी-डी]

7.2 . संविधान के भाग IXB के विश्लेषण से यह परिणाम मिलता है कि हालांकि 7 वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 (3) और प्रविष्टि 32, सूची II को पत्र में 'बदला' नहीं गया है, फिर भी संविधान पर प्रभाव

उपरोक्त वस्तुओं को महत्वहीन नहीं कहा जा सकता है। इसके विपरीत, यह स्पष्ट है कि 7 वीं अनुसूची की प्रविष्टि 32, सूची II की चौड़ाई को कम करके, भाग IXB एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास करता है। प्रविष्टि 32 के साथ पठित अनुच्छेद 246 (3) में 7 वीं अनुसूची की सूची 2 इस संबंध में कानून बनाने की राज्य की अनन्य शक्ति के रूप में

सहकारी समितियों के विषय में काफी कटौती की जाती है जिससे उनमें निहित अर्ध-संघीय सिद्धांत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए, स्पष्ट रूप से भाग IXB, जहां तक यह किसी राज्य के भीतर काम करने वाली सहकारी समितियों पर लागू होता है, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक के उपखंड (बी) और (सी) दोनों के तहत अनुसमर्थन की आवश्यकता है। [पैरा 67] [524-ए-सी]

8. भारत के संविधान के भाग IX को संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और भाग IXA को संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए समान प्रावधान किए गए थे। संविधान 73 वां और 74 वां दोनों

संशोधनों को अनुसमर्थन के लिए भेजा गया और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन किया गया। इसका कारण दूर की बात नहीं है-भाग IXB की तरह, राज्यों द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं पर कानून बनाने से पहले कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। भाग IXB की तरह, ऐसा विधान भाग IX और IXA के अधीन है-अनुच्छेद 243C और अनुच्छेद 243R देखें। पुनः, भाग IXB में अनुच्छेद 243ZT की तरह, अनुच्छेद 243N और 243ZF प्रदान करते हैं कि राज्य के कानून जो हैं -

क्रमशः भाग IX और IXA के प्रावधानों के साथ असंगत दो संवैधानिक संशोधनों के प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति के बाद स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा। में।

इन प्रावधानों के अलावा, भाग IX और IXA में भारत संघ का अनुच्छेद v भी शामिल है।

2430 और अनुच्छेद 243 जेडजी न्यायालयों की अधिकारिता को समाप्त करता है और इस प्रकार, प्रभावी रूप से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136,226 और 227 के प्रावधानों को कम करता है। इसलिए संविधान के 72 वें और 73 वें संशोधनों की पुष्टि आवश्यक थी उस अनुच्छेद 136 में अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक के खंड (बी) और (सी) दोनों के तहत प्रभावी रूप से कटौती की गई थी (अनुच्छेद 136 में होता है)

भारत के संविधान के भाग 5 का अध्याय 4); अनुच्छेद 226 और 227 को प्रभावी रूप से कम कर दिया गया था (जो भारत के संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में आता है); अनुच्छेद 246 (3) को प्रभावी रूप से कम कर दिया गया था (जो भारत के संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 का हिस्सा है); और प्रविष्टि 5 सूची 2,7 वीं अनुसूची को भी प्रभावी रूप से कम कर दिया गया था, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक के उपखंड (सी) के लिए संदर्भित है। इसलिए यह स्पष्ट है कि संसद की अपनी घटक क्षमता में समान विषय मामलों में कार्य करने की पिछली संवैधानिक प्रथा भी प्रतिवादी के इस कथन को पुष्ट करती है कि 73 वें और 74 वें संशोधनों की तरह, संविधान 97 वें संशोधन अधिनियम को भी अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। [पारस 68,69] [524-सी-एच; 525-ए-सी]

9.1 . यह तर्क दिया गया था कि 97 वें संशोधन को लागू करने में प्रयोग की जाने वाली घटक शक्ति को विधायी शक्ति के साथ आत्मसात नहीं किया जा सकता है, और यह कि एक बार संविधान के लागू होने के बाद भाग IXB को शामिल करके संशोधित, अनुच्छेद 245 में आदेश दिया गया है कि भारत के संविधान की 7 वीं अनुसूची में सूचियों के साथ पठित अनुच्छेद 246 के तहत बनाए गए सभी कानून प्रावधानों के अधीन हैं।

संविधान के, ताकि प्रविष्टि 32 सूची II के साथ पठित अनुच्छेद 246 (3) के तहत बनाया गया विधान भाग IXB के प्रावधानों के अधीन हो जाए जो अब भारत के संविधान का एक हिस्सा है। यह

तर्क घोड़े से पहले गाड़ी रखने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस बात में किसी को संदेह नहीं है कि यदि संशोधन को अनुच्छेद 368 (2) परंतुक के तहत अनुमोदित किया गया होता, तो यह तब काम करता, जिसके परिणामस्वरूप 7 वीं अनुसूची की प्रविष्टि 32 सूची II के साथ पठित अनुच्छेद 246 (3) के तहत कानून तब भाग IXB के अधीन हो जाएगा। वर्तमान मामले में, अनुसमर्थन प्रभावी नहीं किया गया है, संशोधन गैर-स्थायी है। इसलिए इस तर्क को खारिज किया जाता है। [पारस 70,71] [525-डी-एफ]

9.2 . तब यह तर्क दिया गया कि 28 में से 17 राज्यों ने भाग IXB के प्रावधानों को शामिल करते हुए कानून बनाए थे, और यह कि, [2021] 5 एस. सी. आर.

इसलिए, उन्होंने निहित रूप से निर्धारित प्रतिबंधों को स्वीकार कर लिया था उक्त भाग में। इस तर्क को इस न्यायालय को रोकने की आवश्यकता नहीं है।

चूंकि अनुच्छेद 368 (2) परंतुक में निर्धारित प्रक्रिया के लिए प्रस्तावों द्वारा आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। माना जा सकता है कि वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया है। इसके अलावा, यह तर्क कि कोई भी राज्य 97 वें संविधान संशोधन को चुनौती देने के लिए आगे नहीं आया है, इस मामले को आगे नहीं ले जाता है। जब भारत का कोई नागरिक किसी संवैधानिक संशोधन को प्रक्रियात्मक रूप से कमजोर होने के रूप में चुनौती देता है, तो यह अदालत का कर्तव्य है कि वह गुण-दोष के आधार पर ऐसी चुनौती की जांच करे क्योंकि भारत का संविधान एक राष्ट्रीय शासन चार्टर है जो इसे प्रभावित करता है।

व्यक्ति, नागरिक और संस्थान समान रूप से। [पैरा 72] [525-जी-एच; 526 ए-बी] 10.1 . तब यह तर्क दिया गया कि भाग IXB के भीतर दो अलग-अलग भाग होने के बजाय, एक राज्य सहकारी से संबंधित है।

समाज और बहु-राज्य सहकारी समितियों के साथ काम करने वाली, मौजूदा के लिए "संदर्भ" का प्रसिद्ध विधायी उपकरण

संविधान के उद्देश्यों और कारणों का विवरण 97 वां संशोधन अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि यह योजना बहु-राज्य सहकारी समितियों से अलग है जो "अन्य सहकारी समितियों" से संबंधित है, जहां तक बहु-राज्य सहकारी समितियों का संबंध है, संसद को सशक्त किया जा रहा है, और राज्य विधानसभाओं को कुछ मामलों को निर्धारित करने के लिए उचित कानून बनाने होते हैं जहां तक "अन्य सहकारी समितियों" का संबंध है। चिंतित हैं। अनुच्छेद 246ZR का प्रभाव ऐसा है जैसे कि बहु-राज्य सहकारी समितियों को भाग IXB के भीतर निहित एक अलग उप अध्याय में अलग से निपटाया जाता है। इसके अलावा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अलगाव के बाद जो बच जाता है वह स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकता है और काम कर सकता है। [पारस 76,77] [531-जी-एच; 532-डी-जी]

10.2 . प्रत्यर्थियों द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि इस न्यायालय के निर्णय का परिणाम यह है कि संविधान 97 वां

संशोधन अधिनियम अमान्य है क्योंकि अनुसमर्थन के अभाव में पूरे संशोधन का जन्म हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप संशोधन का कोई भी हिस्सा जीवित नहीं रह सकता है। यह तर्क दो के लिए खारिज कर दिया गया है।

कारणों से। यदि पृथकता का सिद्धांत भारत संघ के लिए लागू नहीं होता।

राजेन्द्र एन. शाह और एक अन्य

पहले बताए गए कारण से, किहोटो होलोहानकेस में बहुमत का निर्णय गलत होगा। यही तर्क तब पूरे संविधान के 52 वें संशोधन को, जिसने भारत के संविधान में दसवीं अनुसूची को जोड़ा था, संवैधानिक रूप से कमजोर बना देगा, क्योंकि तब संपूर्ण संशोधन को अनुसमर्थन के अभाव में अमान्य घोषित करना होगा, जो किहोतो होलोहन मामले में बहुमत के फैसले के आधार पर होगा। इसके अलावा, इस तर्क पर, अनुच्छेद 19 में किए गए संशोधन और

अनुच्छेद 43 बी को जोड़ने को भी निरस्त करना होगा, जिसका उच्च न्यायालय या उससे पहले अनुरोध या तर्क नहीं दिया गया था यह न्यायालय। इस मामले में, यह घोषित किया जाता है कि भारत के संविधान का भाग IXB बहु-राज्य सह के रूप में सक्रिय है।

संचालनात्मक समितियाँ चिंतित हैं। [पैरा 77] [532-जी-एच; 533-ए सी]

11.1 . इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि अनुच्छेद 246 (3) केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होता है। इसके बजाय, अनुच्छेद 246 (4) केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है, जिसके माध्यम से संसद राज्य सूची का उपयोग केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में कानून बनाने के लिए भी कर सकती है। हालाँकि, प्रविष्टि 32 की छंटनी को देखते हुए 7 वीं की सूची II

भाग IXB द्वारा अनुसूची, जो केंद्र शासित प्रदेशों में काम करेगा वह भाग IXB है जहां तक यह बहु-राज्य सहकारी समितियों पर लागू होता है। जहाँ तक किसी केंद्र शासित प्रदेश के भीतर सहकारी समितियों का संबंध है, वही दुर्बलता जो निर्णय के मुख्य भाग में पाई जाती है, प्रविष्टि 32 सूची II के तहत विधायी विषय "सहकारी समितियों" के संबंध में बनी हुई है। इसलिए, उन सहकारी समितियों के लिए जिनका केंद्र शासित प्रदेश के बाहर कोई प्रभाव नहीं है, भाग IXB का कोई प्रभाव नहीं होगा।

आवेदन। [पैरा 78] [533-सी-एफ] 11.2 . उच्च न्यायालय के निर्णय को इस हद तक बरकरार रखा जाता है सिवाय इसके कि यह संविधान के भाग IXB की संपूर्णता को निरस्त कर देता है।

भारत का संविधान। यह घोषित किया जाता है कि भारत के संविधान का भाग IXB केवल उस हद तक प्रभावी है जब तक कि यह भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों में बहु-राज्य सहकारी समितियों से संबंधित है। [पैरा 80] [534-ए-बी]

किहोतो होलोहन बनाम। ज़किलहु 1992 सप (2) एस. सी. सी. 651:

[1992] 1 इसके बाद एस. सी. आर. 686 आया।

संकरी प्रसाद सिंह देव बनाम। भारत संघ [1952] एससीआर 89; सज्जन सिंह बनाम। राजस्थान राज्य [1965] 1 एस. सी. आर. 933; होक्स्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड v.

का राज्य।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिहार, (1983) 3 एससीआर 130; केरल एसईबी बनाम। भारतीय

एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, (1976) 1 एस. सी. सी. 466 [1976] 1 एस. सी. आर. 552; गुडरिक ग्रुप लिमिटेड बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य, 1995 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 707: [1994] 6 पूरक। एस. सी. आर. 120; सरकार। ए. पी. वी. जे. बी. एजुकेशनल सोसाइटी, (2005) 3 एस. सी. सी. 212: [2005] 2 एस. सी. आर. 303; ग्रेटर बॉम्बे कॉप। बैंक लिमिटेड

वी. यूनाइटेड यार्न टेक्स (पी) लिमिटेड (2007) 6 एस. सी. सी. 236: [2007] 4 एससीआर 823; राज्य डब्ल्यू. बी. वी. संरक्षण समिति

लोकतांत्रिक अधिकार, (2010) 3 एस. सी. सी. 571: [2010] 2 एस. सी. आर. 97; दमन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1985) 2 एस. सी. सी. 670 [1985] 3 एस. सी. आर. 580; पंजाब का शीर्ष सहकारी बैंक

अर्बन बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा लिमिटेड वी.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, (2003) 11 एस. सी. सी. 66; थलाप्पलम सर्विस कॉप। बैंक लिमिटेड बनाम केरल राज्य (2013) 16 एससीसी 82: [2013] 14 एस. सी. आर. 475; के. दामोदरसामी नायडू और ब्रदर्स। वी. टी. एन. राज्य, (2000) 1 एस. सी. सी. 521: [1999] 3 पूरक। एस. सी. आर. 597; केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य (1973) 4 एस. सी. सी. 225: [1973] पूरक। एस. सी. आर. 1; एम. नागराज बनाम भारत संघ, (2006) 8 एस. सी. सी. 212 [2006] 7 पूरक। एससीआर 336; आई. आर. कोएल्हो बनाम टी. एन. राज्य, (2007) 2 एस. सी. सी. 1: [2007] 1 एस. सी. आर. 706; डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। मुख्यमंत्री और अन्य। ,

2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 362; भीम सिंह बनाम। संघ का

भारत, (2010) 5 एससीसी 538: [2010] 6 एससीआर 218; बी. पी. सिंघल बनाम भारत संघ, (2010) 6 एस. सी. सी. 331; बिल्डर एसोसिएशन। भारत का वी। भारत संघ (1989) 2 एस. सी. सी. 645 और विपुलभाई एम. चौधरी बनाम। गुजरात कॉप। दूध एमकेटीजी। फेडरेशन लिमिटेड (2015) 8 एससीसी 1: [2015] 3 एससीआर 997 -

पर भरोसा किया। गोलक नाथ बनाम। पंजाब राज्य [1967] 2 एससीआर 762; सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन। भारत का वी। ट्राई (2016) 7 एस. सी. सी. 703 [2016] 9 एस. सी. आर. 1 और डी. सी. वाधवा बनाम। की स्थिति

बिहार (1987) 1 एस. सी. सी. 378 [1987] 1 एस. सी. आर. 798 -

संदर्भित किया गया।

' एच. एम. द्वारा भारत का संवैधानिक कानून '(चौथा संस्करण)

सेरवई, p.3156-संदर्भित। प्रति के. एम. जोसेफ, जे. (आंशिक रूप से असहमत)

1. अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 243ZT के अनुच्छेद 240ZI से संबंधित प्रावधान, संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक के गैर-अनुपालन के लिए असंवैधानिक हैं। हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत का सिद्धांत संघ v.

अनुच्छेद 243ZR और अनुच्छेद 243ZS को बनाए रखने के लिए गंभीरता लागू होगी।

केंद्र शासित प्रदेशों में काम करने वाली बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के लिए, और यह कि, यह केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों तक सीमित सहकारी समितियों पर लागू नहीं होगा। [पैरा 2] [534 सी-ई]

2. आर. एम. डी. चमरबागवाला मामले में गंभीरता का सिद्धांत विचार के लिए आया। इसमें, इस न्यायालय ने निर्धारित किया है इस संबंध में कुछ नियम बनाएँ। [पैरा 10] [542-ई]

3.1 . आर. एम. डी. चमरबागवाला में निर्धारित पहला नियम

समय. केंद्र सरकार प्रतिबद्ध थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि देश में सहकारी समितियों को लोकतांत्रिक, पेशेवर, स्वायत्त और स्वायत्त रूप से कार्य करना है। आर्थिक रूप से मजबूत तरीके से। यह इस संबंध में है कि भाग IXB को संसद को बहु-राज्यीय सहकारी समितियों और राज्य विधानमंडलों के संबंध में सशक्त बनाने के लिए जोड़ा गया था।

सहकारी समितियाँ, उपयुक्त कानून बनाने के लिए। [पैरा 18] [554-एफएच; 555-ए-सी] [2021] 5 एस. सी. आर.

3.3 . इरादा स्पष्ट था कि संसद का उद्देश्य विधायी मानदंडों का एक समान सेट प्रदान करना और अधिकारों का निर्माण करना था।

देश की लंबाई और चौड़ाई के माध्यम से बोर्ड भर में देनदारियों और शक्तियों। वास्तव में, यह सभी सहकारी समितियों को सूचित करने के लिए था कि क्या वे राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा शासित थे, जो सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 32 के तहत आते हैं, या सूची I के तहत उपयुक्त प्रविष्टि। दूसरे शब्दों में,

एकरूपता बिना किसी के पेश किए जाने की मांग की गई थी

राज्य विधानमंडलों और संसद के विधायी क्षेत्र के भीतर आने वाली सहकारी समितियों के बीच भेदभाव। जिस व्यवस्था और तरीके से भाग IXB में अनुच्छेदों का आदेश दिया गया है, वह यह दर्शाता है कि मूल प्रावधान, जो वास्तव में विधायी शक्ति की शर्त रखते हैं, अन्य बातों के साथ-साथ

चीजें, राज्य विधानमंडलों के खिलाफ निर्देशित की गई थीं। [पैरा 19,20] [555-सी-ई]

4. आर. एम. डी. चमरबागवाला में निर्धारित दूसरा नियम

मामला यह जांचने का है कि क्या वैध और अमान्य प्रावधान इतने अटूट रूप से मिश्रित हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। यह आगे घोषित किया जाता है कि यदि प्रतीत होने वाले वैध प्रावधान इतने विशिष्ट और अलग हैं, कि प्रावधानों के अन्य सेट को अमान्य घोषित करने के बाद, शेष प्रावधान एक पूर्ण संहिता बने रहेंगे, जो बाकी से स्वतंत्र होंगे, तो, विशिष्ट और अलग-अलग प्रावधान, जो एक पूर्ण संहिता को प्रकट करते हैं, लागू करने योग्य हो सकते हैं। [पैरा 21] [555-ई-जी]

5. तीसरा नियम प्रदान करता है कि भले ही वे (प्रावधान)

विशिष्ट और अलग हैं, यदि वे सभी एक ही योजना का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य समग्र रूप से सक्रिय होना है, तो, एक हिस्से की अयोग्यता भी समग्र रूप से विफल हो जाएगी। किहोतो होलोहन मामले में, इस न्यायालय ने आर. एम. डी. चमरबागवाला मामले में स्पष्ट रूप से निर्धारित नियमों को ध्यान में रखते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ परीक्षण को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने के लिए आगे बढ़ाया है। , इस बारे में कि क्या, अलगाव के बाद, जो बच जाता है, वह स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकता है और व्यवहार्य है। [पैरा 22] [555-जी-एच; 556-ए]

6. उद्देश्यों और कारणों के कथन से यह स्पष्ट है कि संसद को पूरी तरह से पता था कि प्रविष्टि 32 ने

सहकारी समितियों के संबंध में कानून बनाने की अनन्य विधायी शक्ति वाले राज्य के विधान मंडल, जो भारत का बहु-राज्यीय संघ नहीं थे।

सहकारी समितियाँ। संसद इस बात से पूरी तरह से अवगत थी कि राज्य विधानमंडलों द्वारा पहले ही कानून बनाए जा चुके थे, लेकिन फिर भी, इसका उद्देश्य विधायी मार्ग से सुधारों की शुरुआत करना था, और इससे भी अधिक, एक संवैधानिक संशोधन, जिसमें स्पष्ट रूप से निहित प्रावधानों के संबंध में परिवर्तन शामिल था। किहोतो होलोहन मामले में निर्णय के कई साल बाद, 2012 में नब्बे-सातवाँ संशोधन पारित किया गया था। यह स्पष्ट है कि किहोतो होलोहन मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा कानून निर्धारित किया गया था, जो कि परंतुक के पीछे के उदात्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए - अनुच्छेद 368 (2), जो संविधान की संघीय प्रकृति को बढ़ावा देने और सुरक्षित करने के लिए था, जो मायने रखता था वह सार था न कि रूप। यह और भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि राज्यों के बीच कई बैठकें करके राज्यों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया था और इसके अलावा, प्रस्तावों को स्पष्ट रूप से राज्य सहकारी मंत्रियों की बैठक में पारित किया गया था। यह सब इंगित करता प्रतीत होता है कि, क्षेत्र को धारण करने वाले कानून को ध्यान में रखते हुए और

प्रश्नगत सुसंगत सिद्धांत, ऐसा प्रतीत होता है कि संसद ने संशोधन नहीं किया होता, यदि उसे पता होता कि अनुच्छेद 243ZI से 243ZQ में निहित प्रावधान पारित नहीं होते। स्पष्ट रूप से उद्देश्य था कि सहकारी समितियों को संचालित करने के लिए समान प्रावधान हों। एकरूपता और, वास्तव में, समान

सभी सहकारी समितियों के लिए उपचार, चाहे वे राज्य के कानून के तहत बनाए गए हों या संसद द्वारा, लक्षय था। [पैरा 23]

[556 - बी-एफ]

7. यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को बनाए रखने का प्रयास करे। जब संविधान में संशोधन की बात आती है, तो संवैधानिकता की यह धारणा, और न्यायालय का कर्तव्य भी, और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। यदि, वास्तव में, गंभीरता के सिद्धांत पर, अनुच्छेद 243QR और अनुच्छेद 243QS में निहित प्रावधानों को बनाए रखा जा सकता है, तो कानून को नष्ट होने के बजाय जीवित रहना चाहिए। हालाँकि, सवाल विचाराधीन प्रावधानों (अनुच्छेद 243QR और 243QS) की शर्तों पर है, और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, क्या वे अनुच्छेद 243ZH से अनुच्छेद 243ZQ और अनुच्छेद 243ZT के अमान्य होने के बाद अपने दम पर जीवित रह सकते हैं। क्या अनुच्छेद 243ZR और 243ZS के प्रावधान स्वतंत्र हैं?

प्रावधान और व्यवहार्य? ये दोनों प्रावधान पूरी तरह से अनुच्छेद 243ZI में निहित प्रावधानों पर निर्भर हैं।

243ZQ. यही कारण है कि ये दोनों प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि इस भाग के प्रावधान ', जिसका स्पष्ट रूप से अर्थ है [2021] 5 एस. सी. आर.

पूर्वगामी प्रावधान, जो अनुच्छेद 243ZI में निहित हैं

243 जेड. क्यू. को बहु-राज्यीय सहकारी समितियों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में संशोधनों के साथ लागू किया जाना है, जो उसमें इंगित किए गए हैं। किसी चीज का अनुप्रयोग और संशोधन हो सकता है जो मौजूद है। ऐसा भी नहीं हो सकता है, जब विस्तृत प्रावधानों को जन्म नहीं माना जाए। क्या ये प्रावधान स्वतंत्र और व्यवहार्य हैं? कोई इस आधार पर आगे बढ़ेगा कि संसद कुछ विधायी मूल्य निर्णयों के संबंध में एकरूपता पैदा करने का इरादा रखती है जो उन मूल्यों को कठोर मानदंड में ही घोषित करके बोलने के तरीके से पत्थर में डाल दिया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूल्य राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत पैदा हुई सहकारी समितियों और संसद द्वारा बनाई गई समितियों पर भी लागू होते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार जब न्यायालय प्रासंगिक प्रावधानों को, जो कि पर्याप्त प्रावधान हैं (अनुच्छेद 243ZI से 243ZQ), असंवैधानिकता के ब्रश के साथ चित्रित कर देता है, तो उन प्रावधानों को अभी भी जन्म देता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 243ZR और अनुच्छेद 243ZS में निहित प्रावधानों में वे बैसाखी नहीं होती जिनके बिना ये प्रावधान व्यवहार्य नहीं होते। और बनाए रखना असंभव है। असंवैधानिक भाग, जो अनुच्छेद 243ZR और अनुच्छेद 243ZS का एक अभिन्न अंग होना है, का अस्तित्व बना रहना चाहिए, यदि विचाराधीन प्रावधानों को जीवित रखना है। दूसरे शब्दों में, इन प्रावधानों को बनाए रखने के लिए अदालत को अनुच्छेद 243ZI में निहित मृत प्रावधानों को पुनर्जीवित करना होगा

243 जेडक्यू और अनुच्छेद 243 जेडटी। गंभीरता का सिद्धांत निश्चित आधारों पर लागू होना चाहिए। जब तक असंवैधानिक पाए गए प्रावधानों को जीवित नहीं रखा जाता है, तब तक अनुच्छेद 243ZR और 243ZQ स्पष्ट रूप से अव्यवहारिक हैं। [पैरा 25,27,28,29,30] [556-जी-एच; 557 ए-सी, जी-एच; 558-ए-ई]

किहोतो होलोहन बनाम। ज़चिल्लू और अन्य (1992) पूरक।

2 एस. सी. सी. 651 [1992] 1 एस. सी. आर. 686-इसके बाद आया।

आर. एम. डी. चमरबागवाला और एक अन्य वी. संघ का भारत और एक अन्य ए. आई. आर 1957 एस. सी. 628: [1957] एससीआर 930

- पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

आर. एफ. नरीमन के निर्णय में, जे. (अपने और अपने लिए)

बी. आर. गवई, जे.)

[1952] एससीआर 89

उस पर भरोसा करें

पै

रा 8

[1965] 1 एससीआर 933

उस पर भरोसा करें

पैरा 8 भारत संघ v. राजेन्द्र एन. शाह और एंडाथे

[1992] 1 एससीआर 686

पीछा किया।

पैरा

8

[1967] 2 एससीआर 762

संदर्भित किया गया है

पैरा

8

[2015] 3 एससीआर 997

उस पर भरोसा करें

पैरा

10

(1989) 2 एस. सी. सी. 645

उस पर भरोसा करें

पैरा

11

[1999] 3 पूरक। एससीआर 597

उस पर भरोसा करें

पैरा

11

[2016] 9 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

11

[1987] 1 एससीआर 798

पैरा

13

संदर्भित किया गया है

[1983] 3 एससीआर 130

उस पर भरोसा करें

पैरा

16

[1976] 1 एससीआर 552

उस पर भरोसा करें

पैरा

17

[1994] 6 पूरक। एससीआर 120

उस पर भरोसा करें

पैरा

19

[2005] 2 एस. सी. आर. 303

उस पर भरोसा करें

पैरा

20

[2007] 4 एससीआर 823

उस पर भरोसा करें

पैरा

21

[2010] 2 एससीआर 97

उस पर भरोसा करें

पैरा

22

[1985] 3 एससीआर 580

उस पर भरोसा करें

पैरा

23

एससीसी 66

उस पर भरोसा करें

(2003) 11

पैरा

23

[2013] 14 एससीआर 475

उस पर भरोसा करें

पैरा

25

[1973] पूरक। एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा

33

[2006] 7 पूरक। एससीआर 336

उस पर भरोसा करें

पैरा

34

[2007] 1 एससीआर 706

उस पर भरोसा करें

पैरा

34

[2010] 6 एससीआर 218

उस पर भरोसा करें

पैरा

57

(2010) 6 एससीसी 331

उस पर भरोसा करें

पैरा

57

के. एम. जोसेफ के निर्णय में, जे.

[1957] एससीआर 930

उस पर भरोसा करें

पैरा

10

[1992] 1 एससीआर 686

पीछा किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 9108

9109 2014 से। डब्ल्यू. पी. में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 22.04.2013 के निर्णय और आदेश से। (पी. आई. एल.) 2012 का No.166 और 29.04.2013

विविध में। 2013 का सिविल आवेदन No.890।

के साथ

सिविल अपील सं। 281 और 2020 का 282, सिविल अपील सं। 2825 , 2826 और 2021 का 2827। के. के. वेणुगोपाल, एजी, तुषार मेहता, एसजी, पी. के. जानी, सुश्री मनीषा लवकुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , कानू अग्रवाल, जोहेब हुसैन, सुश्री मीनाक्षी

ग्रोवर, एस. के. गुप्ता, सुश्री श्रद्धा देशमुख, चिन्मायी चंद्र, अमरीश कुमार, राज बहादुर यादव, मोहित पॉल, सुश्री शिखा सरीन, सुश्री सुनैना फुल, साहिल एम. शाह, शिवांग जानी, मासूम के. शाह, विश्वास के. शाह, श्रीमती नेहा शाह, ध्रुपद पटेल, अनूप जैन, उदित गुप्ता, अभिषेक बैद, पुलकित तारे, सुश्री रितिका सिन्हा, वी. के. मोंगा, के. मारुति राव, श्रीमती के. राधा, श्रीमती अंजनी अय्यगारी, सुश्री हेमंतिका वाही, अनिरुद्ध पी. मयी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. हस्तक्षेप के लिए आवेदनों की अनुमति है। छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें संविधान (सत्तानबेवां संशोधन) अधिनियम, 2011 के अधिकार के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती हैं। 97th संशोधन अधिनियम "] जिसने अन्य बातों के साथ-साथ भाग IXB को इसके तहत पेश किया

संशोधन भारत के आधिकारिक राजपत्र में 13.01.2012 पर प्रकाशित किया गया था, जो 15.02.2012 से लागू हुआ था। इन याचिकाओं में उठाया गया महत्वपूर्ण प्रश्न और गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिनांकित 22.04.2013 के विवादित निर्णय द्वारा निर्णय लिया गया है कि क्या भाग IXB अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक के तहत आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के अभाव के लिए नहीं है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में घोषणा की गई है कि भाग IXB को सम्मिलित करने वाला उक्त संवैधानिक संशोधन है अनुच्छेद 368 (2) परंतुक के तहत आवश्यक अनुसमर्थन के अभाव के लिए भारत के संविधान को अधिकार नहीं है, जो हालांकि अनुच्छेद 19 (1) (सी) में किए गए संशोधनों को प्रभावित नहीं करेगा और भारत के संविधान में अनुच्छेद 43 बी को शामिल करेगा।

3. भारत में सहकारी आंदोलन का पता विधायी रूप से दो ब्रिटिश अधिनियमों से लगाया जा सकता है, अर्थात् सहकारी समिति अधिनियम, 1904 और सहकारी समिति अधिनियम, 1912। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत, प्रांतीय सूची की प्रविष्टि 13 में 'सहकारी समितियाँ' विषय शामिल था। यह भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा जारी रखा गया था, 'सहकारी समितियों' को प्रांतीय सूची की प्रविष्टि 33 में शामिल किया गया था। यह तब भारत के संविधान द्वारा जारी रखा गया था, यह

उसी प्रविष्टि को अनुसूची VII सूची II, अर्थात प्रविष्टि 32 के एक भाग के रूप में राज्य सूची के अंतर्गत आने के लिए निर्दिष्ट करें। इसलिए इस स्तर पर यह महत्वपूर्ण है कि संवैधानिक योजना को निर्धारित किया जाए क्योंकि यह सहकारी संस्थाओं पर लागू होती है। समाज इस प्रकार हैं:

अनुच्छेद 19. स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण

भाषण आदि। (1) सभी नागरिकों को होगा अधिकार

XXX XXX XXX

(ग) संघों या संघों या सहकारी समितियों का गठन करना;

XXX XXX XXX

राज्य स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिकता को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। सहकारी समितियों का प्रबंधन।

सातवीं अनुसूची

(अनुच्छेद 246)

सूची I-संघ सूची

XXX XXX XXX

43. व्यापारिक निगमों का निगमन, विनियमन और समापन,

बैंकिंग, बीमा और

वित्तीय निगम, लेकिन सहकारी समितियों को शामिल नहीं करते हुए।

44. निगमों का निगमन, विनियमन और समापन, चाहे व्यापार हो या न हो, जिसका उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित नहीं है, लेकिन

इसमें विश्वविद्यालय शामिल नहीं हैं।

XXX

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सूची II-राज्य सूची

XXX XXX XXX

32. सूची I में निर्दिष्ट निगमों के अलावा अन्य निगमों और विश्वविद्यालयों का निगमन, विनियमन और समापन; अनिगमित व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य समाज और

संघ; सहकारी समितियाँ।

XXX XXX XXX

4. आई. डी. 1 पर, विभिन्न राज्यों में सह-संचालकों से संबंधित मंत्रियों के एक सम्मेलन ने सह-संचालकों के लोकतांत्रिक, स्वायत्त और पेशेवर कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन करने का संकल्प लिया; स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सह-संचालकों के सशक्तिकरण के प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिए; चुनावों, आम निकाय की बैठकों और पेशेवर लेखा परीक्षा के नियमित और समय पर संचालन के लिए। बैठक का समापन इस प्रकार हुआ:

" सम्मेलन में यह भी उल्लेख किया गया कि केंद्र सरकार ने बहु-राज्य सहकारी समितियों अधिनियम, 2002 को लागू करके एक प्रशंसनीय कदम उठाया है, जो सहकारी विधान में सुधारों के प्रमुख क्षेत्रों के अनुरूप है और इसकी व्यापक रूप से सराहना की गई है। सम्मेलन में केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल की सराहना करते हुए संकल्प लिया गया कि इस विषय पर भी उच्च शक्तियों द्वारा विचार किया जाना चाहिए

समिति।

इसलिए यह संकल्प लिया गया कि केंद्र सरकार द्वारा एक उच्च शक्ति समिति का गठन किया जाएगा जिसमें -

राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों, प्रतिष्ठित सहकारियों और अन्य सार्वजनिक अधिकारियों को पिछले 100 वर्षों की उपलब्धियों और उसके सामने आने वाली चुनौतियों की समीक्षा करने और उनका सामना करने के तरीकों और साधनों का सुझाव देने और आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए। समिति का गठन और संदर्भ की शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय की जानी हैं।"

5. इन कार्यवृत्तों के अनुसार, और केंद्र द्वारा राज्य सरकारों के साथ विभिन्न परामर्शों के बाद, संविधान (सत्तानवे संशोधन) अधिनियम, 2011 पारित किया गया था। उपरोक्त संविधान संशोधन के उद्देश्यों और कारणों का विवरण महत्वपूर्ण है और इसे नीचे दिया गया है:

भारत का आयन बनाम। राजेन्द्र एन. शाह और एक अन्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

वर्षों से सहकारी क्षेत्र ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और भारी वृद्धि हासिल की। हालाँकि, इसने सदस्यों के हितों की रक्षा करने और उन उद्देश्यों को पूरा करने में कमजोरियों को दिखाया है जिनके लिए इन संस्थानों को संगठित किया गया था। ऐसे उदाहरण हैं जहां चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं

और नामित पदाधिकारी या प्रशासक लंबे समय तक इन संस्थानों के प्रभारी बने रहते हैं। इससे सहकारी समितियों के प्रबंधन की अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेही कम हो जाती है। कई सहकारी संस्थानों में प्रबंधन में अपर्याप्त व्यावसायिकता के कारण खराब सेवाएं और कम उत्पादकता हुई है। सहकारी समितियों को सुस्थापित लोकतांत्रिक सिद्धांतों और समय पर और स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित होने वाले चुनावों पर चलने की आवश्यकता है। इसलिए, इन संस्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए मौलिक सुधार शुरू करने की आवश्यकता है ताकि देश के आर्थिक विकास में उनका योगदान सुनिश्चित किया जा सके और बड़े पैमाने पर सदस्यों और जनता के हितों की सेवा की जा सके और उनकी स्वायत्तता, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और पेशेवर प्रबंधन भी सुनिश्चित किया जा सके। 2. "सहकारी समितियाँ" संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 32 में सूचीबद्ध एक विषय है और राज्य विधानमंडलों ने तदनुसार सहकारी समितियों पर कानून बनाए हैं। राज्य अधिनियमों के ढांचे के भीतर, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने और विकास के फलों के समान वितरण के प्रयासों के हिस्से के रूप में बड़े पैमाने पर सहकारी समितियों के विकास की परिकल्पना की गई थी। हालाँकि, यह अनुभव किया गया है कि सह के काफी विस्तार के बावजूद

संचालकों, गुणात्मक रूप से उनका प्रदर्शन वांछित स्तर तक नहीं रहा है। राज्यों के सहकारी समिति अधिनियमों में सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कई अवसरों पर और राज्य सहकारी मंत्रियों के सम्मेलनों में राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया गया है। एक मजबूत आवश्यकता है संविधान में संशोधन के लिए महसूस किया गया ताकि सहकारी समितियों को अनावश्यक बाहरी हस्तक्षेपों से मुक्त रखा जा सके और

उनकी स्वायत्त संगठनात्मक स्थापना और उनके लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करना।

3. केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश में सहकारी समितियाँ एक लोकतांत्रिक, [2021] 5 एस. सी. आर. में कार्य करें।

पेशेवर, स्वायत्त और आर्थिक रूप से मजबूत तरीके से। आवश्यक सुधारों को लाने के लिए संविधान में एक नया भाग शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि कुछ प्रावधान किए जा सकें। महत्वपूर्ण को शामिल करने वाले प्रावधान। सहकारी समितियों के काम करने के पहलू जैसे लोकतांत्रिक, स्वायत्त और व्यावसायिक कार्यप्रणाली।

स्वैच्छिक गठन, स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के लिए संविधान के भाग IV (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत) में एक नया अनुच्छेद जोड़ने का भी प्रस्ताव है।

सहकारी समितियों का कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन। संविधान में प्रस्तावित नया भाग, अन्य बातों के साथ-साथ, संसद को बहु-राज्य सहकारी समितियों के संबंध में और अन्य सहकारी समितियों के मामले में राज्य विधानमंडलों को निम्नलिखित मामलों को निर्धारित करते हुए उचित कानून बनाने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करता है, अर्थात्:

(क) लोकतांत्रिक सदस्य-नियंत्रण, सदस्य-आर्थिक भागीदारी के सिद्धांतों पर आधारित सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के प्रावधान और

(ख) एक सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या को एकवीस सदस्यों से अधिक नहीं होना निर्दिष्ट करना; (ग) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदाधिकारियों के संबंध में चुनाव की तारीख से पांच साल की एक निश्चित अवधि का प्रावधान;

(घ) छह महीने की अधिकतम समय सीमा का प्रावधान करना जिसके दौरान सहकारी समिति का निदेशक मंडल हो सकता है -

अधिस्थगन या निलंबन के तहत रखा गया; (ङ) स्वतंत्र व्यावसायिक लेखापरीक्षा प्रदान करना;

(च) निगम के सदस्यों को सूचना का अधिकार प्रदान करना।

सक्रिय समितियाँ; (छ) राज्य सरकारों को सहकारी समितियों की गतिविधियों और खातों की आवधिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना;

(ज) प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक सीट और महिलाओं के लिए दो सीटों के आरक्षण का प्रावधान, जिसमें व्यक्ति होते हैं।

ऐसी श्रेणियों के सदस्यों के रूप में; भारत का आई. ओ. एन. v.

((i) सहकारी समितियों से संबंधित अपराधों के लिए प्रावधान करना और

ऐसे अपराधों के संबंध में दंड।

4. यह उम्मीद की जाती है कि ये प्रावधान न केवल सहकारी समितियों के स्वायत्त और लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करेंगे, बल्कि सदस्यों और अन्य हितधारकों के प्रति प्रबंधन की जवाबदेही भी सुनिश्चित करेंगे और कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए निवारक का प्रावधान करेंगे।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

(जोर दिया गया)

6. इसके बाद एक नया भाग IXB निम्नानुसार डाला गया:

भाग IXB

सह-सक्रिय समाज

(क) "प्राधिकृत व्यक्ति" से अनुच्छेद 243ZQ में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है; (ख) "बोर्ड" से निदेशक मंडल या किसी सहकारी समिति का शासी निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, जिसे किसी समाज के मामलों के प्रबंधन का निर्देशन और नियंत्रण सौंपा गया है;

(ग) "सहकारी समिति" से किसी राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू सहकारी समितियों से संबंधित किसी कानून के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाने वाली समिति अभिप्रेत है।

((घ) "बहु-राज्य सहकारी समिति" से ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसका उद्देश्य किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है और जो उस समय लागू किसी कानून के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाती है।

सहकारी समितियाँ;

(ङ) "पदाधिकारी" से किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या खजांची अभिप्रेत है और इसमें किसी भी सहकारी समिति के बोर्ड द्वारा चुना जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल है;

(च) "पंजीयक" से बहु-राज्य सहकारी [2021] 5 एस. सी. आर. के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय पंजीयक अभिप्रेत है।

सहकारी समितियों के संबंध में राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सहकारी समितियों के लिए समितियां और पंजीयक;

(छ) "राज्य अधिनियम" से किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अभिप्रेत है;

(ज) "राज्य स्तरीय सहकारी समिति" से ऐसा सहकारी समिति अभिप्रेत है जिसका कार्यक्षेत्र पूरे राज्य तक फैला हुआ हो और

किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में इस प्रकार परिभाषित किया गया है।

243 ज़ी. सहकारी समितियों का समावेश। —

243 जेडजे। बोर्ड के सदस्यों और उनके पदाधिकारियों की संख्या और कार्यकाल। (1) बोर्ड में इतनी संख्या में निदेशक शामिल होंगे जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं:

बशर्ते कि किसी सहकारी के निदेशकों की अधिकतम संख्या

सोसायटी इकतीस से अधिक नहीं होगी:

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट और प्रत्येक राज्य के बोर्ड में महिलाओं के लिए दो सीटों के आरक्षण के लिए सदस्यों के रूप में व्यक्तियों से युक्त और व्यक्तियों की श्रेणी के ऐसे वर्ग के सदस्यों से युक्त क्रियाशील समाज।

(2) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदधारकों का कार्यकाल चुनाव की तारीख से पांच साल का होगा और पदधारकों का कार्यकाल बोर्ड के कार्यकाल के अनुरूप होगा:

बशर्ते कि बोर्ड बोर्ड में एक आकस्मिक रिक्ति को भर सकता है

सदस्यों के उसी वर्ग से नामांकन, जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई है, यदि बोर्ड का कार्यकाल उसके मूल कार्यकाल के आधे से कम है।

(3) किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, भारत सरकार का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के बोर्ड के सदस्य होने के लिए सह-विकल्प के लिए प्रावधान करेगा।

बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त या सहकारी समिति द्वारा किए गए उद्देश्यों और गतिविधियों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता के क्षेत्र में, ऐसी समिति के बोर्ड के सदस्यों के रूप में:

बशर्ते कि ऐसे सह-चयनित सदस्यों की संख्या खंड (1) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट 21 निदेशकों के अलावा दो से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते कि ऐसे सह-निर्वाचित सदस्यों को सहकारी समिति के किसी भी चुनाव में ऐसे सदस्य के रूप में मतदान करने या बोर्ड के पदाधिकारी के रूप में चुने जाने के लिए पात्र होने का अधिकार नहीं होगा: बशर्ते कि किसी सहकारी समिति के कार्यात्मक निदेशक

243 जेडके। बोर्ड के सदस्यों का चुनाव। (1) किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक बोर्ड का चुनाव किया जाएगा।

बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोर्ड के नवनिर्वाचित सदस्य निवर्तमान बोर्ड के सदस्यों के पद की अवधि समाप्त होने पर तुरंत पद ग्रहण करें। (2) सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उसके संचालन का पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण।

किसी सहकारी समिति के लिए ऐसा अधिकार या निकाय निहित होगा, जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा प्रदान किया जाए: प्रदान किया गया

कि किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, ऐसे चुनावों के संचालन के लिए प्रक्रिया और दिशा-निर्देश प्रदान कर सकता है।

243 जेडएल। बोर्ड का अधिवेतन और निलंबन और अंतरिम

प्रबंधन। -

(1) तत्काल लागू किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी बोर्ड को छह महीने से अधिक की अवधि के लिए प्रतिस्थापित या अधिनिर्णय के तहत नहीं रखा जाएगा:

बशर्ते कि बोर्ड को किसी मामले में प्रतिस्थापित या निलंबित किया जा सकता है

((i) अपने स्थायी चूक का; या

((ii) अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही; या (2021) 5 एस. सी. आर.

((ग) बोर्ड ने हितों के प्रतिकूल कोई भी कार्य किया है।

सहकारी समिति या उसके सदस्यों का; या

((iv) बोर्ड के गठन या कार्यों में गतिरोध है; या (v) अनुच्छेद 243ZK के खंड (2) के तहत किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा प्रदान किया गया प्राधिकरण या निकाय राज्य के प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराने में विफल रहा है।

अधिनियमः

बशर्ते कि ऐसी किसी भी सहकारी समिति का बोर्ड जहां कोई सरकारी हिस्सेदारी या ऋण या वित्तीय सहायता या सरकार द्वारा कोई गारंटी नहीं है, वहां इसका स्थान नहीं लिया जाएगा या इसे निलंबित नहीं किया जाएगाः

बशर्ते कि किसी सहकारी समिति के संचालन के मामले में

बैंकिंग व्यवसाय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधान भी लागू होंगेः

बैंकिंग, इस खंड के प्रावधानों का प्रभाव इस तरह होगा जैसे कि शब्द "छह महीने", शब्द "एक वर्ष" को प्रतिस्थापित किया गया था।

(2) बोर्ड के अधिक्रमण के मामले में, ऐसी सहकारी समिति के मामलों के प्रबंधन के लिए नियुक्त प्रशासक व्यवस्था करेगा

खंड (1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर चुनाव कराने और प्रबंधन को निर्वाचित बोर्ड को सौंपने के लिए।

(3) किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, प्रशासक की सेवा की शर्तों के लिए प्रावधान कर सकता है।

243ZM. सहकारी समितियों के खातों का लेखापरीक्षा।

(1) किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, सहकारी द्वारा खातों के रखरखाव के संबंध में प्रावधान कर सकता है।

समितियाँ और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे खातों का लेखापरीक्षा।

(2) किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा फर्मों की न्यूनतम योग्यता और अनुभव निर्धारित करेगा - सहकारी समितियों के लेखा-परीक्षण के लिए पात्र होंगे।

(3) प्रत्येक सहकारी समिति, सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त खंड (2) में निर्दिष्ट लेखा परीक्षक या लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा लेखा परीक्षा कराएगी:

बशर्ते कि ऐसे लेखा परीक्षकों या लेखापरीक्षा फर्मों की नियुक्ति किसी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकरण से की जाएगी। (4) प्रत्येक सहकारी समिति के खातों का लेखा-परीक्षण उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर किया जाएगा जिससे ऐसे खाते संबंधित हैं।

(5) शीर्ष सहकारी समिति के खातों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, जिसे राज्य अधिनियम द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, राज्य विधानमंडल के समक्ष उस तरीके से रखी जाएगी, जैसा कि राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

243 जेडएन। सामान्य निकाय की बैठकों का आयोजन।

किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, यह प्रावधान कर सकता है कि प्रत्येक सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर उस कार्य को करने के लिए बुलाई जाएगी जो ऐसी विधि में उपबंधित किया जाए।

(3) किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, अपने सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रावधान कर सकता है। 243 जेड. पी. लौटते हैं।

(1) प्रत्येक सहकारी समिति छह महीने के भीतर विवरणी दाखिल करेगी।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, राज्य सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी को निम्नलिखित मामलों सहित, अर्थात्: —

((क) इसकी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट;

(ख) लेखाओं का लेखा परीक्षित विवरण; [2021] 5 एस. सी. आर.

(ग) सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित अधिशेष निपटान के लिए योजना

सहकारी समिति का; (घ) सहकारी के उपनियमों में संशोधनों की सूची

समाज, यदि कोई हो;

(ङ) अपनी आम सभा की बैठक आयोजित करने और नियत समय पर चुनाव कराने की तारीख के बारे में घोषणा; और (च) पंजीयक द्वारा अनुसरण में अपेक्षित कोई अन्य जानकारी।

राज्य अधिनियम के किसी भी प्रावधान का।

243ZQ. अपराध और दंड।

(1) किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, सहकारी समितियों से संबंधित अपराधों के लिए प्रावधान कर सकता है और ऐसे अपराधों के लिए दंड दे सकता है।

(2) खंड (1) के तहत किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई कानून में निम्नलिखित अधिनियम या चूक को अपराध के रूप में शामिल किया जाएगा, अर्थात्:

(क) एक सहकारी समिति या उसका एक अधिकारी या सदस्य

(ख) कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या बिना किसी उचित बहाने के जारी किए गए किसी भी समन, मांग या वैध लिखित आदेश की अवज्ञा करता है।

राज्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत;

(ग) कोई भी नियोक्ता, जो पर्याप्त कारण के बिना, किसी सहकारी समिति को उसके द्वारा कटौती की गई राशि का भुगतान करने में विफल रहता है। तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर कर्मचारी

जो ऐसी कटौती की जाती है;

किसी सहकारी समिति, जिसका वह अधिकारी या संरक्षक है, से संबंधित पुस्तकों, खातों, दस्तावेजों, अभिलेखों, नकदी, प्रतिभूति और अन्य संपत्ति की अभिरक्षा किसी अधिकृत व्यक्ति को; और (ङ) जो कोई भी, बोर्ड के सदस्यों या पदाधिकारियों के चुनाव से पहले, उसके दौरान या बाद में, कोई भी भ्रष्ट प्रथा अपनाता है।

243 जेडएस। केंद्र शासित प्रदेशों में आवेदन। - इस भाग के प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होंगे और किसी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए उनके आवेदन में, जिसके पास कोई विधान सभा नहीं है, जैसे कि किसी राज्य के विधानमंडल के संदर्भ अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक के लिए थे और किसी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जिसके पास विधानमंडल है।

विधानसभा, उस विधान सभा के लिए:

बशर्ते कि राष्ट्रपति, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकता है कि इस भाग के प्रावधान किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या उसके हिस्से पर लागू नहीं होंगे जैसा कि वह

अधिसूचना।

243 जेडटी। मौजूदा कानूनों की निरंतरता।

इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान (नब्बे-सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य में लागू सहकारी समितियों से संबंधित किसी कानून का कोई प्रावधान, जो इस भाग के प्रावधानों से असंगत है, किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त किए जाने तक या ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति तक, जो भी हो, तब तक लागू रहेगा।

कम है।]

7. जैसा कि ऊपर कहा गया है, जनहित में, गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दायर 2012 की डब्ल्यू. पी. संख्या 166 होने वाली एक रिट याचिका दिनांक 1 के विवादित फैसले के माध्यम से सफल हुई, जिसके द्वारा अनुच्छेद 368 (2) परंतुक के तहत राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन के अभाव में भाग IXB को अधिकार से बाहर घोषित किया गया था। 8. भारत के विद्वान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल ने उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया है कि संविधान 97 वां संशोधन अधिनियम भारत में सहकारी समितियों के कामकाज के संबंध में महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसने [2021] 5 एस. सी. आर. में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

राष्ट्र की अर्थव्यवस्था। उन्होंने अनुच्छेद 243ZR का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया बता दें कि, वास्तव में, भाग IXB दो अलग-अलग भागों में है-एक बहु-राज्य सहकारी समितियों से संबंधित है जिनके प्रभाव केवल एक राज्य से परे हैं, और सहकारी समितियां जो एक विशेष राज्य के भीतर मौजूद हैं और काम करती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि भले ही बहु-राज्य सहकारी समितियों के संबंध में कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन पूरे भाग IXB को रद्द कर दिया गया है, जिससे बच्चे को नहाने के पानी से बाहर फेंक दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होने वाले भाग IXB के लिए भी यही सच है जो अनुच्छेद 243ZS के पढ़ने से स्पष्ट है। इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि 28 में से 17 राज्यों ने 97वें संशोधन के बाद पहले ही भाग IXB के अनुरूप विधायी उपायों को लागू कर दिया है और

इसलिए आधे से अधिक राज्यों ने वास्तव में भाग IXB के प्रावधानों को स्वीकार कर लिया था और लागू किया था। इसका महत्व यह भी है कि

संविधान की 10वीं अनुसूची का सीधा प्रभाव संविधान के अनुच्छेद 136,226 और 227 के संचालन को कम करने का था और 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों सहित सभी न्यायालयों की अधिकारिता को बाधित करके, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुसमर्थन आवश्यक होगा। विद्वान वकील जनरल ने तब तर्क दिया कि डिवीजन बेंच का अतिरिक्त निष्कर्ष कि संवैधानिक संशोधन भारत संघ की मूल संरचना का उल्लंघन करता है।

संविधान, क्योंकि यह संविधान के संघीय ढांचे के साथ छेड़छाड़ करता है, पूरी तरह से अनावश्यक और अनुचित था क्योंकि इस मामले में वास्तविक मुद्दा केवल एक और एक है, कि क्या अनुसमर्थन आवश्यक है या नहीं। यदि यह माना जाता है कि अनुसमर्थन आवश्यक है, तो बुनियादी संरचना पर पीछे हटना अनावश्यक है। इसी तरह, यदि यह माना जाता है कि अनुसमर्थन आवश्यक नहीं होगा, तो संवैधानिक संशोधन, जो वास्तव में संविधान की मूल संरचना को सुव्यवस्थित करने में मजबूत करता है। सहकारी आंदोलन, उच्च न्यायालय के निष्कर्ष पर विश्वास नहीं करेगा।

9. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि पृथकता के सिद्धांत को लागू किया जाना है, तो इस न्यायालय के निष्कर्ष की स्थिति में कि राज्य सहकारी समितियाँ

अनुसमर्थन का पालन किए बिना प्रभावित नहीं किया जा सकता है, बहु-राज्य सहकारी समितियों, जिनके प्रभाव एक राज्य से परे हैं, उन्हें भाग IXB द्वारा कवर किया जा सकता है, जैसा कि केंद्र शासित प्रदेशों को करना होगा, और यह कि उपरोक्त सिद्धांत को लागू करने पर, भाग IXB को बरकरार रखा जाना चाहिए, कम से कम जहां तक बहु-राज्य सहकारी समितियों का संबंध है। उन्होंने अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए कई निर्णयों का हवाला दिया है जो इस निर्णय में परिलक्षित होंगे।

10. श्री प्रकाश जानी, सिविल में मेहसाणा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता

2020 की अपील संख्या 282 ने विद्वान महान्यायवादी की दलीलों का समर्थन किया। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत के संविधान में भाग IXB को शामिल करते समय, संसद ने अपनी 'घटक' शक्ति का प्रयोग किया है न कि 'विधायी' शक्ति का। भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 के साथ पढ़ें, तब यह स्पष्ट होगा कि चूंकि

अनुच्छेद 246 (3) में राज्यों की विधायी शक्ति भारत के संविधान के प्रावधानों के अधीन है, 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 32, सूची II में निहित विधायी प्रमुख 'सहकारी समितियों' को अब भाग IXB के अधीन किया जा रहा है जो भारत के संविधान का एक हिस्सा है। उन्होंने तर्क दिया कि संसद अपनी घटक क्षमता में राज्य के विषयों से निपट सकती है, और संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा अनुच्छेद 21ए को शामिल करने पर भरोसा करती है। उन्होंने तब तर्क दिया कि वास्तव में, अनुच्छेद 43 बी के साथ पढ़ा गया भाग IXB संविधान की मूल संरचना को बढ़ाता है और विपुलभाई एम. के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा करता है। चौधरी बनाम। गुजरात कॉप। दूध एमकेटीजी। फेडरेशन लिमिटेड, (2015) 8 एस. सी. सी. 1 यह प्रदर्शित करने के लिए कि यह निर्णय, हालांकि 97वें संशोधन की संवैधानिक वैधता से संबंधित नहीं है, फिर भी यह माना गया कि उक्त संशोधन भारत में सहकारी आंदोलन में एकरूपता और व्यवस्था लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

21] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. 2014 की सिविल अपील संख्या 9108-9109 में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री मासूम के. शाह ने एक भावपूर्ण याचिका दायर की है कि एक सीमित संशोधन शक्ति का प्राप्तकर्ता अप्रत्यक्ष रूप से वह नहीं कर सकता है जो उसे सीधे करने की अनुमति नहीं है। उनके अनुसार, प्रविष्टि 32 सूची 2,2,7 वीं अनुसूची में निहित राज्य की विधायी शक्तियों को कम करके/सीमित करके, एक प्रशिक्षक और चार को संघवाद के सिद्धांत में प्रेरित किया जाता है जैसा कि हमारे संविधान द्वारा समझा जाता है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, संविधान के भाग IXB को सावधानीपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि संशोधन से पहले राज्य विधानसभाओं की निरंकुश शक्ति को अब कई भौतिक विवरणों में भाग IXB के प्रावधानों द्वारा बाधित किया गया है; उदाहरण के लिए, सहकारी समितियों के निदेशकों की अधिकतम संख्या का निर्धारण; 243ZJ में निहित आरक्षण प्रावधान; सहकारी समितियों के बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों के पद की अवधि आदि। संक्षेप में, जो किया गया है वह प्रविष्टि 32 के अपवाद के बाद अपवाद जोड़ना है जिससे प्रविष्टि 32 से कई ऐसे मामले बनाए गए हैं जो अन्यथा विशेष रूप से राज्य विधानमंडलों के अधिकार क्षेत्र में थे। उन्होंने अनुच्छेद 243ZI और 243ZT पर दृढ़ता से भरोसा करते हुए यह स्पष्ट किया कि 7 वीं अनुसूची की प्रविष्टि 32, सूची II पर सीधा हमला होता है क्योंकि एक वर्ष के बाद, भाग IXB के प्रावधानों के विपरीत सभी राज्य विधान प्रभावी नहीं होते हैं, और राज्यों पर केवल भाग IXB में निहित प्रतिबंधों के अनुसार कानून बनाने का एक सकारात्मक दायित्व डाला जाता है। उन्होंने इस पर भी दृढ़ता से भरोसा किया

विद्वान महान्यायवादी द्वारा यह तर्क देने के लिए उद्धृत निर्णय कि, वास्तव में, अनुच्छेद 246 (3) और प्रविष्टि 32 सूची 2 में एक प्रत्यक्ष प्रवेश के रूप में किया गया है, इस तरह के संशोधन को अनुसमर्थन के अभाव में निरस्त करना होगा क्योंकि यह संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को प्रभावित करता है, अर्थात्, संघीय

सीरवई का भारत का संवैधानिक कानून यह तर्क देता है कि भले ही कोई विधायी शक्ति राज्यों से सहकारी समितियों को हस्तांतरित नहीं की जाती है संघ, फिर भी एक विधायी क्षेत्र का कटौती (या विस्तार) जो विशेष रूप से राज्यों से संबंधित है और जो संघवाद को प्रभावित करता है, निश्चित रूप से अनुच्छेद 246 (3) और विधायी सूचियों दोनों में एक "परिवर्तन" के बराबर होगा और इस प्रकार अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने भी दृढ़ता से

के. दामोदरसामी नायडू एंड ब्रदर्स के पैरा 21 पर भरोसा किया। वी. टी. एन. राज्य, (2000) 1 एस. सी. सी. 521। इसके बाद उन्होंने सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के संदर्भ में विद्वान अटॉर्नी जनरल के तर्क का विरोध किया। भारत का

वी. ट्राई, (2016) 7 एस. सी. सी. 703 (पैरा 57), यह तर्क देने के लिए कि भले ही 17 राज्यों का भारत संघ बनाम।

इसके बाद संवैधानिक संशोधन को आगे बढ़ाने के लिए अपने कानूनों में संशोधन करें, इससे संवैधानिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि वास्तव में अनुच्छेद 368 (2) के प्रावधान के तहत आवश्यक अनुसमर्थन की कमी है। संवैधानिक संशोधन की वैधता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि क्या

राज्य सरकार इसे स्वीकार करती है या राज्य सरकार इसे चुनौती देती है। इसके बाद उन्होंने बहु-राज्य सहकारी समितियों के संबंध में दो और तर्क दिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, पृथकता के परीक्षणों को देखते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि बहु-राज्य सहकारी समितियाँ सहकारी समितियों के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं और 97 वीं

संविधान संशोधन कभी भी अकेले बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए अधिनियमित नहीं किया गया होगा। अन्यथा भी, रिट याचिका में दी गई चुनौती भाग IXB की संपूर्णता के लिए थी और बहु-राज्य सहकारी समितियों से संबंधित भाग, अलग करने योग्य नहीं होने के कारण, भाग IXB की संपूर्णता को विवादित निर्णय द्वारा सही ढंग से असंवैधानिक ठहराया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि इस संवैधानिक संशोधन को अनुसमर्थन के बिना संवैधानिक समूह को पारित करने की अनुमति दी जाती है, तो आगे के संशोधनों का कोई अंत नहीं होगा जो अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों से उनकी विधायी शक्तियों को छीन लेंगे, एक अर्ध-संघीय राज्य को एक एकात्मक राज्य में बदल देंगे।

एक.

12. इसके बाद उन्होंने एक ऐसे मुद्दे पर तर्क दिया जो न तो दलीलों में उठाया गया था और न ही उच्च न्यायालय में दलीलों में। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यहाँ तक कि क्वा मल्टी

राज्य सहकारी समितियाँ, चूंकि प्रविष्टि 44 सूची I में परिवर्तन किया गया है जिसमें बहु-राज्य सहकारी समितियों को कानून बनाने की शक्ति शामिल है, इसलिए प्रविष्टि की चौड़ाई को राज्य सहकारी समितियों के भाग IXB द्वारा घटाया गया है।

संविधान, जिसके लिए किसी भी मामले में राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। इस तर्क पर, विद्वान महान्यायवादी ने यह प्रस्तुत करते हुए जवाब दिया कि यह केवल वे प्रविष्टियाँ हैं जैसे कि सूची I की प्रविष्टि 2ए (प्रविष्टि 2 में संदर्भित जो प्रविष्टि 2ए के अधीन है) जो अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक द्वारा कवर की जाएंगी यदि किसी को यह ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 368 (2) परंतुक को संविधान के अर्ध-संघीय ढांचे को संरक्षित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है।

13. श्रीमती. रितिका सिन्हा, सीए संख्या में आई. ए. संख्या 3/2014 में मध्यस्थ की ओर से पेश होने वाली विद्वान वकील हैं। 9108-9109 / 2014 , भाषा पर जोर दिया

अनुच्छेद 243ZI और 243ZT। उनके अनुसार, ये अनुच्छेद यह स्पष्ट करते हैं कि राज्यों की विधायी क्षमता को स्पष्ट रूप से भाग IXB के प्रावधानों के अधीन कर दिया गया है, जिससे सूची II की प्रविष्टि 32 में सीधे एक अपवाद शामिल किया गया है। इसके अलावा, अनुच्छेद 243ZT में गैर-बाध्यकारी खंड यह स्पष्ट करेगा कि राज्य विधान जो [2021] 5 एस. सी. आर. के तहत अधिनियमित किया गया है।

पूर्ण शक्ति को अब भाग IXB के प्रावधानों के लिए रास्ता बनाने के लिए समाप्त कर दिया गया है, जिन्हें इसके विपरीत पहले के राज्य विधानों के स्थान पर राज्य विधानसभाओं द्वारा अनिवार्य रूप से अधिनियमित किया जाना है। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने विपुलभाई एम. चौधरी बनाम के पैरा 26 और 27 पर भरोसा किया। गुजरात कॉप। दूध एमकेटीजी। फेडरेशन लिमिटेड (ऊपर)। इसके बाद उन्होंने सज्जन सिंह (ऊपर) और वांचू, गोलक नाथ (ऊपर) में जे के फैसले के अंशों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि भले ही इसमें कठोर परीक्षण निर्धारित किए गए हों।

जिन्हें लागू किया जाना है, वे इस मामले के तथ्यों पर लागू होंगे, क्योंकि 7 वीं अनुसूची की प्रविष्टि 32 सूची II में एक प्रत्यक्ष और पर्याप्त प्रवेश किया गया है। उन्होंने डी. सी. वाधवा बनाम पर भरोसा करके निष्कर्ष निकाला। बिहार राज्य, (1987) 1 एस. सी. सी. 378 (पैरा 7), यह प्रस्तुत करते हुए कि जो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अब भारत के संविधान में भाग IXB को शामिल करके अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। श्री मारुति राव, आई. ए. सं. 4/2014 सी. ए. सं. में मध्यस्थ के विद्वान वकील हैं। 9108-9109 / 2014 , श्री शाह और सुश्री सिन्हा द्वारा की गई दलीलों का व्यापक रूप से समर्थन किया।

14. सभी पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, सबसे पहले विधायी संबंधों की संवैधानिक योजना का प्रचार करना महत्वपूर्ण है

भारत संघ और राज्यों के बीच। यह अनुच्छेद 245 और 246 में भाग IXB, अध्याय I में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है: -

भाग XI

संघ और राज्यों के बीच संबंध

अध्याय I-विधायी संबंध

विधायी शक्तियों का वितरण

245. संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार और

राज्यों के विधानमंडल। -

(1) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, संसद भारत के पूरे या किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है, और

किसी राज्य का विधानमंडल पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। (2) संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अमान्य नहीं माना जाएगा।

इस आधार पर कि इसका बाह्य संचालन होगा।

246. विषय-संसद और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय

राज्यों के विधानमंडल।

(1) खंड (2) और (3) में कुछ भी होने के बावजूद, संसद को भारत के किसी भी संघ के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।

राजेन्द्र एन. शाह और एक अन्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सातवीं अनुसूची में सूची I में सूचीबद्ध मामले (इस में)

(2) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद और, खंड (1) के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य के विधानमंडल को भी, सातवीं अनुसूची (इस संविधान में "समवर्ती सूची" के रूप में संदर्भित) में सूची III में प्रगणित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। (3) खंड (1) और (2) के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य के विधानमंडल को ऐसे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।

सूची II में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में

सातवीं अनुसूची (इस संविधान में "राज्य" के रूप में संदर्भित)

(4) संसद के पास भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है जो [किसी राज्य में] शामिल नहीं है, इसके बावजूद कि ऐसा मामला निम्नलिखित में उल्लिखित है - राज्य सूची।

15. इन लेखों को सरसरी तौर पर पढ़ने से पता चलता है कि

संसद भारत के पूरे या किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है, किसी राज्य का विधान पूरे या राज्य के किसी भी भाग के लिए कानून बना सकता है। अनुच्छेद 246 तब संबंधित कानूनों को संदर्भित करता है -

7 वीं अनुसूची में निहित 3 सूचियों में उल्लिखित मामलों में से -

किसी भी

भारत का संविधान। सूची I में ऐसे विषय या विषय शामिल हैं जिन पर संसद को कानून बनाने की अनन्य शक्ति है; समवर्ती सूची की सूची III में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर दोनों विधानमंडल कानून बना सकते हैं; और

सूची-2, जिससे हम सीधे तौर पर संबंधित हैं, राज्यों को ऐसे राज्य या उसके हिस्से के लिए उसमें निहित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति देती है। जहां तक केंद्र शासित प्रदेशों का संबंध है, संसद को अनुच्छेद 246 (4) के तहत विषय वस्तु के रूप में बिना किसी बाधा के शक्ति दी गई है क्योंकि यह सूची II में शामिल विषयों के संबंध में भी कानून बना सकती है। 16. इस न्यायालय के निर्णयों के एक समूह में, यह घोषित किया गया है कि जहां अनुच्छेद 246 में कानून बनाने की शक्ति है, वे विषय हैं -

तीन सूचियों में निहित विधान को 'विधान के क्षेत्रों' के रूप में वर्णित किया गया है। यह सम्मानपूर्वक होक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में निर्धारित किया गया है।

वी. बिहार राज्य, (1983) 3 एससीआर 130:

" यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि तीनों सूचियों में विभिन्न प्रविष्टियां कानून की 'शक्तियां' नहीं हैं, बल्कि कानून के 'क्षेत्र' हैं।

कानून बनाने के लिए अनुच्छेद 246 और अन्य अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है

संविधान "

(pg पर। 184)

17. अनुच्छेदों में निहित गैर-बाध्यकारी खंड से निपटना

246 (1) और 246 (2) और अनुच्छेद 246 (3) में निहित 'खंड के अधीन', इस न्यायालय ने संघीय न्यायालय और प्रिवी काउंसिल के फैसलों का पालन करते हुए,

यह अभिनिर्धारित किया गया कि ये अबाधित और 'अधीन' खंड संघीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को निर्धारित करते हैं, जिसे इस प्रकार कहा जा सकता है: राज्य सूची में विषयों को संघ या समवर्ती सूची में निहित विषयों को रास्ता देना होता है।

इन सूचियों में प्रविष्टियों के बीच एक ओवरलैप की घटना। इस तरह का ओवरलैप आसानी से नहीं पाया जा सकता है-इसके विपरीत, यह केवल एक अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय संघर्ष के मामले में है कि एक प्रविष्टि की चौड़ाई राज्य सूची को सूची 1 या सूची 3 में से किसी एक में प्रविष्टि के साथ ओवरलैप करके कम किया जा सकता है। इस प्रकार, केरल में एस. ई. बी. बनाम. भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, (1976) 1 एस. सी. सी. 466, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: -

संसद सूची III के मामलों के संबंध में कानून बनाएगी, जो हैं - खंड (2) द्वारा निपटाया गया, सर्वोच्च है संसद के पास अनन्य है

सूची 1 के मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। राज्य

सूची II में प्रविष्टि। यह भी इस सिद्धांत पर है कि "विशेष" "सामान्य" को बाहर करता है और सूची II में सामान्य प्रविष्टि विषय है

सूची 1 में विशेष प्रविष्टि के लिए। उदाहरण के लिए, हालांकि घर

आवास और किराया नियंत्रण किसी भी राज्य के अंतर्गत आ सकता है।

सूची या समवर्ती सूची, सातवीं अनुसूची की सूची I में प्रविष्टि 3

छावनी में आवास के सामान्य विषय से और किराया नियंत्रण (इंदु भूषण बनाम देखें। सुंदरी देवी [(1969) 2

एस. सी. सी. 289] इसके अलावा, खंड (1) में "बावजूद" शब्द

इसका यह भी अर्थ है कि यदि दोनों प्रविष्टियों का मिलान करना संभव नहीं है तो भारत का

सूची I में प्रविष्टि प्रबल होगी। लेकिन ऐसा होने से पहले यह तय करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि कोई विशेष कानून किस सूची में आता है। यह तय करने के लिए कि किस प्रविष्टि के तहत एक विशेष कानून सिद्धांत में आता है अदालतों द्वारा "पीठ और पदार्थ" का विकास किया गया है। यदि सार और सार में कोई कानून एक सूची या दूसरी के भीतर आता है, लेकिन उस कानून के विषय के कुछ हिस्से पर संयोग से खाई पड़ जाती है और यह दूसरी सूची के तहत आ सकता है, तो अधिनियम

ट्रेंचिंग। इन सिद्धांतों को कई क्षेत्रों में निर्धारित किया गया है - निर्णय "।

18. होक्स्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: -

प्रबल होते हैं। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 246 में निर्धारित संघीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का तब तक सहारा नहीं लिया जा सकता जब तक कि संघ और राज्य सूचियों में प्रविष्टियों के बीच "अपरिवर्तनीय" संघर्ष न हो। दोनों सूचियों में प्रविष्टियों के बीच एक प्रतीत होने वाले टकराव के मामले में, प्रविष्टियों को एक साथ पढ़े बिना पढ़ा जाना चाहिए। उनमें से किसी के लिए भी संकीर्ण और सीमित भावना। दूसरा, यह देखने का प्रयास किया जाना चाहिए कि क्या दोनों प्रविष्टियां नहीं हो सकती हैं।

'पीठ और पदार्थ' के सिद्धांत के अनुप्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि यह विशेष रूप से एक सूची के अंतर्गत आता है, और दूसरी सूची पर अतिक्रमण केवल आकस्मिक है। (पृष्ठ 165 पर)

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. इसी तरह, गुडरिक ग्रुप लिमिटेड बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य, 1995 (1) एस. सी. सी. 707, इस न्यायालय ने इस संवैधानिक योजना को दोहराया

बनाम ◌ः

12. सातवीं अनुसूची की तीन सूचियों में प्रविष्टियों की योजना एम. पी. वी. में इस न्यायालय के निर्णय में निर्धारित की गई है।

अतिक्रमण की सीमा यह निर्धारित करने में एक तत्व हो सकता है कि क्या अधिनियम एक रंगीन कानून है। एक अन्य प्रासंगिक सिद्धांत भारत संघ बनाम में प्रतिपादित है। एच. एस. ढिल्लों [(1971) 2 एस. सी. सी. 779] जहाँ एक कानून बनाने के लिए संसद की विधायी क्षमता पर सवाल उठाया जाता है, वहाँ केवल यह पूछना पड़ता है कि क्या यह सूची II की किसी भी प्रविष्टि से संबंधित है और यदि ऐसा नहीं है, तो आगे कोई सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है और संसद के विधायी योग्यता को बनाए रखा जाना चाहिए। यह निर्णय यह भी बताता है कि संस्थापक पिताओं को तीन सूचियों का होना क्यों आवश्यक लगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक निगम में। वी. हालाँकि, हरियाणा राज्य [(1981) 2 एस. सी. सी. 318] ने एक चेतावनी दी है कि संसद के लिए विशेष विधायी क्षमता का दावा करने से पहले, राज्य विधानमंडल की विधायी अक्षमता को स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए। एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ [(1994) 3 एस. सी. सी. 1] हम में से एक (बी. पी. जीवन रेड्डी, जे.) ने आगाह किया कि हमारी संवैधानिक प्रणाली में, जहां सभी महत्वपूर्ण विधायी प्रमुखों को सौंपा गया है

केंद्र में, अदालतों को ऐसी किसी भी व्याख्या को अपनाने में देरी करनी चाहिए जो राज्यों को संविधान के तहत उन्हें सौंपी गई कुछ शक्तियों से वंचित करती हो।

20. सरकार में। ए. पी. वी. जे. बी. एजुकेशनल सोसाइटी, (2005) 3 एस. सी. सी. उपरोक्त को निम्नानुसार दोहराया गयाः

9. संसद के पास किसी भी मामले में कानून बनाने की विशेष शक्ति है।

भारत के आई. ओ. एन. v. के बावजूद, सूची I में उल्लिखित मामलों में से।

राजेन्द्र एन. शाह और एक अन्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अनुच्छेद 246 के खंड (2) और (3) में निहित है। द नॉन ऑब्स्टैंट

अनुच्छेद 246 (1) के तहत खंड प्रबलता को इंगित करता है या

सूची I में उल्लिखित विषय और राज्य द्वारा बनाई गई विधि विधानमंडल की सूची II में उल्लिखित किसी मामले के संबंध में

सातवीं अनुसूची।

10. इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च हैं। संसद द्वारा बनाए गए विधानों की व्याख्या करना न्यायालय का कर्तव्य है और

राज्य विधानमंडल इस तरह से कि किसी भी संघर्ष से बचा जा सके। तथापि, यदि संघर्ष अपरिहार्य है, और दोनों अधिनियम अपरिवर्तनीय हैं, तो अनुच्छेद 246 के खंड (1) में अबाधित खंड के बल से, राज्य विधानमंडल की अनन्य शक्ति के बावजूद संसदीय विधान प्रबल होगा -

राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी मामले के संबंध में कानून बनाएँ।

21. ग्रेटर बॉम्बे कॉप में। बैंक लिमिटेड बनाम यूनाइटेड यार्न टेक्स

टी. डी. , (2007) 6 एस. सी. सी. 236, यह आयोजित किया गया था:

92. संविधान के अनुच्छेद 246 के पहले तीन खंड संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच विधायी शक्तियों के सीमांकन से संबंधित हैं। खंड (1) के तहत, खंड (2) और (3) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, संसद को सातवीं अनुसूची में सूची I या संघ सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति दी गई है। खंड (2) उपखंड (1) के तहत संसद की शक्ति के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों को सूची III में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है।

संविधान में "समवर्ती सूची" के रूप में वर्णित सातवीं अनुसूची, उपखंड (3) में कुछ भी निहित होने के बावजूद। खंड (3) के तहत राज्य विधानमंडलों को अनन्य शक्तियां दी गई हैं। सूची 2 में उल्लिखित मामलों के संबंध में कानून बनाना

"राज्य सूची" के रूप में वर्णित लेकिन सातवीं अनुसूची के अधीन

खंड (1) और (2)। विधायी विषयों की विस्तार से गणना करते हुए ये तीनों सूचियाँ विधायी क्षेत्रों को सावधानीपूर्वक वितरित करती हैं।

संसद (सूची I) और राज्य (सूची II) के बीच प्राधिकरण। द.

अनुच्छेद 246 (1) में अवरोधक खंड और "के अधीन" शब्द अनुच्छेद 246 (2) और (3)। इसलिए, अनुच्छेद 246 (1) के तहत यदि [2021] 5 एस. सी. आर. में से कोई भी हो।

तीन सूचियों में प्रविष्टियाँ ओवरलैप होती हैं, सूची I में प्रविष्टि प्रबल होगी।

स्पष्ट रूप से या तो कानून बनाने की संसद की शक्ति के अधीन सूची I के तहत या सूची III के तहत। सातवीं सूची में प्रविष्टियाँ

अनुसूची की उदारतापूर्वक व्याख्या की गई है; फिर भी अदालतों ने

व्याख्या की एक प्रक्रिया द्वारा इस संतुलन को बिगाड़ने से सावधान रहें

ताकि इसकी सामग्री की किसी भी प्रविष्टि को वंचित किया जा सके और इसे "बेकार" कर दिया जा सके। लकड़ी "। खंड (3) में "अनन्य" शब्द का उपयोग दर्शाता है

कि सूची II में निहित विधायी क्षेत्रों के भीतर, राज्य

विधानमंडल पूर्ण और पर्याप्त रूप से अधिकार का प्रयोग करते हैं

संसद।

(जोर दिया गया)

22. राज्य में डब्ल्यू. बी. वी. लोकतांत्रिक संरक्षण समिति

टीएस, (2010) 3 एससीसी 571, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

25. अनुच्छेद 246 (1) में गैर-बाध्यकारी खंड में विचार किया गया है -

संघ विधानमंडल की प्रधानता या सर्वोच्चता। यह शक्ति

खंड (2) और (3) में निहित किसी भी चीज़ से बोझिल नहीं है।

इन खंडों के लिए स्वयं स्पष्ट रूप से सीमित और बनाए गए हैं

अनुच्छेद 246 (1) में अबाधित खंड के अधीन। राज्य

विधायिका को ऐसे राज्य के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति है या में उल्लिखित मामलों में से किसी के संबंध में उसका कोई भाग

सातवीं अनुसूची में सूची II और इसे बनाने की शक्ति भी है

(समवर्ती सूची)। राज्य विधानमंडल की अनन्य शक्ति सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाना।

II का प्रयोग खंड (1) अर्थात अनन्य शक्ति के अधीन किया जाना है। में उल्लिखित मामलों के संबंध में विधान बनाने के लिए संसद

सूची I और सूची II में एक प्रविष्टि, जो सुलह करने में सक्षम नहीं है, किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति

सूची II में उल्लिखित अभ्यास को प्रतिस्थापित करना चाहिए

राज्य विधानमंडल की शक्ति।

26. संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती हैं।

गणना किए गए किसी भी मामले के संबंध में विधान की शक्तियाँ

सूची III में। शब्द "कुछ भी निहित होने के बावजूद अनुच्छेद 246 (1) में खंड (2) और (3) और शब्द "के अधीन

अनुच्छेद 246 (3) में खंड (1) और (2) "भारत के आयोन v के सिद्धांत को निर्धारित करते हैं।

राजेन्द्र एन. शाह और एक अन्य

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

संघीय सर्वोच्चता अर्थात। कि अपरिहार्य संघर्ष के मामले में संघ और राज्य शक्तियाँ, सूची I में उल्लिखित संघ शक्ति सूची II और III में उल्लिखित राज्य शक्ति पर प्रबल होगी और सूची II और III के बीच अतिव्यापी होने की स्थिति में,

बाद वाला प्रबल होगा।

27. हालाँकि, निस्संदेह, संविधान राज्य विधानमंडलों पर संसद की सर्वोच्चता को प्रदर्शित करता है, फिर भी संविधान के अनुच्छेद 246 में निर्धारित संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत नहीं हो सकता है।

जब तक संघ और राज्य सूचियों में प्रविष्टियों के बीच कोई अपरिवर्तनीय प्रत्यक्ष संघर्ष न हो, तब तक इसका सहारा लिया जाता है। इस प्रकार, इस व्यापक प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है कि संविधान के तहत संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का स्पष्ट सीमांकन है और उन्हें खुद को सौंपे गए क्षेत्र के भीतर सीमित रखना होगा। यह भी ध्यान में रखा जा सकता है कि सूचियों का कार्य शक्तियाँ प्रदान करना नहीं है, वे केवल सीमांकन करते हैं। विधायी क्षेत्र। लेकिन जिस मुद्दे को हमें निर्धारित करने के लिए कहा जाता है वह यह है कि जब संविधान की योजना किसी ऐसे मामले पर संघ द्वारा अतिक्रमण को प्रतिबंधित करती है जो विशेष रूप से इसके अंतर्गत आता है।

राज्य विधानमंडल का क्षेत्र, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, आदि, राज्य का तीसरा अंग हो सकता है। न्यायपालिका, सी. बी. आई., संघ द्वारा स्थापित एक एजेंसी को राज्य के संबंध में कुछ करने का निर्देश देती है।

विषय, संबंधित राज्य सरकार की सहमति के बिना?

ई राज्य। अतः इस न्यायालय ने इन प्रविष्टियों को पढ़ने पर यह अभिनिर्धारित किया है कि जब एक राज्य को निहित उद्देश्यों वाली बहु-राज्य सहकारी समितियों की बात आती है, तो विधायी शक्ति भारत की होगी जो प्रविष्टि 44 सूची I में निहित है।एच वी। पंजाब राज्य, (1985) 2 एस. सी. सी. 670, इस न्यायालय ने निर्धारित किया: -

7. .... श्री राममूर्ति के अनुसार व्यक्त बहिष्कार सूची I की प्रविष्टि 43 में सहकारी समितियाँ और सूची II की प्रविष्टि 32 में सहकारी समितियों का स्पष्ट समावेश, अलग से और इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5 एस सी आर।

लेकिन सूची I और विश्वविद्यालयों में निर्दिष्ट निगमों के अलावा अन्य निगमों के साथ, स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि संवैधानिक योजना सहकारी समितियों को निगमों से अलग संस्थानों के रूप में मानने के लिए बनाई गई थी। दूसरी ओर कोई भी सोच सकता है कि सूची I की प्रविष्टि 43 और सूची II की प्रविष्टि 32 दोनों में अन्य निगमों के साथ सहकारी समितियों का उल्लेख इस बात का संकेत देता है कि संविधान निर्माताओं का विचार था कि

विचार है कि लेकिन इस तरह के बहिष्कार के लिए, सहकारी समितियों को अभिव्यक्ति "निगमों" के अर्थ के भीतर समझा जाएगा। 24. इसी तरह, एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक ऑफ अर्बन बैंक ऑफ

महाराष्ट्र एंड गोवा लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंकटी. डी. , (2003) 11 एस. सी. सी. 66, इस न्यायालय ने बहु-राज्य सहकारी समितियों और सहकारी समितियों से संबंधित दो अलग-अलग क्षेत्रों को चित्रित किया।

निम्नलिखित है: -

25. एक अन्य पहलू जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि भारत के संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित विषय राज्य सूची यानी अनुसूची VII की सूची II की प्रविष्टि 32 में है। संघ सूची अनुसूची VII की सूची I की प्रविष्टि 44 है जो इन से संबंधित है

निगमों। इस मामले में हम केंद्रीय कानून की वैधता से चिंतित नहीं हैं और इसलिए उस पहलू से नहीं निपटते हैं। निर्णय के उद्देश्य के लिए हम यह मानेंगे कि एक राज्य तक सीमित उद्देश्यों वाली सहकारी समिति निगम शब्द के अंतर्गत आएगी, और इस प्रकार एक केंद्रीय कानून को बचाया जा सकता है। हालांकि, संवैधानिक प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि सहकारी समितियों से संबंधित मामले राज्य सूची में हैं। इस प्रकार कई राज्यों ने सहकारी समितियों से संबंधित कानून बनाए हैं। हमने अन्य अधिनियम नहीं देखे हैं। हालाँकि, जैसा कि यह मामला महाराष्ट्र के एक समाज से संबंधित है, हमें महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम दिखाया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कानून एक सहकारी समाज को परिभाषित नहीं करता है। इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसके तहत पंजीकृत सोसायटी स्वचालित रूप से कवर हो जाएगी। एक सहकारी समिति को परिभाषित करने की आवश्यकता केवल एक केंद्रीय कानून में उत्पन्न होती है जिसमें सभी शामिल नहीं होते हैं।

सहकारी समितियों और इस प्रकार यह इंगित करने की आवश्यकता है कि यह किस समाज पर लागू होता है।

25. इसी तरह, थलाप्पलम सर्विस कॉप में। बैंक लिमिटेड बनाम केरल राज्य, (2013) 16 एस. सी. सी. 82, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

26. सहकारी समिति भारत के संविधान की अनुसूची VII सूची II प्रविष्टि 32 के तहत एक राज्य का विषय है। भारत के अधिकांश राज्यों ने अपने स्वयं के सहकारी समितियों अधिनियम को लागू किया ताकि राज्य में सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित विकास के लिए समानता, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, जैसा कि भारत के संविधान में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में परिकल्पित है। एक से अधिक राज्यों में काम करने वाली सहकारी समितियों के लिए, बहु-राज्य

सहकारी समिति अधिनियम, 1984 को संसद द्वारा संविधान की अनुसूची VII सूची I प्रविष्टि 44 के तहत अधिनियमित किया गया था। सहकारी समिति अनिवार्य रूप से उन व्यक्तियों का एक संघ या संघ है जो आर्थिक विकास के एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ आए हैं।

विकास या पारस्परिक सहायता के लिए।

26. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जहां तक विषय 'सहकारी समितियों' का संबंध है, कोई भी ओवरलैप नहीं है। सहकारी

एक विषय वस्तु के रूप में समितियाँ पूरी तरह से और विशेष रूप से राज्य विधानसभाओं से संबंधित हैं जिन पर कानून बनाया जाता है, जबकि बहु-राज्य सहकारी समितियाँ यानी सहकारी समितियाँ जिनके उद्देश्य केवल एक राज्य तक ही सीमित नहीं हैं, वे विशेष रूप से संसद के अधिकार क्षेत्र में हैं। यह मामला होने के कारण, इस मामले के तथ्यों पर यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई ओवरलैप नहीं है और इसलिए, इस अदालत के फैसलों द्वारा निर्धारित संघीय सर्वोच्चता सिद्धांत को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जहां तक सहकारी समितियों का संबंध है, हमारे पास राज्य विधानमंडलों के साथ कानून बनाने की अनन्य शक्ति बची है, जो सूची II की प्रविष्टि 32 के साथ पठित अनुच्छेद 246 (3) में निहित है। वास्तव में, के. दामोदरसामी नायडू एंड ब्रदर्स में। वी. टी. एन. राज्य, (2000) 1 एस. सी. सी. 521, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 21. संसद, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्तियों का प्रयोग करते समय, राज्य अधिनियमों में संशोधन नहीं कर सकती है और न ही करती है। संविधान में ऐसा कोई अन्य प्रावधान नहीं है जो अनुमति देता है
और इस न्यायालय का ऐसा कोई निर्णय नहीं है जो ऐसा मानता हो। सातवीं अनुसूची में सूची II में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति विशेष रूप से राज्य की है।

विधायिकाएँ।

(जोर दिया गया)

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27. इस स्तर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में निहित संविधान संशोधन की शक्ति का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। लेख 368 इस प्रकार है: -

भाग XX

संविधान में संशोधन

368. संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और

इसके लिए प्रक्रिया।

(1) इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, संसद अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त के रूप में संशोधन कर सकती है - इस संविधान के किसी भी प्रावधान को तदनुसार परिवर्तित या निरस्त करना।

इस लेख में निर्धारित प्रक्रिया के साथ।

(2) इस संविधान का संशोधन केवल इसके द्वारा शुरू किया जा सकता है -

के किसी भी सदन में इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक पेश करना

संसद, और जब विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन में उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई के बहुमत से पारित किया जाता है और

मतदान करते हुए, इसे राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा जो अपना

विधेयक को स्वीकृति देना और उसके बाद संविधान कायम रहेगा।

बशर्ते कि यदि ऐसा संशोधन इसमें कोई परिवर्तन करना चाहता है (क) अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद

279 ए या

(ख) भाग 5 का अध्याय 4, भाग 6 का अध्याय 5 या भाग 5 का अध्याय 1।

भाग XI, या

((घ) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, या ((ङ) इस अनुच्छेद के प्रावधान,

संशोधन के लिए प्रावधान करने वाले विधेयक से पहले उन विधानमंडलों द्वारा पारित प्रस्तावों द्वारा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा भी अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

इस तरह के संशोधन को राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

28. यह देखा जा सकता है कि अनुच्छेद 368 (1) संसद को संदर्भित करता है, जो संविधान में संशोधन करने के लिए अपनी "घटक शक्ति" का प्रयोग कर सकती है।

संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ना, बदलना या निरस्त करना। हालाँकि यह निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए।

लेख में नीचे।

29. जहाँ तक किसी भी प्रावधान में किए गए संशोधनों का संबंध है

30. परंतुक का उपखंड (बी) महत्वपूर्ण है और भाग V के अध्याय IV की बात करता है जो केंद्रीय न्यायपालिका से संबंधित है जिसमें - भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भाग VI का अध्याय V जो राज्यों में उच्च न्यायालयों से संबंधित है, और भाग XI का अध्याय I जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। जहाँ तक अनुच्छेद 246, जो भाग 11 के अध्याय 1 का हिस्सा है, पर संवैधानिक संशोधन के प्रभाव का संबंध है, हम सीधे उपखंड (बी) से संबंधित हैं।

31. परंतुक का उपखंड (ग) तब 7 वीं अनुसूची की किसी भी सूची में किए जा रहे किसी भी परिवर्तन की बात करता है, जिसमें निश्चित रूप से शामिल होंगे:

32. यदि किसी संशोधन की विषय वस्तु परंतुक के अंतर्गत आती है, तो अतिरिक्त प्रक्रियात्मक आवश्यकता यह है कि ऐसा संशोधन इस तरह के संशोधन के लिए प्रावधान करने वाले विधेयक को [2021] 5 एस. सी. आर. में प्रस्तुत करने से पहले उन विधानसभाओं द्वारा पारित उस प्रभाव के प्रस्ताव द्वारा कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

सहमति के लिए राष्ट्रपति। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के विपरीत, जिसमें पंचायतों से संबंधित भाग IX और नगर पालिकाओं से संबंधित भाग IXA को शामिल किया गया था, जिन संशोधनों को कम से कम आधे राज्यों द्वारा भी अनुमोदित किया गया था, 97वें संशोधन में सहकारी समितियों से संबंधित अध्याय को शामिल किया गया है। द. इस अपील में जो प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या इस अध्याय के जुड़ने को इस तरह के अनुसमर्थन के अभाव में अमान्य या अप्रमाणित कहा जा सकता है।

33. इस बिंदु पर, पहले अनुच्छेद 368 (1) में निर्दिष्ट संसद की 'घटक शक्ति' के दायरे से निपटना महत्वपूर्ण है। इस न्यायालय के कई निर्णयों में कहा गया है कि हालांकि संविधान का संशोधन घटक शक्ति का प्रयोग है जो सामान्य विधायी शक्ति से अलग है, लेकिन ऐसी घटक शक्ति संसद को मूल संविधान सभा में परिवर्तित नहीं करती है। संसद के पास सीमित शक्ति होने के कारण ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल भारत के संविधान में निहित प्रक्रियात्मक और मूल सीमाओं दोनों के अनुसार ही किया जा सकता है। प्रक्रियात्मक सीमाएँ अनुच्छेद 368 के उप अनुच्छेद 2 में निहित हैं। केशवानंद भारती बनाम मामले में इस न्यायालय के प्रसिद्ध निर्णय द्वारा मूल सीमा निर्धारित की गई है। केरल राज्य, (1973) 4 एस. सी. सी. 225, जिसके द्वारा एक संवैधानिक संशोधन केवल तभी पारित किया जा सकता है जब यह संविधान की बुनियादी संरचना या आवश्यक विशेषताओं को नुकसान नहीं पहुंचाता है।

34. इस प्रकार, एम. नागराज बनाम. भारत संघ, (2006) 8 एस. सी. सी. 212, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

103. कानून की वैधता निर्धारित करने के लिए मानदंड कानून बनाने वाले प्राधिकरण की क्षमता है। कानून बनाने वाले प्राधिकारी की क्षमता विधायी शक्ति के दायरे और उस पर लगाई गई सीमाओं के साथ-साथ शक्ति के प्रयोग के तरीके पर भी निर्भर करेगी। यद्यपि संविधान में संशोधन करने की शक्ति एक घटक शक्ति की प्रकृति में है और विधायी शक्ति से सामग्री में भिन्न, घटक शक्ति पर लगाई गई सीमाएं मूल के साथ-साथ प्रक्रियात्मक भी हो सकती हैं। पर्याप्त सीमाएँ वे हैं जो संशोधन शक्ति के प्रयोग के क्षेत्र को प्रतिबंधित करती हैं। दूसरी ओर प्रक्रियात्मक सीमाएँ वे हैं जो संशोधन शक्ति के प्रयोग के तरीके के संबंध में प्रतिबंध लगाती हैं। ये दोनों सीमाएँ घटक शक्ति को ही छूती हैं और प्रभावित करती हैं, जिसकी अवहेलना से इसका प्रयोग अमान्य हो जाता है। (किहोतो होल्लोहन बनाम देखें। ज़चिल्लू [1992]

पूरक (2) एस. सी. सी. 651]।)

भारत का आयन बनाम। राजेन्द्र एन. शाह और एक अन्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

35. आई. आर. कोएल्हो बनाम टी. एन. राज्य, (2007) 2 एस. सी. सी. 1, यह न्यायालय

122. संशोधित अनुच्छेद 368 में स्पष्ट रूप से बताए गए "घटक शक्ति" शब्दों का दायरा और सामग्री सामने आई

अनियंत्रित, कि यह संशोधन करने की शक्ति पर सभी सीमाओं को हटा देता है और यह कि यह अनुच्छेद 14 और 19 के साथ पठित अनुच्छेद 21 के स्वर्ण त्रिकोण को समाप्त करने का प्रयास करता है। (मिनर्वा मिल्स मामला [(1980) 3 एससीसी 625] भी देखें। 123. यह केशवानंद भारती मामला [(1973) 4 एस. सी. सी. 225] है जिसे इंदिरा गांधी मामले [1975] में खन्ना, जे. के स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाता है।

मान लीजिए कि एस. सी. सी. 1] जो हमें एक कदम आगे ले जाता है, अर्थात्, मौलिक अधिकार आपस में जुड़े हुए हैं और उनमें से कुछ मूल संरचना का हिस्सा हैं जैसा कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 में परिलक्षित होता है। अनुच्छेद 14 के साथ पढ़ें, अनुच्छेद 14 को अनुच्छेद 16 (4), (4-ए), (4-बी) आदि के साथ पढ़ें। भारती [(1973) 4 एस. सी. सी. 225] और इंदिरा गांधी [1975 सपॉर्ट एस. सी. सी. 1] मामलों को एक साथ पढ़ना होगा और यदि ऐसा है तो पढ़ें

कानून में स्थिति यह है कि उपरोक्त अनुच्छेदों में परिलक्षित मूल संरचना उस संशोधन की वैधता का न्याय करने के लिए एक परीक्षण प्रदान करती है जिसके द्वारा कानून नौवीं अनुसूची में शामिल हैं।

124. चूँकि संविधान में संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है, यदि संशोधनों द्वारा लाए गए परिवर्तन संविधान की पहचान को नष्ट कर देते हैं, तो ऐसे संशोधन अमान्य हो जाएंगे। यही कारण है कि जब नौवीं अनुसूची में विधान को जोड़कर अनुच्छेद 368 के तहत घटक शक्ति का प्रयोग करके पूरे भाग III को संवैधानिक संशोधन द्वारा छीनने की मांग की जाती है, तो सवाल यह निर्धारित करने के लिए उपलब्ध न्यायिक जांच की सीमा के रूप में उत्पन्न होता है कि क्या यह संविधान के मूल सिद्धांतों को बदलता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण देने के लिए धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी मौलिक बात है, समानता दूसरी। यह दर्शाता है कि

अनुच्छेद 14 और 15 को नष्ट करने या इन मौलिक अधिकारों को निरस्त करने या समाप्त करने की अनुमति नहीं है। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि संसद तीनों में वृद्धि कर सकती है। विधायी सूचियाँ, लेकिन सभी सूचियों को निरस्त नहीं कर सकते क्योंकि यह संघीय ढांचे को निरस्त कर देगा।

21] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

125. इस प्रश्न को दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। क्या संसद अनुच्छेद 368 में संशोधन करके संशोधन करने की शक्ति बढ़ा सकती है ताकि वह खुद को संशोधन की असीमित शक्ति प्रदान कर सके और संविधान के मूल सिद्धांतों को नष्ट और नुकसान पहुंचा सके? इसका जवाब स्पष्ट है। अनुच्छेद 368 में ऐसी शक्ति निहित नहीं है।

संसद। यह संशोधन शक्ति पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को नहीं हटा सकता है या संशोधन शक्ति को उसके सभी प्रतिबंधों से मुक्त नहीं कर सकता है। यह केशवानंद भारती मामले [(1973) 4 एस. सी. सी. 225] में निर्णय का प्रभाव है जिसके परिणामस्वरूप धर्मनिरपेक्षता, शक्ति का पृथक्करण, समानता, आदि, कुछ उदाहरणों का हवाला देते हुए, इस अर्थ में घटक शक्ति से परे हो जाएगा कि घटक शक्ति संविधान के इन मूल सिद्धांतों को निरस्त नहीं कर सकती है। समानता के बिना कानून का शासन, धर्मनिरपेक्षता आदि विफल हो जाएंगे। यही कारण है कि न्यायमूर्ति खन्ना ने माना कि अनुच्छेद 15 जैसे कुछ मौलिक अधिकार मूल संरचना का हिस्सा हैं।

XXX XXX XXX

137. केशवानंद भारती मामले [(1973) 4 एस. सी. सी. 225] में चर्चा असंशोधित अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त संशोधन शक्ति पर थी जिसमें "घटक शक्ति" शब्दों का उपयोग नहीं किया गया था। हम पहले से ही मूल शक्ति के बीच के अंतर को नोट कर चुके हैं संविधान का निर्माण, जिसे घटक शक्ति के रूप में जाना जाता है और अनुच्छेद 368 के तहत संसद में निहित घटक शक्ति की प्रकृति। अनुच्छेद 368 में "घटक शक्ति" शब्दों को जोड़ने से, संशोधन करने वाला निकाय, अर्थात् संसद मूल संविधान सभा नहीं बन जाती है। यह एक नियंत्रित संविधान के तहत एक संसद बनी हुई है। अनुच्छेद 368 में "घटक शक्ति" शब्द जोड़े जाने के बाद भी, बुनियादी संरचना के सिद्धांत की सीमाएँ संसद पर लागू होती रहेंगी। इसी आधार पर 42 वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में अंत:स्थापित खंड (4) और (5) को मिनर्वा मिल्स मामले [(1980) 3 एस. सी. सी. 625] में निरस्त कर दिया गया था।

36. इसलिए, किसी संवैधानिक संशोधन को चुनौती प्रक्रियात्मक या मूल आधारों पर हो सकती है जैसा कि यहाँ ऊपर कहा गया है। वर्तमान में

मामला अनुच्छेद 368 (2) परंतुक में निहित प्रक्रियात्मक आधार से संबंधित है।

37. अनुच्छेद 368 (2) के प्रावधान को लागू करने के लिए, इस न्यायालय द्वारा अपने कुछ निर्णयों में विभिन्न परीक्षण निर्धारित किए गए हैं। जब से परीक्षण किए गए हैं

नीचे संकरी प्रसाद सिंह (ऊपर) और सज्जन सिंह (ऊपर) हैं।

किहोतो होलोहन के मामले (ऊपर) में संदर्भित, हम इस निर्णय का कुछ विस्तार से उल्लेख कर सकते हैं।

38. तीन विद्वान न्यायाधीशों का बहुमत निर्णय

वेंकटचलैया, जे. ने भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 7 को निर्धारित किया है, जो दलबदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। न्यायालय मूल और प्रक्रियात्मक दोनों आधारों पर 10वीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता से चिंतित था। जहाँ तक प्रक्रियात्मक आधार का संबंध है, अनुच्छेद 7, जिसने सभी न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में कहा जाता था कि राज्यों द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक था और 10वीं अनुसूची, राज्यों द्वारा अनुसमर्थन नहीं किए जाने के कारण, यह आग्रह किया गया था कि इस मामले में पूरा संशोधन कमजोर होगा।

10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 7 को फैसले के पैरा 16 में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

-

" 7. न्यायालयों की अधिकारिता का बार। —इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, किसी भी न्यायालय को इस संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा -

किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित कोई मामला

इस अनुसूची के तहत सदन "।

39. पैरा 24 में, कई प्रश्न निर्धारित किए गए थे जिनका उस मामले में संविधान पीठ द्वारा उत्तर दिया जाना आवश्यक था। हम सीधे हैं

(बी) से (डी) तक के प्रश्नों से संबंधित जो निम्नानुसार हैं: -

24. सुनवाई में उठाए गए और आग्रह किए गए तर्कों पर प्रश्न

जिन पर विचार किया जाना चाहिए वे निम्नलिखित हैं:

XXX

XXX

XXX

(बी) के विधायी इतिहास और विकास को ध्यान में रखते हुए

दसवीं अनुसूची, पैराग्राफ 7 में अंतर्निहित सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 136,226 और 227 के संचालन और प्रभाव में परिवर्तन लाते हैं और इसलिए, संशोधन पेश करने वाला विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के प्रावधान को आकर्षित करता है और इसके लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होगी:

राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया। (ग) अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक का अनुपालन न करने की स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए न केवल दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 7, बल्कि संविधान (पचास-दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1985 के परिणामस्वरूप संपूर्ण विधेयक भी दूषित हो जाता है और कथित संशोधन विफल हो जाता है और कानून में एक वैध संशोधन नहीं लाता है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

या क्या इस तरह के गैर-अनुपालन का प्रभाव अमान्य हो जाता है

केवल अनुच्छेद 7 और अन्य प्रावधान जो अपने आप में परंतुक को आकर्षित नहीं करते हैं, अमान्य नहीं हो जाते हैं।

((घ) यदि राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन न किए जाने का प्रभाव केवल अनुच्छेद 7 को ही अमान्य कर देता है, तो भी पूरी दसवीं अनुसूची गैर-पृथक्करण के लिए विफल हो जाती है। पृथकता का सिद्धांत, जैसा कि उनकी संवैधानिकता को बढ़ावा देने के लिए सामान्य कानूनों पर लागू होता है, संवैधानिक संशोधनों पर लागू नहीं होता है। अन्यथा भी, दसवीं अनुसूची के विधायी इरादे और योजना को ध्यान में रखते हुए, पैराग्राफ 7 के विच्छेद और निष्कासन के बाद, दसवीं अनुसूची के अन्य प्रावधान काटे जाते हैं, और अव्यवहारिक हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं। विधायिका पैराग्राफ 7 के बिना दसवीं अनुसूची को अधिनियमित नहीं करती जो इसका मूल है।

XXX

XXX

XXX

40. यह देखते हुए कि क्या पैराग्राफ 7 में राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी, इस न्यायालय ने संकरी प्रसाद सिंह (ऊपर) और एन सिंह (ऊपर) के साथ निम्नानुसार व्यवहार किया: -

58. संकरी प्रसाद मामले (1952 एस. सी. आर. 89) में सवाल यह था कि क्या अनुच्छेद 31-ए और 31-बी में संशोधन किया गया है।

संविधान को उक्त परंतुक के तहत अनुसमर्थन की आवश्यकता थी।

इस तर्क को पलटते हुए यह देखा गया: (एस. सी. आर पी. 108)

जो, लेकिन ऐसे प्रावधान के लिए, अनुच्छेद 13 के तहत आक्षेपित होने के लिए उत्तरदायी होगा। यह कहना सही नहीं है कि की शक्तियाँ उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 'भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए' या इस न्यायालय के अनुच्छेद 132 और 136 के तहत ऐसे रिट जारी करने या अस्वीकार करने के आदेशों की अपीलों पर विचार करने के लिए रिट जारी करना किसी भी तरह से प्रभावित होता है। वे वैसे ही हैं जैसे वे पहले थे: केवल एक निश्चित वर्ग के मामले को भाग III और भारत के आई. ओ. एन. v के दायरे से बाहर रखा गया है।

अदालतें अब हस्तक्षेप नहीं कर सकती थीं, इसलिए नहीं कि उनकी शक्तियाँ किसी भी तरह से या किसी भी हद तक कटौती की गई थी, लेकिन क्योंकि ऐसे मामलों में अपनी शक्ति के प्रयोग के लिए इसके बाद कोई अवसर नहीं होगा।

59. सज्जन सिंह मामले [(1965) 1 एस. सी. आर. 933] में संविधान (सत्रहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1964 की वैधता के खिलाफ एक समान विवाद उठाया गया था, जिसके द्वारा अनुच्छेद 31-ए को फिर से संशोधित किया गया था और 44 कानूनों को नौवीं अनुसूची में जोड़ा गया था। संविधान। सवाल फिर से यह था कि क्या संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के प्रावधान के तहत अनुसमर्थन की आवश्यकता है। इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर इस प्रकार ध्यान दिया: (एस. सी. आर पी. 940)

" हमारे निर्णय के लिए जो प्रश्न आवश्यक है वह है: भाग III में निहित संवैधानिक प्रावधान में संशोधन करने की क्या आवश्यकता होगी, यदि उक्त प्रावधान के परिणामस्वरूप

संशोधन, उच्च न्यायालयों को प्रदत्त शक्तियाँ

अनुच्छेद 226 के प्रभावित होने की संभावना है?

60. अनुसमर्थन न किए जाने के आधार पर संशोधन की चुनौती को नकारते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया: (एस. सी. आर पी. 944)

इस प्रकार, यदि पिथ और पदार्थ परीक्षण लागू किया जाता है

66

विवादित अधिनियम द्वारा किया गया संशोधन, यह स्पष्ट होगा कि संसद केवल उस सामाजिक-आर्थिक नीति को पूरा करने में किसी भी संभावित बाधा को दूर करने के उद्देश्य से मौलिक अधिकारों में संशोधन करना चाहती है जिसमें पार्टी सत्ता में है।

विश्वास करते हैं। यदि ऐसा है, तो उस क्षेत्र पर संशोधन का प्रभाव, जिस पर अनुच्छेद 226 द्वारा निर्धारित उच्च न्यायालयों की शक्तियां संचालित होती हैं, आकस्मिक है और वर्तमान मामले में एक महत्वहीन आदेश के रूप में वर्णित किया जा सकता है। विवादित अधिनियम का उद्देश्य अनुच्छेद 226 के प्रावधानों को बदलना नहीं है और यह नहीं कहा जा सकता है कि इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से या किसी भी तरह से सराहनीय है। माप। यही कारण है कि हम सोचते हैं कि यह तर्क कि विवादित अधिनियम परन्तुक के अंतर्गत आता है, कायम नहीं रखा जा सकता है।

61. संकरी प्रसाद सिंह [1952 एस. सी. आर. 89] और सज्जन सिंह मामलों [(1965) 1 एस. सी. आर. 933] में विचार के लिए आए प्रस्ताव वास्तव में अलग हैं। वहाँ अनुच्छेद 136 और 226 के तहत अदालतों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को छीनने की मांग नहीं की गई थी और न ही उन

प्रावधानों में "संदर्भ में या प्रभावी रूप से" कोई बदलाव लाया गया था, क्योंकि वही अधिकार जो सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट हो सकते हैं।

एस सी आर।

न्यायालयों द्वारा न्यायनिर्णित और लागू किए जाने को स्वयं संविधान द्वारा छीन लिया गया था। परिणाम यह हुआ कि न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में काम करने के लिए कोई क्षेत्र नहीं था। पैराग्राफ 7 के संदर्भ में मामले पूरी तरह से अलग हैं। वास्तव में उपरोक्त मामले, आवश्यक निहितार्थ से याचिकाकर्ताओं के लिए आग्रह किए गए बिंदु का समर्थन करते हैं। परंतुक द्वारा परिकल्पित भाग 5 के अध्याय 4 और भाग 6 के अध्याय 5 में परिवर्तन प्रत्यक्ष होने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन या तो "के संदर्भ में या प्रभावी" हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि परंतुक को आकर्षित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 और 226 की भाषा में परिवर्तन करना। यदि प्रभावी रूप से इन लेखों को अप्रभावी बना दिया जाता है और लागू नहीं किया जाता है तो ये लेख कहाँ लागू हो सकते हैं।

अन्यथा लागू किया गया है या किया जाता है, लेकिन पैराग्राफ 7 के लिए, 'प्रभावी रूप से' उन प्रावधानों में परिवर्तन है जो परंतुक को आकर्षित करते हैं। वास्तव में इस स्थिति को सज्जन सिंह मामले [(1965) 1 एस. सी. आर. 933] में मान्यता दी गई थी जहाँ यह कहा गया थाः (एस. सी. आर पी. 944)

" यदि अनुच्छेद 226 पर मौलिक अधिकारों में किए गए संशोधन का प्रभाव प्रत्यक्ष है और आकस्मिक नहीं है और बहुत महत्वपूर्ण क्रम का है, तो शायद अलग-अलग विचार उत्पन्न हो सकते हैं।

62. वर्तमान मामले में, हालांकि संशोधन अनुच्छेद 136,226 और 227 की भाषा में सीधे कोई बदलाव नहीं लाता है।

हालाँकि, संविधान का अनुच्छेद 7 प्रभावी रूप से दसवीं अनुसूची के तहत आने वाले मामलों के संबंध में उन अनुच्छेदों के संचालन को कम करता है। अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक के खंड (ख) के अर्थ के भीतर अनुच्छेद 136,226 और 227 के प्रभाव में परिवर्तन हुआ है। पैराग्राफ 7, इसलिए, परंतुक को आकर्षित करता है और अनुसमर्थन आवश्यक था। तदनुसार, बिंदु (बी) पर, हम मानते हैंः

" कि संविधान (बावनवा संशोधन) अधिनियम, 1985 में अंतर्निहित सिद्धांतों की पृष्ठभूमि और विकास को ध्यान में रखते हुए, जहां तक यह भारत के संविधान में दसवीं अनुसूची को लागू करने का प्रयास करता है, संविधान के अनुच्छेद 7 के प्रावधान

संविधान की दसवीं अनुसूची अनुच्छेद 136,226 के संचालन और प्रभाव में परिवर्तन लाती है। और भारत के संविधान की धारा 227 और इसलिए, संशोधन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उप अनुच्छेद (2) के परंतुक के अनुसार अनुमोदित करने की आवश्यकता होगी। ”

41. यहां तक कि वर्मा, डी. शर्मा, जे. द्वारा दो विद्वान न्यायाधीशों के अल्पमत निर्णयों ने पैराग्राफ 7 और वास्तव में पूरे 10 वें युगल को संवैधानिक रूप से कमजोर घोषित कियाः

भारत का आयन बनाम। राजेन्द्र एन. शाह और एक अन्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

156. प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 7 संविधान के अनुच्छेद 136,226 और 227 में परिवर्तन करने का प्रयास करता है क्योंकि दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 7 के बिना अध्यक्ष/सभापति का निर्णय अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 102 के खंड (1) में प्रदान की गई अन्य अयोग्यताओं के बारे में निर्णयों के मामले में अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होगा। हालांकि, कुछ विद्वान वकीलों ने सांकरी प्रसाद सिंह पर निर्भरता रखने का तर्क दिया

देव वी. भारत संघ [1952 एससीआर 89] और सज्जन सिंह बनाम। राजस्थान राज्य [(1965) 1 एस. सी. आर. 933] कि इस प्रकार का प्रभाव

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का पूर्ण अपवर्जन अनुच्छेद 136,226 और 227 में कोई परिवर्तन नहीं करता है। इन निर्णयों को बारीकी से पढ़ने से संकेत मिलता है कि वे इस विवाद का समर्थन करने के बजाय वास्तव में इसे नकारात्मक बनाते हैं।

157. संकरी प्रसाद [1952 एस. सी. आर. 89] में चुनौती थी

संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31-ए और 31 2 डीबी जोड़ा गया। आपत्तियों में से एक अनुच्छेद 368 के तहत अनुसमर्थन के अभाव पर आधारित थी। इस तर्क को अस्वीकार करते हुए, संविधान पीठ ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

(एस. सी. आर पी. 108)

" यह देखा जाएगा कि ये अनुच्छेद या तो संदर्भ में या प्रभावी रूप से अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 132 और 136 में कोई बदलाव नहीं करते हैं। अनुच्छेद 31-ए का उद्देश्य भाग 3 में अन्य प्रासंगिक अनुच्छेदों के साथ पठित अनुच्छेद 13 के संचालन से राज्य द्वारा एक निश्चित प्रकार की संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने वाले कानूनों को बचाना है, जबकि अनुच्छेद 31-बी का उद्देश्य पहले से पारित कुछ निर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों को मान्य करना है। जो, लेकिन ऐसे प्रावधान के लिए, अनुच्छेद 13 के तहत आक्षेपित होने के लिए उत्तरदायी होगा। यह कहना सही नहीं है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की 'भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए' रिट जारी करने की शक्तियां या अनुच्छेद 132 और 136 के तहत इस न्यायालय की ऐसी रिट जारी करने या अस्वीकार करने के आदेशों से अपीलों पर विचार करने की शक्तियां किसी भी तरह से प्रभावित हैं। वे वैसे ही हैं जैसे वे पहले थे: केवल एक निश्चित वर्ग के मामले को भाग III और [2021] 5 एस. सी. आर. के दायरे से बाहर रखा गया है।

 अदालतें अब हस्तक्षेप नहीं कर सकती थीं, इसलिए नहीं कि उनकी शक्तियाँ

किसी भी तरह से या किसी भी हद तक कटौती की गई थी, लेकिन क्योंकि ऐसे मामलों में अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए इसके बाद कोई अवसर नहीं होगा।

158. परीक्षण लागू किया गया था कि क्या विवादित प्रावधान

संवैधानिक संशोधन द्वारा अंत:स्थापित 'या तो संदर्भ में या प्रभावी रूप से अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 132 और 136 में कोई परिवर्तन करने का प्रयास करता है'। इस प्रकार परिवर्तन या तो स्पष्ट रूप से या इन अनुच्छेदों में प्रभावी हो सकता है ताकि अनुसमर्थन की आवश्यकता हो। उसमें तर्क को अस्वीकार करने का आधार यह था कि अदालतों में उपचार परिवर्तन से अप्रभावित और अप्रभावित रहा और परिवर्तन वास्तव में उपचार मांगने के अधिकार के विलुप्त होने से था। दूसरे शब्दों में, परिवर्तन सही था और अदालत से संपर्क करने का उपाय नहीं था क्योंकि उपचार का आह्वान करने का कोई अवसर नहीं था, अधिकार को ही छीन लिया गया था। इसी प्रभाव के लिए सज्जन सिंह [(1965) 1 एस. सी. आर. 933] में निर्णय लिया गया है, जिसमें संकरी प्रसाद [1952 एस. सी. आर. 89] ने स्पष्ट रूप से कहा था कि

संकरी प्रसाद [1952 एस. सी. आर. 89] पर पुनर्विचार करने का कोई औचित्य नहीं था। 159. किसी अधिकार के संक्षिप्तकरण या विलुप्त होने और अधिकार के प्रवर्तन के लिए उपचार के प्रतिबंध के बीच अंतर करना होगा। यदि अधिकार का कोई संक्षिप्तकरण या विलोपन होता है जिसके परिणामस्वरूप कार्रवाई का कारण गायब हो जाता है जो उपचार का आह्वान करने में सक्षम बनाता है और जिसके अभाव में शिकायत करने और मौजूदा उपचार का आह्वान करने का कोई अवसर नहीं होता है, तो लाया गया परिवर्तन सही है न कि उपचार। इस स्थिति में संकरी प्रसाद [1952 एससीआर 89] और सज्जन

सिंह [(1965) 1 एस. सी. आर. 933] आवेदन करते हैं। दूसरी ओर, यदि अधिकार अछूता रहता है ताकि उस पर आधारित शिकायत उत्पन्न हो सके

और, इसलिए, कार्रवाई का कारण बना रहता है, लेकिन उपचार को कम कर दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है ताकि उस उपचार के अभाव में कार्रवाई का कारण लागू नहीं किया जा सके, फिर किया गया परिवर्तन उपचार में है न कि वर्तमान अधिकार में। इस बाद की श्रेणी के लिए, संकरी प्रसाद [1952 एससीआर 89] और सज्जन सिंह [(1965) 1

एस. सी. आर. 933] का कोई आवेदन नहीं है। यह संकरी प्रसाद [1952 एस. सी. आर. 89] में उपरोक्त उद्धृत अंश से स्पष्ट है जो स्पष्ट रूप से अधिकार में परिवर्तन और उपचार में परिवर्तन के बीच इस अंतर को सामने लाता है।

160. वर्तमान मामला, स्पष्ट शब्दों में, दसवीं अनुसूची में अनुच्छेद 7 को अधिनियमित करके उपचार को नष्ट करने का है, जिसमें अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों सहित न्यायिक समीक्षा का पूर्ण बहिष्कार किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 7 के लिए, जो उपचार से संबंधित है न कि अधिकार से, अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता अनुच्छेद 6 के तहत निर्णय को चुनौती देने के लिए अप्रभावित रहेगी, जैसा कि अन्य अधिकारों से संबंधित निर्णयों के मामले में होता है। अनुच्छेद 102 और 191 के खंड (1) में विनिर्दिष्ट अयोग्यताएं, जो उपाय अभी भी मौजूद हैं। इस प्रकार, अधिकार को कम किए बिना अकेले उपचार का यह विलुप्त होना, क्योंकि दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न के लिए अधिनियमित सिद्धांतों पर निर्णय की आवश्यकता होती है,

इसके परिणामस्वरूप भाग 5 में अध्याय 4 में अनुच्छेद 136 और भाग 6 में अध्याय 5 में अनुच्छेद 226 और 227 में परिवर्तन किया गया है।

संविधान। 161. इस निष्कर्ष पर, यह निर्विवाद है कि अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक के लिए राष्ट्रपति के समक्ष संवैधानिक संशोधन करने की मांग करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले निर्दिष्ट संख्या में राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।

सहमति दें।

42. हाल के एक निर्णय में, डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। मुख्यमंत्री और अन्य। , 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 362, यह न्यायालय संविधान (102 वां संशोधन) अधिनियम, 2018 की वैधता माना जाता है

जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुच्छेद 366 (26 सी) और 342 ए शामिल किए गए। इस संशोधन के परिणामस्वरूप, अकेले राष्ट्रपति को, अन्य सभी प्राधिकरणों को छोड़कर, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (एस. ई. बी. सी.) की पहचान करने और उन्हें अनुच्छेद 342 ए (1) के तहत प्रकाशित की जाने वाली सूची में शामिल करने का अधिकार है, जिसे संविधान के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में एस. ई. बी. सी. को शामिल करने वाला माना जाएगा।

43. इस 102 वें संशोधन अधिनियम को, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा रहा है, संविधान संशोधन कमजोर था। इस न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष छह प्रश्न तैयार किए गए थे। जहाँ तक 102 वें संशोधन अधिनियम का संबंध है, हम यहाँ 4 से 6 प्रश्नों से चिंतित हैं, जो न्यायमूर्ति अशोक भूषण के फैसले के पैराग्राफ 10 में इस प्रकार दिए गए हैं:

4. क्या संविधान एक सौ दूसरा संशोधन

राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की अपनी शक्ति से वंचित करता है।

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करना और

उक्त समुदाय को इसके तहत लाभ प्रदान करना

शक्ति?

5. क्या किसी पिछड़े वर्ग के संबंध में कानून बनाने की राज्यों की शक्ति है

अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के तहत "वर्ग" को वैसे भी संक्षिप्त किया गया है

संविधान के अनुच्छेद 366 (26 सी) के साथ पठित अनुच्छेद 342 (ए)

भारत?

6. क्या संविधान का अनुच्छेद 342 ए राज्यों को निरस्त करता है '

भारत का संविधान? 44. न्यायमूर्ति भूषण ने संविधान को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया

संशोधन अधिनियम इस प्रकार है:

448. हम संविधान को चुनौती देने में कोई योग्यता नहीं पाते हैं

102nd संशोधन। संविधान 102 वां संशोधन नहीं करता है

संविधान की किसी भी मूल विशेषता का उल्लंघन करता है। का तर्क याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि अनुच्छेद 368 लागू नहीं किया गया है।

संविधान के 102 वें संशोधन की पुष्टि नहीं होने के बाद से इसका पालन किया गया

राज्य के आवश्यक बहुमत से। संसद कभी नहीं

पहचान के संबंध में राज्य के अधिकारों को लेने का इरादा

पिछड़े वर्ग, संविधान 102 वां संशोधन नहीं था

अनुच्छेद 368 उपखंड (2) के प्रावधान द्वारा कवर किया गया, इसलिए, वही

किसी अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं थी। प्रक्रियात्मक तर्क

102 वें संविधान संशोधन को पारित करने में उल्लंघन नहीं हो सकता है। स्वीकार भी करें। हम संविधान के 102 वें संशोधन को बरकरार रखते हैं।

ऊपर बताए गए तरीके से व्याख्या की गई। 45. पैराग्राफ में पाए गए निष्कर्ष 27 और 32 में इसे फिर से कहा गया था।

y भूषण, जे., और नजीर, जे. द्वारा निम्नलिखित रूप में सहमति व्यक्त की गई:

-

450. हमारी पूर्वगामी चर्चा और निष्कर्षों से हम इस पर पहुँचते हैं

निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

XXX XXX XXX

(27) इस प्रकार, यह सूर्य के प्रकाश के रूप में स्पष्ट है कि संसद का इरादा प्रवर समिति की रिपोर्ट और मंत्री के बयान से स्पष्ट होता है

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का आशय भारत के आई. ओ. एन. v.

राजेन्द्र एन. शाह और एक अन्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

संविधान संशोधन लाने के लिए संसद को नहीं लेना था

पिछड़े वर्ग की पहचान करने की राज्य की शक्ति को दूर करना राज्य।

XXX XXX XXX

(32) संविधान 102 वां संशोधन अधिनियम, 2018 में ऐसा नहीं है

संविधान की किसी भी मूल विशेषता का उल्लंघन करता है। हम इसका समर्थन करते हैं

संविधान की संवैधानिक वैधता (एक सौ दो)

संशोधन) अधिनियम, 2018। 46. हालांकि, न्यायमूर्ति रवींद्र भट न्यायाधीशों से अलग थे।

हन और नजीर के साथ न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और सी. ई. हेमंत गुप्ता भी शामिल हुए (फैसले के पैरा 455 और 481 देखें)।47. द्वितीय संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में किए गए संशोधनों को निर्धारित करने के बाद, न्यायमूर्ति भट ने कहा:

669. इस न्यायालय की यह भी राय है कि परिवर्तन लाया गया

102 वें संशोधन द्वारा, विशेष रूप से अनुच्छेद 342 ए केवल एस. ई. बी. सी. और उनकी पहचान की प्रक्रिया के संबंध में है। सूची। आवश्यक रूप से, अन्य सभी मामलों के संबंध में नीतियां और कानून बनाने की शक्ति, यानी एस. ई. बी. सी. के लिए कल्याणकारी योजनाएं, संस्थानों की स्थापना, अनुदान, छात्रवृत्ति, आरक्षण की सीमा

और अनुच्छेद 15 (4), 15 (5) और 16 (4) के तहत विशेष प्रावधान पूरी तरह से राज्य सरकार के पास अपने संस्थानों के संबंध में हैं।

और इसकी सार्वजनिक सेवाएं (एजेंसियों के तहत सेवाओं सहित) और

निगम और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियाँ)। दूसरे शब्दों में, आरक्षण की सीमा, किस प्रकार के लाभ, छात्रवृत्ति की मात्रा, अनुच्छेद 15 (4) के तहत विशेष रूप से प्रदान किए जाने वाले स्कूलों की संख्या या कोई अन्य लाभकारी या कल्याणकारी योजना जो अनुच्छेद 15 (4) के तहत कल्पनीय है, इन सभी को राज्य अपने विधायी और कार्यपालिका के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। शक्तियाँ। इस शक्ति में सुझाव देना और

डेटा एकत्र करना-यदि आवश्यक हो, वैधानिक आयोगों के माध्यम से, अनुच्छेद 342 ए के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर राष्ट्रपति को जातियों और समुदायों को शामिल करने या बहिष्कृत करने की दिशा में सिफारिश करने के लिए। इससे समझौता होगा। अनुच्छेद 338 बी के तहत संविधान की भावना और

सहकारी संघवाद का सिद्धांत जो व्याख्या का मार्गदर्शन करता है

इस संविधान से।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

48. सज्जन सिंह ए) और किहोतो होलोहन (उपरोक्त) में निर्णयों के उद्धरणों को निर्धारित करने के बाद, विद्वान न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला:

बनाम -

682. इन मापदंडों के अनुसार, तिरछे और परिधीय तरीके से राज्य विधायी शक्ति की सामग्री में परिवर्तन नहीं होगा।

यह संघवाद की अवधारणा का उल्लंघन है। यह केवल तभी है जब

संशोधन संघवाद के सार को छीन लेता है या

संविधान की संघीय सामग्री को प्रभावी ढंग से अलग करता है, और राज्यों को कार्यकारी नीतियों (विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक) को कानून बनाने या तैयार करने की उनकी प्रभावी शक्ति की निंदा करता है कि संशोधन एक आवश्यक विशेषता को छीन लेगा या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करेगा। इस तरह के मानदंड को लागू करते हुए, इस अदालत की राय है कि राज्यों द्वारा अब तक एस. ई. बी. सी. की पहचान करने की शक्ति का प्रयोग किया जाता था और अब अनुच्छेद 342 ए के आधार पर राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र (और इसके संशोधन के लिए, संसद को) में स्थानांतरित किया जाता है, जो किसी भी तरह से संविधान की आवश्यक विशेषताओं या बुनियादी संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। 102 वाँ संशोधन है

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के प्रावधान के विपरीत या उल्लंघनकारी भी नहीं है। नतीजतन, यह माना जाता है कि रिट याचिका योग्यता के बिना है; इसे खारिज कर दिया जाता है।

(मूल में जोर)

49. और "निष्कर्ष" शीर्षक के तहत, यह आयोजित किया गया था:

188 .

XXX

XXX

XXX

(5) री. बिंदु संख्या 5-क्या अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के तहत "किसी भी पिछड़े वर्ग" के संबंध में कानून बनाने की राज्यों की शक्ति को अनुच्छेद 342 (ए) द्वारा अनुच्छेद 366 (26 सी) के साथ पढ़ा जाता है। भारत का संविधान। इन दो परस्पर संबंधित संदर्भ बिंदुओं पर,

मेरे निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

XXX

XXX XXX

(v) विशेष समुदायों या जातियों के पक्ष में आरक्षण देने की राज्यों की शक्ति, आरक्षण की मात्रा, लाभों की प्रकृति और आरक्षण के प्रकार और अनुच्छेद 15 और 16 के दायरे में आने वाले अन्य सभी मामले-सिवाय इसके कि -

एस. ई. बी. सी. की पहचान में कोई बाधा नहीं है।

XXX XXX

(6) पुनः बिंदु संख्या 6: संविधान का अनुच्छेद 342 ए "नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग" के संबंध में कानून बनाने या वर्गीकृत करने की राज्य की शक्ति को अस्वीकार करके संघीय राजनीति को प्रभावित या नुकसान नहीं पहुंचाता है और भारत के संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है।

50. हालाँकि, विद्वान महान्यायवादी श्री वेणुगोपाल ने गोलक नाथ (ऊपर) में वांचू, जे. रामास्वामी, जे. और जे. बचावत, के फैसलों पर दृढ़ता से भरोसा किया। यद्यपि ये निर्णय उस मामले में अल्पमत के निर्णय हैं, श्री वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि जहां तक अनुसमर्थन का संबंध है, इन निर्णयों में जो कहा गया है, उसके खिलाफ बहुमत के निर्णयों में कुछ भी नहीं है, और इसलिए इन निर्णयों का यह निर्धारित करने में काफी प्रेरक मूल्य होगा कि अनुछेद 368 (2) के प्रावधान के तहत अनुसमर्थन की आवश्यकता है या नहीं।

51. वंचू, जे. गोलक नाथ (ऊपर) में इस विषय पर कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं। वह कहता है: -

" यदि निहित प्रावधान में प्रत्यक्ष रूप से कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता है, तो किसी भी अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है, भले ही संविधान के किसी अन्य प्रावधान के किसी भी संशोधन का अप्रत्यक्ष रूप से परंतुक में उल्लिखित निहित प्रावधानों पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। (पृष्ठ 843 पर)

52. वह चर्चा करते हैं कि सज्जन सिंह के मामले (ऊपर) में क्या निर्णय लिया गया था और फिर किए गए परिवर्तनों के दो उदाहरण देते हैं।

जिसे वे "एक असंरक्षित अनुच्छेद" के रूप में वर्णित करते हैं, जिसके लिए एक अंतर्निहित अनुच्छेद के संशोधन की आवश्यकता होगी और यह केवल तभी होगा जब "संसद केवल संशोधन का अविश्वसनीय मार्ग अपनाए। बेजोड़ अनुच्छेद और बेजोड़ अनुच्छेद में संशोधन नहीं करते हुए, अदालतें कह सकती हैं कि बेजोड़ अनुच्छेद में संशोधन के लिए भी अनुसमर्थन आवश्यक है, क्योंकि इसके लिए सीधे तौर पर एक बेजोड़ अनुच्छेद में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। लेकिन इससे कम हमारी राय है कि केवल इसलिए कि एक अनुच्छेद के संशोधन द्वारा एक निहित अनुच्छेद पर अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रभाव पड़ता है

अनुच्छेद यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी परिस्थितियों में भी अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। (पृष्ठ देखें 844-845)

53. यदि इसके द्वारा, विद्वान न्यायाधीश ने सज्जन सिंह के मामले (ऊपर) में निर्धारित परीक्षण को एक और परीक्षण पेश करके संकुचित करने का इरादा किया है, अर्थात्, "एक अंतर्निहित अनुच्छेद" के संशोधन की आवश्यकता है, तो यह स्पष्ट है कि इस निर्णय को विशेष रूप से इस निर्णय के बाद अच्छा कानून नहीं माना जा सकता है।

किहोतो होल्लोहन (ऊपर) में बहुमत और अल्पसंख्यक दोनों के निर्णय। यही बात बचाव के लिए भी लागू होती है, जे के गोलक नाथ (ऊपर) में अल्पमत निर्णय जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया:

यह तर्क कि भाग III के संवैधानिक संशोधनों में था

अनुच्छेद 226 और 245 को बदलने का प्रभाव और नहीं हो सका अनुच्छेद 368 के प्रावधान का पालन किए बिना पारित नहीं किया गया है

टिकने योग्य। एक संवैधानिक संशोधन जो दावा नहीं करता है

अनुच्छेद 226 में सीधे या उसमें शब्द डालकर या उस पर प्रहार करके संशोधन करें। इसमें कोई बदलाव करने की कोशिश के रूप में नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार

226 में सभी क्षेत्रों में उच्च न्यायालय को शक्ति देता है जिसके संबंध में यह किसी व्यक्ति को जारी करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है या

उन क्षेत्रों के भीतर प्राधिकरण के लिए निर्देश, आदेश और रिट

भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रवर्तन और

कोई अन्य उद्देश्य। सत्रहवें संशोधन ने कोई प्रत्यक्ष नहीं किया अनुच्छेद 226 में परिवर्तन। इसने भाग III में परिवर्तन किए और संक्षिप्त या

उस भाग द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकारों को छीन लिया। इसके परिणामस्वरूप

परिवर्तनों में से, उनमें से कुछ अधिकार अब मौजूद नहीं हैं और

उच्च न्यायालय उन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी नहीं कर सकता है।

अनुच्छेद 226 के तहत इसकी शक्ति संयोग से प्रभावित होती है। लेकिन एक बदलाव अपने क्षेत्रों के क्षेत्र में या व्यक्तियों या प्राधिकरणों की संख्या में

उन क्षेत्रों के भीतर या इसके तहत लागू करने योग्य अधिकारों की संख्या में

भाग III या संयोग से शक्ति को प्रभावित करने वाले अन्य अधिकार अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को संशोधन नहीं माना जा सकता है।

उस लेख से।

(
पृष्ठ 919 पर)

54. यह मार्ग फिर से निर्धारित परीक्षण से भिन्न है।

संकरी प्रसाद सिंह देव (ऊपर) और किहोतो होलोहन (ऊपर) में निर्णय जो यह स्पष्ट करता है कि "एक निहित अनुच्छेद" पर किसी भी प्रभाव के लिए अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी यदि ऐसा प्रभाव महत्वहीन नहीं है -

अर्थात्, वास्तव में, एक "निहित अनुच्छेद" में परिवर्तन होता है जो उसमें निहित संवैधानिक सिद्धांतों सहित उक्त अनुच्छेद की सामग्री को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

55. इसी तरह, रामास्वामी, पृष्ठ 943 पर जे का अल्पमत निर्णय

945 समान विचारों को फिर से व्यक्त करना किस बात को ध्यान में रखते हुए पानी नहीं पकड़ सकता है

सज्जन सिंह (ऊपर) और किहोतो होलोहन (ऊपर) में बहुमत और अल्पसंख्यक दोनों निर्णयों में कहा गया है।

56. उपरोक्त निर्णयों को पढ़ने से संकेत मिलता है कि

" संविधान के किसी भी प्रावधान में अनुच्छेद 368 (2) के प्रावधान द्वारा बताए गए परिवर्तन को जोड़ने, घटाने या घटाने के अर्थ में प्रत्यक्ष होने की आवश्यकता नहीं है।

परंतुक में बताए गए विशेष अनुच्छेद या प्रावधान की भाषा को संशोधित करना। उपरोक्त निर्णय भारत संघ बनाम में 'परिवर्तन' की बात करते हैं।

संविधान के किसी भी प्रावधान का, फिर भी एक ऐसा परिवर्तन होगा जो किसी विशेष अनुच्छेद और उसमें निहित सिद्धांत को कुछ महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करेगा। 57. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि जहां तक विधायी शक्तियों का संबंध है, हमारे संविधान को इसमें अर्ध-संघीय के रूप में वर्णित किया गया है, हालांकि यहां ऊपर उल्लिखित संघीय सर्वोच्चता सिद्धांत को देखते हुए केंद्र और राज्यों के पक्ष में झुकाव है, फिर भी उनके अपने क्षेत्र के भीतर,

राज्यों के पास विशेष रूप से उनके लिए आरक्षित विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति है (भीम सिंह बनाम देखें। भारत संघ, (2010) 5 एस. सी. सी. 538 पैरा 45,46 और 48 पर; बी. पी. सिंघल बनाम भारत संघ, (2010) 6 एस. सी. सी. 331 पैरा 40-42 पर)। 58. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि भारत के संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूची II के साथ पढ़ा गया अनुच्छेद 246 (3) इस बात को दर्शाता है कि

महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत जिसे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा कहा जा सकता है, अर्थात् यह तथ्य कि संविधान एकात्मक नहीं बल्कि अर्ध-संघीय है। हमारे सामने जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या भारत के संविधान में भाग IXB को शामिल करके इस सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है, ताकि अनुच्छेद 246 (3) में प्रविष्ट राज्यों की विधायी शक्तियों को प्रविष्टि 32 सूची II के साथ पढ़ा जा सके।

7 वीं अनुसूची के बारे में कहा जा सकता है कि यह महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है

तरीके से। इस मोड़ पर, बिल्डर्स एसोसिएशन में इस न्यायालय के फैसले पर एक नज़र डालना भी महत्वपूर्ण है। भारत का वी। भारत संघ (ऊपर)। इस फैसले में, ठोस आधारों पर की गई चुनौती के अलावा, संविधान (46 वां संशोधन अधिनियम), 1982 को जमीनी स्तर पर चुनौती दी गई थी।

कि अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक का पालन इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि वस्तुओं की बिक्री पर कर से संबंधित प्रविष्टि 54 सूची II के दायरे को अनुच्छेद 366 (29 ए) में निहित एक परिभाषा को सम्मिलित करके विस्तारित किया गया था, जिसमें प्रविष्टि 54 में निहित वस्तुओं की बिक्री की अवधारणा को बहुत बढ़ाया गया था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रविष्टि 54 सूची II स्वयं संशोधन का विषय नहीं थी। सवाल यह था कि अनुच्छेद 366 में निहित परिभाषा खंड के माध्यम से उप-अनुच्छेद 29 ए को लागू करने में प्रविष्टि 54 सूची II पर संविधान 46 वें संशोधन अधिनियम के प्रभाव के बारे में, इस प्रकार प्रविष्टि 54 सूची II के दायरे का विस्तार किया गया। इस न्यायालय ने उपरोक्त तर्क को खारिज कर दिया

यह मानते हुए कि, वास्तव में, अनुसमर्थन प्राप्त किया गया था, निम्नानुसार:

28. के बारे में हमारे सामने पहला विवाद उठाया गया 46 वें संशोधन की संवैधानिकता हमें लंबे समय तक रोके रखने की आवश्यकता नहीं है। यह तर्क इस धारणा पर आधारित था कि विधानसभाएँ [2021] 5 एस. सी. आर.

प्रासंगिक अवधि के दौरान अस्तित्व में रहे राज्यों में से कम से कम आधे राज्यों ने विधेयक की पुष्टि नहीं की थी जो अंततः राष्ट्रपति की सहमति से पहले 46 वां संशोधन बन गया था।

यह तर्क दिया गया कि इस तरह का अनुसमर्थन आवश्यक था क्योंकि 46 वें संशोधन में निहित प्रावधानों का प्रभाव सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54 के दायरे को बढ़ाने का था।

निर्दिष्ट लेन-देन से संबंधित कारोबार पर बिक्री कर लगाने के लिए राज्यों की विधानसभाओं को सशक्त बनाकर संविधान

संसद या राज्यों की विधानसभाओं की शक्तियों को कम करने या बढ़ाने के लिए, इस तरह के संशोधन के लिए प्रावधान करने वाले विधेयक को व्यक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति को सहमति के लिए प्रस्तुत करने से पहले कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित प्रस्तावों द्वारा अनुमोदित किया जाना था। संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक के खंड (सी) में निहित है।

29. उपरोक्त मामले की सुनवाई में भारत के लिए विद्वान अटॉर्नी जनरल ने हमारे सामने राज्य सभा के महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित 31-1-1982 दिनांकित ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया है: इस प्रकार:

" राज्य सभा सचिवीय संसद भवन,

नई दिल्ली

नहीं। रु. 1 / 21 / एस 1-बी

तारीख: 31-1-1982

ज्ञापन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसरण में, संविधान (छियालिसवां संशोधन) विधेयक की सहमति प्रति प्रस्तुत की जाती है।

राष्ट्रपति के लिए। यह विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक के प्रावधान के अनुसार कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा भी अनुमोदित किया गया है। निम्नलिखित राज्यों के विधानमंडलों ने प्रस्ताव पारित किए हैं संशोधनों की पुष्टि करना:

(1) हरियाणा

(2) हिमाचल प्रदेश

(3) कर्नाटक

(4) मध्य प्रदेश

(5) महाराष्ट्र

(6) मणिपुर

(7) मेघालय

(8) उड़ीसा

(10) राजस्थान (11) सिक्किम

(12) तमिलनाडु

इन विधानसभाओं से प्राप्त प्रत्येक पत्र की एक प्रति है -

नीचे रखा गया है।

एसडी /

(सुदर्शन अग्रवाल)

महासचिव

को। राष्ट्रपति के सचिव,

(सचिव, विधि मंत्रालय के माध्यम से) "

महान्यायवादी ने उपरोक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट 12 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित प्रस्तावों वाली फाइल भी हमारे सामने पेश की है। हम संतुष्ट हैं कि संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के प्रावधान में निहित प्रावधानों का उचित अनुपालन किया गया है। इसलिए हम पहले तर्क को अस्वीकार करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बहस का कोई अवसर नहीं होता

अदालत में इस प्रकार का आग्रह किया जा रहा है यदि अधिनियम के प्रारंभ में यह कहा गया था कि विचाराधीन विधेयक प्रस्तुत किया गया था

राज्यों की आवश्यक संख्या में विधानसभाओं द्वारा विधिवत अनुसमर्थन किए जाने के बाद राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए। हम आशा करते हैं कि यह [2021] 5 एस. सी. आर.

केंद्रीय सचिवालय इसके बाद सुझाव का पालन करेगा। क्योंकि हमने पाया कि महान्यायवादी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं थे

जब तक मामला सुनवाई के लिए नहीं लिया गया था कि विधेयक जो था 46 वें संशोधन को आवश्यक द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था

राज्यों की संख्या। 59. वास्तव में, एच. एम. सीरवई ने अपनी प्रसिद्ध टिप्पणी में

' पृष्ठ 3156 पर भारत के संवैधानिक कानून (चौथा संस्करण) में यह कहा गया है -

कहो:

" अनुच्छेद 245 और 246 संविधान के अध्याय 1, भाग 11 में हैं।

जो सी. एल. में उल्लिखित मामलों में से एक है। (ख) परंतुक का,

और विधायी सूचियों का उल्लेख सीएल में किया गया है। ((ग) परंतुक का। विधायी सूचियों में परिवर्तन जोड़, भिन्नता द्वारा किया जा सकता है,

या किसी प्रविष्टि को निरस्त करना, या एक सूची से एक प्रविष्टि को स्थानांतरित करके

दूसरा, लेकिन सूचियों को स्वयं निरस्त नहीं किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

60. बिल्डर्स एसोसिएशन का एक पठन। भारत का वी. भारत संघ

( ) और सीरवई की टिप्पणी से उपरोक्त उद्धरण से पता चलता है कि संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूची II में किसी प्रविष्टि में निहित कानून के क्षेत्र का कोई भी महत्वपूर्ण जोड़ या कटौती भी एक 'परिवर्तन' के बराबर होगी ताकि परंतुक को आकर्षित किया जा सके।

अनुच्छेद 368 (2)। यह आवश्यक नहीं है, जैसा कि विद्वान महान्यायवादी द्वारा तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक में निर्दिष्ट परिवर्तन केवल तभी होगा जब राज्यों को दी गई विषय वस्तु का कुछ हिस्सा संसद को हस्तांतरित किया गया हो या इसके विपरीत। इस तरह के हस्तांतरण के बिना भी, यदि विशेष रूप से राज्यों के लिए आरक्षित कानून के क्षेत्र में निहित विषय वस्तु का विस्तार या कटौती की जाती है, तो प्रभावी रूप से एक विधायी सूची में प्रविष्टि में परिवर्तन किया गया है, जो परिवर्तन, यदि महत्वपूर्ण है, तो अनुच्छेद 368 (2) के प्रावधान को आकर्षित करेगा और इसलिए अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।

61. यह हमेशा याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रभावित करने वाले मामलों में

भारत का संविधान, रूप हमेशा सार को रास्ता देता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अगर प्रविष्टि 32 सूची II में ही अपवाद दिए गए होते, तो प्रविष्टि 32 सूची II में इस तरह के संशोधन के लिए अनुसमर्थन की आवश्यकता होती। इसमें भी कोई संदेह नहीं हो सकता है कि प्रभावी रूप से यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 में एक परिभाषा खंड जोड़कर विषय वस्तु "सहकारी समितियों" का या तो विस्तार किया गया था या इसमें कटौती की गई थी, तो

विस्तार या कटौती के लिए भी भारत के महत्वपूर्ण संघ के रूप में अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।

राजेन्द्र एन. शाह और एक अन्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

भारत के संविधान की प्रविष्टि 32 सूची II में प्रभावी परिवर्तन किए गए हैं। इसी तरह, यदि भारत के संविधान में एक अलग भाग जोड़ा जाता है, तो ऐसे भाग को जोड़ने का प्रत्यक्ष प्रभाव प्रविष्टि 32 सूची II की चौड़ाई को महत्वपूर्ण तरीके से कम करने के लिए होता है, फिर से, प्रभावी रूप से प्रविष्टि 32 सूची II सीधे प्रभावित होती है, जिसके लिए फिर से अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। यह कोई क्षण नहीं है कि एक विधि को दूसरे की तुलना में चुना या पसंद किया जाता है जब तक कि प्रविष्टि 32 सूची II को प्रविष्टि 32 में ही शब्दों को जोड़कर या हटा कर या

ऐसा एक अप्रत्यक्ष पद्धति के माध्यम से करना, अर्थात् अनुच्छेद 366 में एक नया परिभाषा खंड जोड़ना या भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ना।

62. इन सिद्धांतों को देखते हुए, अब विश्लेषण करना आवश्यक है

भारत के संविधान का भाग IXB, जैसा कि संविधान 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। उद्देश्यों और कारणों के कथन के रूप में संविधान 97वें संशोधन अधिनियम से पता चलता है कि यह स्वीकार किया जाता है कि 'सहकारी समितियाँ' विषय विशेष रूप से राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के तहत राज्य विधानमंडल को आवंटित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप, राज्यों के सहकारी समितियों के अधिनियमों में सुधार की आवश्यकता पर विचार करते हुए, राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया गया है। इसके बाद यह कहा गया है कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक तरीके से काम करें।

पेशेवर, स्वायत्त और आर्थिक रूप से मजबूत तरीके से। इसके बाद यह कहा जाता है कि संविधान में जोड़े जाने वाले नए भाग में शामिल होंगे - ऐसे प्रावधान जो राज्य विधानसभाओं की शक्तियों को काफी कम कर देंगे, क्योंकि राज्यों द्वारा ऐसे विधानों को अब नए जोड़े गए भाग के अनुरूप होना होगा।

63. संविधान के भाग IX B में अनुच्छेद 243ZH से लेकर

64. अनुच्छेद 243जेडएच वह परिभाषा अनुच्छेद है जो उपखंड (सी) में सहकारी समितियों को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है राज्य कानून के तहत पंजीकृत या पंजीकृत माना जाने वाला समाज, जो उपखंड (डी) में परिभाषित बहु-राज्य सहकारी समिति के विपरीत है, जो एक ऐसा समाज है जिसका उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है और जो ऐसे सहकारी समितियों से संबंधित कुछ समय के लिए लागू कानून के तहत पंजीकृत है। अनुच्छेद 243ZI द्वारा, यह स्पष्ट किया गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल केवल उस हद तक कानून बना सकता है जब तक वह यह भाग IXB के प्रावधानों के अधीन एक सहकारी समिति के निगमन, विनियमन और समापन पर लागू होता है। प्रतिबंध शामिल हैं

भाग IXB में अब क्रमिक रूप से निर्धारित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 243ZI के तहत, किसी राज्य की विधायिका कर सकती है

आई.

सहकारी समितियों को प्रभावित करने वाले कानून केवल तभी होंगे जब ऐसे कानून [2021] 5 एस. सी. आर.

स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य आर्थिक भागीदारी और स्वायत्त कार्यप्रणाली के सिद्धांतों का पालन करें।

अनुच्छेद 243 जेडजे (1) के तहत, निदेशकों की अधिकतम संख्या

II.

एक सहकारी समिति की संख्या 21 से अधिक नहीं हो सकती है। इसके अलावा, राज्य के कानून में अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट और प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में महिलाओं के लिए दो सीटों के आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, जिसमें सदस्य के रूप में व्यक्ति शामिल हों।

III. अनुच्छेद 243 जेडजे (2) के तहत निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल चुनाव की तारीख से पांच साल का होगा।

अनुच्छेद 243 जेडजे (3) के तहत राज्य विधानमंडल बाध्य है -

IV.

सहकारी समिति द्वारा किए गए उद्देश्यों और गतिविधियों से संबंधित बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त या किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले बोर्ड के सदस्यों के सह-विकल्प के लिए प्रावधान करना, ऐसे सह-चयनित सदस्यों की संख्या को दो तक सीमित करना, और यह भी तथ्य कि ऐसे सह-चयनित सदस्य नहीं होंगे। वोट देने का अधिकार है।

वी.

अनुच्छेद 243 जेडके (1) के तहत गैर-बाध्यकारी खंड निहित है।

इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य विधानमंडल को यह तय करना है कि

कि बोर्ड का चुनाव बोर्ड की अवधि समाप्त होने से पहले किया जाएगा। अनुच्छेद 243 जेडएल के तहत, एक राज्य विधायिका केवल उसका स्थान ले सकती है

VI.

6 महीने से अधिक की अवधि के लिए एक बोर्ड, यदि केवल कुछ गणना की गई शर्तें पूरी हो जाती हैं।

VII. अनुच्छेद 243ZM के तहत, लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा फर्मों की न्यूनतम योग्यता और अनुभव राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, और सहकारी समितियों का लेखा परीक्षण केवल ऐसे व्यक्तियों या फर्मों द्वारा किया जाना चाहिए।

VIII. अनुच्छेद 243ZN के तहत, किसी राज्य के विधानमंडल को यह प्रावधान करना चाहिए कि प्रत्येक राज्य की वार्षिक आम सभा की बैठक

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर संचालन समिति का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 243 जेडपी के तहत, प्रत्येक सहकारी समिति को फाइल करना है

IX.

भारत संघ के समापन के छह महीने की निर्दिष्ट अवधि के भीतर विवरणी v.

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की, निर्धारित मामलों की सूची को दर्शाते हुए

उक्त प्रावधान में। अनुच्छेद 243ZQ के तहत, किसी राज्य का विधानमंडल कर सकता है

एक्स.

सहकारी समितियों से संबंधित अपराधों के लिए प्रावधान और ऐसे अपराधों के लिए दंड, बशर्ते कि उपखंड (2) के तहत, पांच अलग-अलग विषयों के संबंध में, किसी राज्य के विधानमंडल को अनिवार्य रूप से ऐसे विषय को शामिल करना चाहिए।

विषय हैं।

65. उपरोक्त सभी से, यह स्पष्ट है कि प्रविष्टि 32 सूची II में निहित अनन्य विधायी शक्ति महत्वपूर्ण रही है और यह काफी हद तक प्रभावित करता है कि इस तरह की अनन्य शक्ति अब बड़ी संख्या में कटौती के अधीन है। वास्तव में, अनुच्छेद 243ZI विशेष रूप से यह आदेश देता है कि राज्य विधानमंडल की प्रविष्टि 32 सूची II में निहित अनन्य विधायी शक्ति को अब गंभीर रूप से कम कर दिया गया है क्योंकि यह केवल

भाग IXB के प्रावधानों के अधीन प्रयोग किया गया; और आगे, अनुच्छेद 243ZT यह स्पष्ट करता है कि सभी राज्य कानून जो भाग IXB में उल्लिखित प्रतिबंधों के अनुरूप नहीं हैं, संविधान के 97वें संशोधन के प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति पर स्वचालित रूप से समाप्त हो जाते हैं।

एक्ट करें।

66. वास्तव में, यह न्यायालय विपुलभाई एम. चौधरी बनाम. गुजरात

कॉप। दूध एमकेटीजी। फेडरेशन लिमिटेड (ऊपर) ने अनुच्छेद 243ZT के प्रभाव को निम्नानुसार संदर्भित किया:

27. संविधान के अनुच्छेद 243-जेड. टी. में संबंधित कानूनों की आवश्यकता है

इससे पहले राज्यों में लागू सहकारी समितियों के लिए

संवैधानिक अवधारणा और सहकारी समितियों की स्थापना के अनुरूप और संदर्भ में संशोधन अधिनियम का प्रारंभ। वास्तव में, संविधान में सक्षम विधायिका या सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक संशोधन या निरसन के लिए संशोधन के प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि का प्रावधान किया गया है, जो भाग के साथ असंगत हैं।

IX-B. परिणामस्वरूप, संविधान सक्षम विधायिका या प्राधिकरण को संवैधानिक जनादेश के अनुरूप अपने कानूनों में मौजूदा प्रावधानों में उपयुक्त संशोधन करने में सक्षम बनाता है। इसके बाद,

यदि अधिनियम या उप-कानूनों में मौन बना रहता है, तो न्यायालय को संविधान की आवश्यकताओं को पढ़ना होगा।

विद्यमान प्रावधान। यह अनिवार्य रूप से उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है।

इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित उपलब्ध प्रावधानों का निर्माण

प्रताप चंद्र मेहता मामला [(2011) 9 एस. सी. सी. 573]।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

67. संविधान के भाग IXB के उपरोक्त विश्लेषण से यह परिणाम मिलता है कि हालांकि 7 वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 (3) और प्रविष्टि 32, सूची II को पत्र में 'बदला' नहीं गया है, फिर भी संविधान के भाग IXB पर प्रभाव

उपरोक्त वस्तुओं को महत्वहीन नहीं कहा जा सकता है। इसके विपरीत, यह स्पष्ट है कि 7 वीं अनुसूची की प्रविष्टि 32, सूची II की चौड़ाई को कम करके, भाग IXB 7 वीं अनुसूची की प्रविष्टि 32, सूची II के साथ पठित अनुच्छेद 246 (3) में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहता है क्योंकि सहकारी समितियों के विषय के संबंध में कानून बनाने की राज्य की अनन्य शक्ति में काफी कमी आई है जिससे अर्ध-संघीय पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

उसमें निहित सिद्धांत। इसलिए काफी स्पष्ट रूप से, भाग IXB, जहां तक यह किसी राज्य के भीतर काम करने वाली सहकारी समितियों पर लागू होता है, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक के उपखंड (बी) और (सी) दोनों के तहत अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।

68. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि भारत के संविधान का भाग IX जिसे संविधान द्वारा संविधान में शामिल किया गया था (73 वां)

संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में शामिल संशोधन) अधिनियम, 1992 और भाग IXA ने पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए समान प्रावधान किए। सूची II, 7 वीं अनुसूची की प्रविष्टि 5 जो

जहाँ तक पंचायतों और नगर पालिकाओं का संबंध है, कानून के विषय से संबंधित निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया है: -

सूची II राज्य सूची

5. स्थानीय सरकार, अर्थात, इस उद्देश्य के लिए नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला बोर्डों, खनन निपटान प्राधिकरणों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों का गठन और शक्तियां।

स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन।

69. संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधनों को अनुसमर्थन के लिए भेजा गया था और आधे से अधिक विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन किया गया था।

राज्यों। इसका कारण दूर की बात नहीं है-भाग IXB की तरह, राज्यों द्वारा पंचायतों पर कानून बनाने से पहले कई प्रतिबंध लगाए गए हैं और

नगरपालिकाएँ। भाग IXB की तरह, ऐसा विधान भाग IX और IXA के अधीन है-अनुच्छेद 243C और अनुच्छेद 243R देखें। पुनः, भाग IXB में अनुच्छेद 243ZT की तरह, अनुच्छेद 243N और 243ZF प्रदान करते हैं कि राज्य के कानून जो क्रमशः भाग IX और IXA के प्रावधानों के साथ असंगत हैं, दोनों संवैधानिक संशोधनों के प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति के बाद स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगे। इन प्रावधानों के अलावा, भाग IX और IXA में अनुच्छेद 2430 और अनुच्छेद 243ZG भी शामिल हैं जो न्यायालयों की अधिकारिता को समाप्त करते हैं और इस तरह, प्रभावी रूप से, भारत संघ v.

राजेन्द्र एन. शाह और एक अन्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 136,226 और 227 के प्रावधान। इसलिए संविधान के 72 वें और 73 वें संशोधन का अनुसमर्थन किया गया था

उस अनुच्छेद में अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक के खंड (बी) और (सी) दोनों के तहत आवश्यक था कि अनुच्छेद 136 को प्रभावी रूप से कम कर दिया गया था (भारत के संविधान के भाग V के अध्याय IV में आने वाला अनुच्छेद 136); अनुच्छेद 226 और 227 को प्रभावी रूप से कम कर दिया गया था (जो भारत के संविधान के भाग VI के अध्याय V में आता है); अनुच्छेद 246 (3) को प्रभावी रूप से कम कर दिया गया था (जो भारत के संविधान के भाग XI के अध्याय I का हिस्सा है); और प्रविष्टि 5 सूची 2,7 वीं अनुसूची को भी प्रभावी रूप से कम कर दिया गया था, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक के उप-खंड (सी) के लिए संदर्भित है। इसलिए यह स्पष्ट है कि संसद की पिछली संवैधानिक प्रथा भी अपनी घटक क्षमता में समान विषय मामले प्रत्यर्थी के प्रस्तुत करने को मजबूत करते हैं कि 73 वें और 74 वें संशोधनों की तरह,

संविधान 97 वें संशोधन अधिनियम को भी अनुसमर्थन की आवश्यकता थी।

70. श्री जानी ने हालांकि तर्क दिया कि 97 वें संशोधन को लागू करने में प्रयोग की जाने वाली घटक शक्ति को इसके साथ आत्मसात नहीं किया जा सकता है।

विधायी शक्ति, और यह कि एक बार जब संविधान में भाग IXB को शामिल करके संशोधन किया जाता है, तो अनुच्छेद 245 यह आदेश देता है कि भारत के संविधान की 7 वीं अनुसूची में सूचियों के साथ पठित अनुच्छेद 246 के तहत बनाए गए सभी कानून संविधान के प्रावधानों के अधीन हैं, ताकि प्रविष्टि 32 सूची II के साथ पठित अनुच्छेद 246 (3) के तहत बनाया गया कानून भाग IXB के प्रावधानों के अधीन हो जाए जो अब भारत के संविधान का एक हिस्सा है।

भारत।

71. यह तर्क घोड़े से पहले गाड़ी रखने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किसी को संदेह नहीं है कि संशोधन को इसके तहत अनुमोदित किया गया था

अनुच्छेद 368 (2) परंतुक जैसा कि हम ऊपर मानते हैं, यह तब काम करेगा, जिसके परिणामस्वरूप 7 वीं अनुसूची की प्रविष्टि 32 सूची II के साथ पठित अनुच्छेद 246 (3) के तहत कानून तब भाग IXB के अधीन हो जाएगा। वर्तमान में

यदि अनुसमर्थन प्रभावी नहीं किया गया है, तो संशोधन अप्रमाणित है। इसलिए इस तर्क को खारिज किया जाता है।

72. श्री वेणुगोपाल ने तब तर्क दिया कि 28 में से 17 राज्यों ने भाग IXB के प्रावधानों को शामिल करते हुए कानून बनाए हैं और इसलिए,

उन्होंने उक्त भाग में निर्धारित प्रतिबंधों को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया था। इस तर्क को हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 368 (2) परंतुक में निर्धारित प्रक्रिया के लिए उस प्रभाव के प्रस्तावों द्वारा आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। माना जा सकता है कि वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया है। इसके अलावा, यह तर्क कि कोई भी राज्य 97 वें संविधान संशोधन को चुनौती देने के लिए आगे नहीं आया है, (2021) 5 एस. सी. आर. को स्वीकार नहीं करता है।

आगे की बात। जब भारत का कोई नागरिक किसी संवैधानिक संशोधन को प्रक्रियात्मक रूप से कमजोर होने के रूप में चुनौती देता है, तो यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह गुण-दोष के आधार पर ऐसी चुनौती की जांच करे क्योंकि भारत का संविधान व्यक्तियों, नागरिकों और संस्थानों को समान रूप से प्रभावित करने वाला शासन का एक राष्ट्रीय चार्टर है। 73. तब भारत के विद्वान महान्यायवादी श्री वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि विवादित फैसले का निष्कर्ष यह है कि

संविधान की विशेषताएँ, संघवाद का सिद्धांत प्रभावित हुआ है, यह एक ऐसा निष्कर्ष था जो अनावश्यक था जब यह पाया गया कि

संशोधन अनुच्छेद 368 (2) के प्रावधान का उल्लंघन था। श्री वेणुगोपाल ने सही कहा कि इस बात का कोई तर्क नहीं दिया गया था कि भाग IXB भी केशवानंद भारती के मामले (उपरोक्त) में निर्धारित मूल संरचना सिद्धांत के खिलाफ है। हम दोहराते हैं कि हमारा निर्णय

अनुच्छेद 368 (2) परंतुक के प्रक्रियात्मक पहलू तक सीमित है, इस आधार पर भाग IXB को कोई ठोस चुनौती नहीं है कि यह केशवानंद भारती के मामले (ऊपर) में निर्धारित मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

74. अब हम श्री वेणुगोपाल द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण तर्क पर आते हैं कि भले ही यह माना जाए कि भाग IXB संवैधानिक रूप से किसी राज्य के भीतर काम करने वाली कमजोर सहकारी समितियां हैं, फिर भी यह बहु-राज्य सहकारी समितियों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम करेगी जो राज्य नहीं हैं। 75. यह अनिवार्य रूप से हमें इस बात पर लाता है कि क्या भाग IXB में बहु-राज्य सहकारी समितियों से संबंधित भाग को केवल एक राज्य के भीतर संचालित सहकारी समितियों से संबंधित भाग से अलग किया जा सकता है।

किहोतो होल्लोहन के मामले (उपर्युक्त) की ओर लौटते हुए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उसमें बहुमत और अल्पमत के निर्णय इस बात पर स्पष्ट रूप से विभाजित थे कि क्या 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 7 को 10वीं अनुसूची के बाकी हिस्सों से अलग किया जा सकता है ताकि 10वीं अनुसूची पैराग्राफ 7 के बिना काम कर सके। बहुमत के फैसले में कहा गया कि इसे इस तरह से अलग किया जा सकता है और इसलिए 10वीं अनुसूची का शेष भाग काम करेगा। यह बहुमत द्वारा निम्नानुसार आयोजित किया गया था: -

68. संशोधन शक्ति पर मूल सीमाओं की अवहेलना के आधार पर संशोधन की वैधता को चुनौती देने के मामलों में इस न्यायालय द्वारा पृथकता के सिद्धांत को लागू किया गया है।

अर्थात्, मूल संरचना में परिवर्तन। लेकिन संशोधन के केवल अपमानजनक हिस्से को, जिसका मूल संरचना में परिवर्तन का प्रभाव था, निरस्त कर दिया गया, जबकि शेष संशोधन भारत का आई. ओ. एन. v था।

बरक़रार रखा। [केशवानंद भारती बनाम देखें। केरल राज्य [(1973) 4 एस. सी. सी. 225], मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ [(1980) 3

एस. सी. सी. 625], पी. संबमूर्ति बनाम। ए. पी. राज्य [(1987) 1 एस. सी. सी. 362]।

69. क्या अनुच्छेद 368 के उप-अनुच्छेद (2) द्वारा लगाई गई प्रक्रियात्मक सीमाओं में कुछ भी है जो उक्त सीमाओं का उल्लंघन करने वाले कानून के संबंध में पृथकता के सिद्धांत को बाहर करता है? इस तरह का

उल्लंघन तब उत्पन्न हो सकता है जब कोई समग्र विधेयक हो या जो वैधानिक संदर्भ में हो या जिसे 'राग-बैग' उपाय कहा जाता है, जिसमें एक संशोधन उपाय के तहत कई कानूनों में संशोधन की मांग की जाती है। जो संविधान के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है, जिनमें से कुछ अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक के खंड (ए) से (ई) को आकर्षित कर सकते हैं और विधेयक, हालांकि संसद के दोनों सदनों में आवश्यक बहुमत से पारित किया गया है, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर ली है।

इसे अनुसमर्थन के लिए राज्यों को भेजे बिना या इस तरह भेजे जाने पर, विधेयक को सहमति के लिए प्रस्तुत करने से पहले कम से कम आधे राज्यों से इस तरह का अनुसमर्थन प्राप्त करने में विफल रहता है। ऐसा संशोधन अधिनियम संसद की क्षमता के भीतर है क्योंकि यह अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक के खंड (ए) से (ई) में उल्लिखित प्रावधानों के अलावा अन्य प्रावधानों से संबंधित है, लेकिन परंतुक के खंड (ए) से (ई) में निर्दिष्ट प्रावधानों में किए गए संशोधनों के संबंध में है।

अनुच्छेद 368 (2) के अनुसार, अकेले संसद कुछ संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त होने के कारण ऐसे संशोधन करने के लिए सक्षम नहीं है।

संघीय सिद्धांत को लागू किया जा रहा है। यदि पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है तो इसे संसद की क्षमता के भीतर संशोधनों के संबंध में वैध माना जा सकता है और केवल वे संशोधन जो अकेले संसद करने के लिए सक्षम नहीं थे, उन्हें अमान्य घोषित किया जा सकता है।

XXX

XXX

XXX

71. ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 368 (2) का प्रावधान संघीय सिद्धांत को प्रभावी बनाने की दृष्टि से पेश किया गया था। संघ, न्यायपालिका, राष्ट्रपति के चुनाव और स्वयं संशोधन करने की शक्ति के संबंध में राज्यों की विधायी और कार्यकारी शक्तियों से संबंधित खंड (ए) से (ई) में निर्दिष्ट प्रावधानों के संशोधन के मामले में, जिसका राज्यों पर प्रभाव पड़ता है, परंतुक संशोधन के अनुसमर्थन की एक अतिरिक्त आवश्यकता अधिरोपित करता है।

जो विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत करने से पहले उन प्रावधानों में परिवर्तन करना चाहता है। यह स्वागत योग्य है कि [2021] 5 एस. सी. आर.

परंतुक का दायरा उसमें निर्धारित सीमाओं तक सीमित है।

और इसका इस तरह से अर्थ नहीं लगाया गया है कि अनुच्छेद 368 (2) के मुख्य भाग में शक्ति को छीन लिया जाए। एक संशोधन जो अन्यथा पूरा करता है

अनुच्छेद 368 (2) की आवश्यकताएँ और निर्दिष्ट मामलों से बाहर हैं जिनके लिए अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, केवल उस कंपनी के आधार पर वैधता से इनकार नहीं किया जा सकता है जिसे वह रखती है। अनुच्छेद 368 (2) का मुख्य भाग निर्देश देता है कि जब कोई विधेयक जो अपेक्षित द्वारा पारित किया गया हो

दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है "संविधान विधेयक की शर्तों के अनुसार संशोधित होगा"। परंतुक का प्रभाव इस संवैधानिक घोषणा और जनादेश में हस्तक्षेप करने का नहीं हो सकता है जिसका अर्थ है कि ऐसे मामले में जहां परंतुक का पालन नहीं किया गया है-यहां तक कि संशोधन जो परंतुक के दायरे में नहीं आते हैं, वे भी विफल हो जाते हैं। शब्द "संशोधन"

विधायिका द्वारा अनुसमर्थित किए जाने की भी आवश्यकता होगी "यह इंगित करता है कि राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थित किए जाने की आवश्यकता वह संशोधन है जो परंतुक के खंड (ए) से (ई) में निर्दिष्ट प्रावधानों में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अनुसमर्थन की आवश्यकता और आवश्यकता उस विशेष तक ही सीमित है।

केवल संशोधन और परंतुक के दायरे से बाहर संशोधनों के संबंध में नहीं। अतः इस परंतुक का उन संशोधनों की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है जो इसके दायरे में नहीं आते हैं।

महत्वाकांक्षा। वास्तव में सज्जन में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियां

सिंह मामला [(1965) 1 एससीआर 933: ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 845] उपयुक्त हैंः (एस. सी. आर पी. 940)

" हमारी राय में, अनुच्छेद 368 के दो भागों को एक उचित निर्माण पर इस अर्थ में एक दूसरे के साथ सुसंगत होना चाहिए कि

उनमें से किसी के दायरे और प्रभाव की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए अनुचित रूप से घटाया या बढ़ाया जाए।

72. बहस के दौरान इस तर्क को बनाए रखने के लिए "इस तरह के संशोधन के लिए प्रावधान करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति को सहमति के लिए प्रस्तुत करने से पहले" शब्दों पर भरोसा रखा गया था कि इन शब्दों का अर्थ है कि कम से कम आधे राज्यों द्वारा विधेयक का अनुसमर्थन राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए एक पूर्व शर्त है। यह भी तर्क दिया जाता है कि कोई विधेयक जो परंतुक

के खंड (ए) से खंड (ई) में निर्दिष्ट प्रावधानों में परिवर्तन करना चाहता है, राष्ट्रपति के समक्ष इस तरह के अनुसमर्थन के बिना उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और यदि सहमति भारत सरकार v है।

राजेन्द्र एन. शाह और एक अन्य [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अनुच्छेद 368 (2) की अवहेलना जिसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। क्या पृथक्करण का सिद्धांत ऐसे संशोधन पर लागू नहीं होता है ताकि अन्य प्रावधानों में संशोधनों को अप्रभावी घोषित करते हुए पहली और चौथी अनुसूची में किए गए संशोधनों को बरकरार रखा जा सके? के सिद्धांत को छोड़कर एक विपरीत दृष्टिकोण पृथकता के परिणामस्वरूप संशोधन शक्ति पर एक प्रक्रियात्मक सीमा को मूल सीमाओं से अधिक स्तर तक बढ़ा दिया जाएगा।

XXX

XXX

XXX

पहली और चौथी अनुसूचियों के साथ-साथ संविधान के अन्य प्रावधानों में परिवर्तन जिनके तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है अनुच्छेद 368 (2) और ऐसा कानून, भले ही सरल द्वारा पारित किया गया हो

पहली और चौथी अनुसूचियों में किए गए संशोधनों के संबंध में विशेष बहुमत के बजाय बहुमत को बरकरार रखा जा सकता है। [2021] 5 एस. सी. आर. की आवश्यकता की स्थिति के बीच सिद्धांत रूप में वास्तव में कोई अंतर नहीं है।

अनुच्छेद 368 (2) में निहित सहमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष पेश करने से पहले विधेयक को विशेष बहुमत से पारित करना और विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष पेश करने से पहले कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा संशोधन के अनुसमर्थन की शर्त। का सिद्धांत पृथकता को एक समग्र संशोधन पर समान रूप से लागू किया जा सकता है जिसमें उन प्रावधानों में संशोधन शामिल हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है।

राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के साथ-साथ उन प्रावधानों में संशोधन जिनके लिए इस तरह के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है और पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करके, संशोधन को उन संशोधनों के संबंध में बरकरार रखा जा सकता है जिनके अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है और जो केवल संसद की क्षमता के भीतर हैं। केवल प्रावधानों में इन संशोधनों को जिन्हें परंतुक के तहत अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, उन्हें रद्द करने या अमान्य घोषित करने की आवश्यकता होती है।

76. पृथकता के परीक्षण के लिए न्यायालय को यह पता लगाने की आवश्यकता होती है कि क्या विधायिका ने कानून को लागू किया होगा यदि कटा हुआ हिस्सा कानून का हिस्सा नहीं था और क्या पृथक्करण के बाद जो बच जाता है वह स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकता है और व्यवहार्य है। यदि दसवीं अनुसूची के प्रावधानों पर विधायी इतिहास की पृष्ठभूमि में विचार किया जाता है, अर्थात् 'दलबदल समिति' की रिपोर्ट के साथ-साथ दलबदल की बुराई पर अंकुश लगाने के लिए पेश किए गए पहले के विधेयकों पर विचार किया जाता है, तो यह स्पष्ट होगा कि संवैधानिक संशोधन और दसवीं अनुसूची को लागू करने का मुख्य उद्देश्य दलबदल की बुराई पर अंकुश लगाना है जो दलबदल का कारण बन रहा था।

हमारे शरीर की राजनीति में भारी शरारत। पैराग्राफ 7 के तहत अदालतों के अधिकार क्षेत्र का निष्कासन दलबदल की बुराई पर अंकुश लगाने के मुख्य उद्देश्य को बल देने के लिए आकस्मिक था। यह नहीं कहा जा सकता है कि घटक निकाय ने दसवीं अनुसूची के अन्य प्रावधानों को अधिनियमित नहीं किया होता यदि उसे पता होता कि अनुच्छेद 7 वैध नहीं था। न ही यह कहा जा सकता है कि दसवीं अनुसूची के शेष प्रावधान अपने आप नहीं टिक सकते हैं, भले ही अनुच्छेद 7 असंवैधानिक पाया जाए। इसलिए, पैराग्राफ 7 के प्रावधानों को शेष प्रावधानों से अलग किया जा सकता है।

प्रावधान।

77. तदनुसार हम विवाद (सी) और (डी) पर कायम हैं: कि अनुच्छेद 368 (2) के उक्त परंतुक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी प्रावधान की पृथकता को कम करता हो, जिसके समावेश के कारण संशोधन वाले विधेयक के लिए भारत संघ v की आवश्यकता होती है।

ऐसे विधेयक के शेष प्रावधानों से अनुसमर्थन जो इस तरह के अनुसमर्थन को आकर्षित नहीं करते हैं और जिनकी आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 368 (2) की अनिवार्य भाषा को ध्यान में रखते हुए कि 'उसके बाद संविधान में संशोधन किया जाएगा' परंतुक का संचालन किसी विधेयक में संवैधानिक संशोधनों तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जो

इस तरह के अनुसमर्थन के बिना खुद से खड़े हो सकते हैं।

कि तदनुसार, संविधान (बावनवा संशोधन) अधिनियम, 1985, जहाँ तक वह भारत के संविधान में दसवीं अनुसूची को लागू करना चाहता है, उसके प्रावधानों की सीमा तक जो संविधान की संशोधन प्रक्रिया के कानूनी-संप्रभु के लिए उत्तरदायी हैं। संघ संसद पर उस परंतुक का प्रभाव नहीं पड़ सकता है जो उस क्षेत्र में काम नहीं कर सकता है। इस दृष्टिकोण का कोई औचित्य नहीं है कि

यहां तक कि संविधान (बावनपनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 के शेष प्रावधान, दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 7 को छोड़कर, केवल इस तथ्य के कारण संवैधानिक रूप से कमजोर हो जाते हैं कि इसके अलग किए जा सकने वाले प्रावधानों में से एक, जिसमें अनुच्छेद 368 (2) के प्रावधान के तहत आवश्यक अनुसमर्थन नहीं था

इस प्रकार पुष्टि की गई।

दसवीं अनुसूची के उस पैराग्राफ 7 में एक ऐसा प्रावधान है जो दसवीं अनुसूची के मुख्य प्रावधानों से स्वतंत्र है और उनसे अलग है, जिसका उद्देश्य सिद्धांतहीन और अनैतिक राजनीतिक दलबदल की बुराई का उपचार प्रदान करना है और इसलिए यह एक अलग करने योग्य हिस्सा है। दसवीं अनुसूची के शेष प्रावधान पैराग्राफ 7 से स्वतंत्र रूप से खड़े हो सकते हैं और कर सकते हैं और अपने आप में व्यवहार्य हैं और काटे नहीं गए हैं।

पैराग्राफ 7 को हटाकर।

76. भाग IXB का अनुच्छेद 243ZR यह स्पष्ट करता है कि इस भाग के सभी प्रावधान जो बहु-राज्य सहकारी समितियों पर लागू होते हैं, इस संशोधन के अधीन लागू होंगे कि "किसी राज्य के विधानमंडल" के लिए कोई भी संदर्भ

राज्य, राज्य अधिनियम या राज्य सरकार का अर्थ क्रमशः "संसद, केंद्रीय अधिनियम या केंद्र सरकार" के संदर्भ के रूप में किया जाएगा। अतः विद्वान महान्यायवादी ने तर्क दिया कि भाग IXB के भीतर दो अलग-अलग भाग होने के बजाय, एक राज्य सहकारी समितियों से संबंधित और एक बहु-राज्य सहकारी समितियों से संबंधित, मौजूदा प्रावधानों के लिए "संदर्भ" के प्रसिद्ध विधायी उपकरण का उपयोग अनुच्छेद 243ZR द्वारा किया गया था और इसलिए हमें इस मामले को ऐसे देखना चाहिए जैसे कि भाग IXB के भीतर एक अलग भाग को बहु-राज्य सहकारी समितियों के संबंध में अधिनियमित किया गया है।

77. इस तर्क में सार है। किहोतो होल्लोहान में

(ऊपर), यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक समग्र संशोधन जिसे राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था, संशोधन का एक हिस्सा आवश्यक है राज्यों से अनुसमर्थन और दूसरे को अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं थी, जिसे अलग किया जा सकता था, जिसके परिणामस्वरूप केवल संविधान की 10 वीं अनुसूची के अनुच्छेद 7 को राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के अभाव में निरस्त कर दिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि बहु-राज्य सहकारी समितियों पर इसके लागू होने में न तो अनुच्छेद 246 (3) और न ही 7 वीं अनुसूची की प्रविष्टि 32 सूची II को आकर्षित किया जाएगा। समान रूप से, किहोतो होलोहन (उपर्युक्त) में निर्धारित पृथक्करण की कसौटी, जिसके लिए उस मामले में अदालत को यह पता लगाने की आवश्यकता थी कि क्या विधायिका ने कानून को लागू किया होता यदि कटा हुआ हिस्सा कानून का हिस्सा नहीं होता, तो इसे वर्तमान जैसे मामले में लागू नहीं कहा जा सकता है, जहां बहु-राज्य सहकारी समितियों से संबंधित संशोधन भाग IXB के एक अलग हिस्से में होता, तो ऐसा परीक्षण होताः

अप्रयोज्य। संविधान के 97 वें संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इसे स्पष्ट करता है। इसमें कहा गया हैः

" संविधान में प्रस्तावित नया भाग, अन्य बातों के साथ-साथ, बहु-राज्य सहकारी के संबंध में संसद को सशक्त बनाना

अन्य सहकारी समितियों और राज्य विधानमंडलों के मामलों में

समितियों को उपयुक्त कानून बनाने के लिए, निम्नलिखित निर्धारित करनाः विषय, अर्थात्ः - "

(जोर दिया गया)

अतः यह स्पष्ट है कि यह योजना बहु-राज्यीय सहकारी है।

जहाँ तक "अन्य सहकारी समितियों" का संबंध है, कुछ मामलों को निर्धारित करने वाले उपयुक्त कानून। अनुच्छेद 246ZR का प्रभाव ऐसा है जैसे कई राज्य सहकारी समितियों को भाग IXB के भीतर निहित एक अलग उप अध्याय में अलग से निपटाया जाता है, जैसा कि विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा सही ढंग से तर्क दिया गया है। इसके अलावा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अलगाव के बाद जो बच जाता है वह स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकता है और काम कर सकता है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि

इस न्यायालय के निर्णय का परिणाम कि संविधान का 97 वां संशोधन

अधिनियम अमान्य है क्योंकि अनुसमर्थन के अभाव में पूरे संशोधन का जन्म हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप संशोधन का कोई भी हिस्सा जीवित नहीं रह सकता है। हम दो कारणों से इस तर्क को अस्वीकार करते हैं। यदि पृथकता का सिद्धांत पूर्व में बताए गए कारण के लिए आवेदन नहीं करना था, फिर भारत संघ का बहुमत निर्णय v.

किहोतो होल्लोहन (ऊपर) में गलत होगा। यही तर्क तब पूरे संविधान 52 वें संशोधन को, जिसने भारत के संविधान में दसवीं अनुसूची को जोड़ा था, संवैधानिक रूप से कमजोर बना देगा, क्योंकि तब संशोधन की संपूर्णता को अनुसमर्थन के अभाव में अमान्य घोषित करना होगा, जो किहोतो होलोहन (उपरोक्त) में बहुमत के फैसले के दांतों में होगा। इसके अलावा, इस तर्क पर, अनुच्छेद 19 में किए गए संशोधनों और अनुच्छेद 43 बी को जोड़ने को भी रद्द करना होगा, जिसका उच्च न्यायालय या हमारे समक्ष अनुरोध या तर्क नहीं किया गया था। इस मामले में, हम घोषणा करते हैं कि जहां तक बहु-राज्य सहकारी समितियों का संबंध है, भारत के संविधान का भाग IXB लागू है।

78. विद्वान महान्यायवादी का दूसरा तर्क कि अनुच्छेद 243ZS के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में अपने आवेदन में वही स्थिति है

यह प्रबल होगा क्योंकि अनुच्छेद 243ZR का अनुप्रयोग बिल्कुल सही नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि अनुच्छेद 246 (3) संघ पर लागू नहीं होता है।

क्षेत्र। इसके बजाय, अनुच्छेद 246 (4) केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है, जिसके माध्यम से संसद राज्य सूची का उपयोग केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में कानून बनाने के लिए भी कर सकती है। हालांकि, भाग IXB द्वारा 7 वीं अनुसूची की प्रविष्टि 32 सूची II की कटौती को देखते हुए, केंद्र शासित प्रदेशों में जो काम करेगा वह केवल भाग IXB है क्योंकि यह बहु-राज्य सहकारी समितियों पर लागू होता है। जहाँ तक किसी केंद्र शासित प्रदेश के भीतर सहकारी समितियों का संबंध है -

79. अब हम श्री शाह के इस तर्क पर आते हैं कि जहां तक बहु-राज्य सहकारी समितियों का संबंध है, चूंकि प्रविष्टि 44 सूची I को प्रविष्टि 32 सूची II के समान ही काट दिया जाता है, इसलिए जहां तक बहु-राज्य सहकारी समितियों का संबंध है, संवैधानिक संशोधन के लिए अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी क्योंकि सूची I में प्रभावी परिवर्तन किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधान के खंड (सी) द्वारा कवर किया जाएगा। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका को पढ़ने पर, ऐसा कोई आधार नहीं उठाया गया है। इसके विपरीत, उठाए गए सभी आधारों में संघीय सिद्धांत के उल्लंघन और इस तथ्य का संदर्भ है कि विषय "सहकारी समितियाँ" संशोधन की आवश्यकता से प्रभावित हैं। अनुमोदन। यद्यपि रिट याचिका के लिए प्रार्थना भाग IXB की संपूर्णता को रद्द करने के लिए हो सकती है, कोई आधार नहीं उठाया गया है और कोई तर्क नहीं [2021] 5 एस. सी. आर.

या तो उच्च न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद, हमें श्री शाह के इस तर्क पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

80. उच्च न्यायालय के फैसले को इस हद तक बरकरार रखा जाता है सिवाय इसके कि यह भारत के संविधान के भाग IXB की संपूर्णता को रद्द कर देता है।

जैसा कि हम ऊपर मानते हैं, यह घोषित किया जाता है कि भारत के संविधान का भाग IXB केवल उस हद तक प्रभावी है जब तक कि यह भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के भीतर बहु-राज्य सहकारी समितियों से संबंधित है। अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

के. एम. जोसेफ, जे.

1. मैंने अपने विद्वान और सम्मानित भाई न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन द्वारा लिखित निर्णय के मसौदे को पढ़ा है।

2. मैं अनुच्छेद 243ZQ के अनुच्छेद 240ZI से संबंधित प्रावधानों के संबंध में तर्क और निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हूं और

अनुच्छेद 243ZT, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक के अधिदेश के साथ गैर-अनुपालन के लिए असंवैधानिक है। हालाँकि, मुझे इस विचार से सहमत होने में अपनी असमर्थता पर खेद है कि संघ में काम करने वाली बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के लिए अनुच्छेद 243ZR और अनुच्छेद 243ZS को बनाए रखने के लिए गंभीरता का सिद्धांत लागू होगा।

क्षेत्र, और वह, यह केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों तक सीमित सहकारी समितियों पर लागू नहीं होगा।

3. भारत के संविधान का भाग IXB संविधान के नब्बे-सातवें संशोधन द्वारा जोड़ा गया।

4. उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 243ZH को 243ZT पाया है।

असंवैधानिक है। नब्बे-सातवें संशोधन के अन्य भाग प्रभावित नहीं पाए गए। आधार अनिवार्य रूप से यह था कि अनुच्छेद 368 (2) के प्रावधान के तहत कोई अनुसमर्थन आवश्यक नहीं था। यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन भी पाया गया है। तीन अपीलों में, रिट याचिकाकर्ताओं ने कारण दर्शाएँ नोटिसों को चुनौती दी और उसी के आधार पर बाद के निर्णय और नब्बे-सातवें संशोधन के आधार पर रिट याचिकाएं दायर की गईं। उल्लेख करना आवश्यक है

भाग IXB:

" भाग IXB

सह-सक्रिय समाज

243 जेडएच। परिभाषाएँ। इस भाग में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो,

राजेन्द्र एन. शाह और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

((क) "प्राधिकृत व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे

अनुच्छेद 243ZQ;

(ख) "बोर्ड" से निदेशक मंडल या शासी निकाय अभिप्रेत है।

एक सहकारी समाज का, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, जिसे

एक के मामलों के प्रबंधन की दिशा और नियंत्रण

समाज को सौंपा गया है;

(ग) "सहकारी समिति" से किसी राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू सहकारी समितियों से संबंधित किसी कानून के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाने वाली समिति अभिप्रेत है।

((घ) "बहु-राज्य सहकारी समिति" से ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसका उद्देश्य किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है और जो तत्समय लागू किसी कानून के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाती है।

ऐसी सहकारी समितियों के लिए;

किसी भी सहकारी समिति के बोर्ड द्वारा; (च) "पंजीयक" से बहु-राज्य सहकारी के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय पंजीयक अभिप्रेत है।

विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सहकारी समितियों के लिए समितियाँ और पंजीयक

सहकारी समितियों के संबंध में किसी राज्य का;

(छ) "राज्य अधिनियम" से किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अभिप्रेत है।

राज्य;

(ज) "राज्य स्तरीय सहकारी समिति" से एक सहकारी समिति अभिप्रेत है।

ऐसे समाज का संचालन क्षेत्र पूरे राज्य में फैला हुआ है और जिसे विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में इस रूप में परिभाषित किया गया है।

एक राज्य से।

3 ज़ी. सहकारी समितियों का समावेश। इस भाग के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा,

के सिद्धांतों के आधार पर सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और एकीकरण के संबंध में प्रावधान करना।

स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्य-नियंत्रण, सदस्य

परमाणु भागीदारी और स्वायत्त कार्यप्रणाली।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

243 जेडजे। बोर्ड के सदस्यों और उनके पदाधिकारियों की संख्या और कार्यकाल। (1) बोर्ड में इतनी संख्या में निदेशक शामिल होंगे जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं: बशर्ते कि किसी सहकारी के निदेशकों की अधिकतम संख्या

सोसायटी इकतीस से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते कि किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, अनुसूचित जातियों के लिए एक सीट के आरक्षण का प्रावधान करेगा या

अनुसूचित जनजाति और प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में महिलाओं के लिए दो सीटें जिनमें सदस्य के रूप में व्यक्ति होते हैं और व्यक्तियों की ऐसी श्रेणी के सदस्य होते हैं।

(2) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदधारकों का कार्यकाल चुनाव की तारीख से पांच साल का होगा और पदधारकों का कार्यकाल बोर्ड के कार्यकाल के अनुरूप होगा:

बशर्ते कि बोर्ड बोर्ड में एक आकस्मिक रिक्ति को भर सकता है

सदस्यों के उसी वर्ग से नामांकन, जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई है, यदि बोर्ड का कार्यकाल उसके मूल कार्यकाल के आधे से कम है। (3) किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, सहकारी समिति द्वारा किए गए उद्देश्यों और गतिविधियों से संबंधित बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त या किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के बोर्ड के सदस्य होने के लिए सह-विकल्प के लिए ऐसी समिति के बोर्ड के सदस्यों के रूप में प्रावधान करेगा:

बशर्ते कि ऐसे सह-चयनित सदस्यों की संख्या में निर्दिष्ट 21 निदेशकों के अलावा दो से अधिक नहीं होगी।

खंड (1) का पहला परंतुक:

बशर्ते कि ऐसे सह-निर्वाचित सदस्यों को सहकारी समिति के किसी भी चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

ऐसे सदस्य के रूप में या बोर्ड के पदाधिकारी के रूप में चुने जाने के लिए पात्र होने की क्षमता:

बशर्ते कि किसी सहकारी समिति के कार्यात्मक निदेशक भी बोर्ड के सदस्य और ऐसे सदस्य होंगे। खंड (1) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट निदेशकों की कुल संख्या की गणना के उद्देश्य से उन्हें बाहर रखा जाएगा।

243 जेडके। बोर्ड के सदस्यों का चुनाव। — (1)

भारत के आई. ओ. एन. द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद V.

राजेन्द्र एन. शाह और एक अन्य

[के. एम. जोसेफ, जे.]

किसी राज्य के विधानमंडल में एक बोर्ड का चुनाव किया जाएगा। बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोर्ड के नवनिर्वाचित सदस्य तुरंत पद ग्रहण करें।

निवर्तमान सदस्यों के पद का कार्यकाल समाप्त होने पर

बोर्ड।

(2) का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण

किसी सहकारी समिति के लिए मतदाता सूची तैयार करना और उसके लिए सभी चुनाव कराना ऐसे प्राधिकरण या निकाय में निहित होगा, जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा प्रदान किया जाए: प्रदान किया गया

ऐसे चुनावों के संचालन के लिए प्रक्रिया और दिशा-निर्देश। 243 जेडएल। बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन का अधिवेतन और निलंबन। — (1) तत्काल लागू किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी बोर्ड को छह महीने से अधिक की अवधि के लिए प्रतिस्थापित या अधिनिर्णय के तहत नहीं रखा जाएगा:

बशर्ते कि बोर्ड को हटा दिया जाए या उसके अधीन रखा जाए

एक मामले में निलंबन -

((i)

इसके लगातार चूक का; या

((ख)

अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही; या

((iii) बोर्ड ने इसके लिए प्रतिकूल कोई कार्य किया है।

सहकारी समिति या उसके सदस्यों के हित; या

(@ (iv) संविधान या कार्यों में गतिरोध है।

बोर्ड; या

((iv) अनुच्छेद 243ZK के खंड (2) के तहत कानून द्वारा किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा प्रदान किए गए प्राधिकरण या निकाय के अनुसार चुनाव कराने में विफल रहे हैं।

राज्य अधिनियम के प्रावधानः

बशर्ते कि ऐसे किसी भी सहकारी का बोर्ड

सोसायटी का स्थान नहीं लिया जाएगा या उसे निलंबित नहीं किया जाएगा जहां

कोई सरकारी हिस्सेदारी या ऋण या वित्तीय सहायता नहीं है

या सरकार द्वारा कोई गारंटीः

बशर्ते कि एक सहकारी समिति के मामले में

बैंकिंग के व्यवसाय पर, बैंकिंग के प्रावधान

विनियमन अधिनियम, 1949 भी लागू होगाः

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि एक सहकारी समिति के मामले में, अन्य

बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली एक बहु-राज्य सहकारी समिति की तुलना में, इस खंड के प्रावधानों का प्रभाव इस तरह होगा जैसे कि

"छह महीने" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द रखा गया था।

(2) बोर्ड के अधिक्रमण के मामले में, प्रशासक

ऐसी फर्में जो सहकारी समितियों के खातों के लेखापरीक्षा के लिए पात्र होंगी। (3) प्रत्येक सहकारी समिति द्वारा नियुक्त खंड (2) में निर्दिष्ट लेखा परीक्षक या लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा लेखा परीक्षा कराई जाएगी।

सहकारी समिति का सामान्य निकाय: बशर्ते कि ऐसे लेखा परीक्षकों या लेखापरीक्षा फर्मों की नियुक्ति किसी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकरण से की जाएगी।

(4) प्रत्येक सहकारी समिति के खातों का लेखा-परीक्षण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर किया जाएगा।

जिनसे ऐसे खाते संबंधित हैं।

(5) एक शीर्ष सहकारी समिति के खातों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, जिसे राज्य अधिनियम द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, पहले रखी जाएगी।

राज्य विधान-मंडल उस रीति से, जो राज्य विधान-मंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित की जाए।

243 जेडएन। सामान्य निकाय की बैठकों का आयोजन। द.

किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, यह प्रावधान कर सकता है कि प्रत्येक सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा भारत का आई. ओ. एन. v. होगी।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर उस व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए बुलाया जाता है जैसा कि ऐसी कानून में प्रावधान किया जा सकता है।

243ZO. जानकारी प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार। — (1) किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, प्रत्येक राज्य तक पहुँच प्रदान कर सकता है।

सहकारी समिति के सदस्य को सहकारी समिति की पुस्तकों, सूचनाओं और खातों में ऐसे सदस्यों के साथ अपने व्यवसाय के नियमित लेनदेन में रखा जाता है।

(2) किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, राज्य के प्रबंधन में सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान कर सकता है।

सदस्यों द्वारा बैठकों में भाग लेने की न्यूनतम आवश्यकता प्रदान करने वाली और ऐसे कानून में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के न्यूनतम स्तर का उपयोग करने वाली सहकारी समिति।

(3) किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, अपने सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रावधान कर सकता है।

243 जेड. पी. लौटते हैं। (1) प्रत्येक सहकारी समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर, राज्य सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी जिसमें निम्नलिखित मामले शामिल हैं, अर्थात्:

(ख) लेखाओं का लेखा परीक्षित विवरण; (ग) सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित अधिशेष निपटान के लिए योजना

सहकारी समिति का;

(घ) सहकारी के उपनियमों में संशोधनों की सूची

समाज, यदि कोई हो;

(ई) इसके सामान्य निकाय के आयोजन की तारीख के बारे में घोषणा

नियत समय पर चुनाव की बैठक और संचालन; तथा

(च) पंजीयक द्वारा अनुसरण में अपेक्षित कोई अन्य जानकारी।

राज्य अधिनियम के किसी भी प्रावधान का।

243ZQ. अपराध और दंड। (1) किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, सहकारी समितियों से संबंधित अपराधों के लिए प्रावधान कर सकता है और ऐसे अपराधों के लिए दंड दे सकता है।

(2) खंड (1) के तहत किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि में निम्नलिखित अधिनियम या चूक शामिल होगी।

अपराध के रूप में, अर्थात्:

(क) एक सहकारी समिति या उसका एक अधिकारी या सदस्य

राज्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत; (ग) कोई भी नियोक्ता, जो पर्याप्त कारण के बिना, किसी सहकारी समिति को उसके द्वारा कटौती की गई राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

जिस तारीख को ऐसी कटौती की जाती है, उससे चौदह दिनों की अवधि के भीतर कर्मचारी;

(घ) कोई भी अधिकारी या संरक्षक जो जानबूझकर किसी सहकारी समिति, जिसका वह अधिकारी या संरक्षक है, से संबंधित पुस्तकों, खातों, दस्तावेजों, अभिलेखों, नकदी, प्रतिभूति और अन्य संपत्ति की अभिरक्षा किसी अधिकृत व्यक्ति को सौंपने में विफल रहता है; और

(ङ) जो कोई भी, बोर्ड के सदस्यों या पदाधिकारियों के चुनाव से पहले, उसके दौरान या बाद में, कोई भी भ्रष्ट प्रथा अपनाता है।

243 जेडआर। बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए अनुप्रयोग। इस भाग के प्रावधान बहु-राज्य सहकारी समितियों पर इस संशोधन के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि

" किसी राज्य का विधानमंडल ", राज्य अधिनियम या राज्य सरकार"

इसे क्रमशः "संसद", "केंद्रीय अधिनियम" या "केंद्र सरकार" के संदर्भ के रूप में समझा जाए।

विधानसभा, उस विधान सभा के लिए: बशर्ते कि राष्ट्रपति, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकता है कि इस भाग के प्रावधान किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या उसके हिस्से पर लागू नहीं होंगे जैसा कि वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करे।

243 जेडटी। मौजूदा कानूनों की निरंतरता। - इसके बावजूद

इस भाग में कुछ भी, भारत संघ से संबंधित किसी कानून का कोई प्रावधान।

इससे ठीक पहले किसी राज्य में लागू सक्रिय समितियाँ

संविधान का प्रारंभ (नब्बे-सातवाँ) संशोधन) अधिनियम, 2011, जो इस भाग के प्रावधानों के साथ असंगत है, संशोधित या संशोधित होने तक लागू रहेगा।

किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा या ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति तक, जो भी कम हो, निरस्त किया जाता है।

5. अनुच्छेद 243ZH परिभाषा खंड है। यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 243ZI से लेकर 243ZQ और अनुच्छेद 243ZT में निहित प्रावधान सभी सहकारी समितियों के संबंध में लागू होने के लिए हैं, जो जन्म से हैं।

राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत। यह संदेह से परे है कि राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियाँ, " सहकारी समितियाँ ", जो सातवीं की सूची II की प्रविष्टि 32 में आती हैं

अनुसूचिका, वातानुकूलित, क्रिरब्ड और सीमित की गई है, हालांकि प्रविष्टि 32 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह स्पष्ट है कि जो प्रासंगिक है, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यमों से हो, अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक द्वारा कवर किए गए प्रावधानों पर एक ठोस प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 246 (3) पर भी स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, जो राज्य विधानमंडल की अनन्य शक्तियों से संबंधित है और इसलिए, संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में निहित प्रावधानों के संबंध में एक बदलाव लाया गया है।

संविधान, जो अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक के खंड (बी) में निहित है। 6. यह पता चलने के बाद कि ये प्रावधान जीवित नहीं रह सकते हैं, सवाल उठता है कि क्या अनुच्छेद 243ZR और 243ZS का अस्तित्व बना रह सकता है। क्या है?

243 जेड. आर. वास्तव में वही प्रावधान लागू करने के लिए संसद के संकल्प को प्रकट करता है जो प्रविष्टि के दायरे में आने वाली सहकारी समितियों के लिए था। 32 सूची II, अर्थात। , राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून के तहत बनाई गई सहकारी समितियाँ। यह अलग नहीं होगा, अगर अनुच्छेद 243ZR और 243ZS में उपयोग किए गए शब्दों के बजाय, पूरे प्रावधानों को फिर से दोहराया जाता। दत्तक ग्रहण द्वारा विधान के सिद्धांत को विद्वान महान्यायवादी द्वारा सेवा में लगाया जाता है।

21] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

हस्तक्षेप करने वालों की ओर से नंबर 1, श्री मस्सूम के. शाह और सुश्री रितिका सिन्हा, अनुच्छेद 243ZR और अनुच्छेद 243ZS में उपयोग किए गए प्रावधानों और शब्दों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, गंभीरता के सिद्धांत को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है।

9. यह श्री पी. के. जानी का मामला है, जो वरिष्ठ वकील हैं।

अपीलार्थी ने एक मामले में कहा कि संशोधन से पहले एक बहुत ही विस्तृत अभ्यास किया गया था, जो यह है कि विभिन्न राज्यों के सहकारिता मंत्रियों की एक बैठक हुई थी और प्रस्ताव पारित किए गए थे [ये

प्रस्तावों को राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित किए जाने वाले प्रस्तावों के लिए गलत नहीं माना जाना चाहिए, जैसा कि अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक में विचार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 और हस्तक्षेप करने वालों के लिए विद्वान वकील की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि यह अलग हो सकता है, अगर अनुच्छेद 243ZI से 243ZQ में निहित पर्याप्त प्रावधान, जो सहकारी समितियों से संबंधित हैं, जिन्हें सूची II की प्रविष्टि 32 द्वारा अपनाया गया था, बहु-राज्य सहकारी समितियों और केंद्र शासित प्रदेश में काम करने वाली सहकारी समितियों पर लागू करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिनियमित किया गया था, और उसके बाद, ऐसे प्रावधान राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत काम करने वाली सहकारी समितियों पर भी लागू किए गए थे, लेकिन यह स्थिति नहीं है।

10. गंभीरता का सिद्धांत विचार के लिए आया

आर. एम. डी. चमरबागवाला और एक अन्य वी. भारत संघ और अन्य 1. इसमें इस न्यायालय ने इस संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए हैं। वे इस प्रकार पढ़ते हैं:

" 22. कि कानून में स्थिति होने के कारण, अब इस पर विचार करना आवश्यक है

क्या विवादित प्रावधान उनके आवेदन में अलग किए जा सकते हैं

एक जुआ चरित्र की प्रतियोगिताओं के लिए, निश्चित रूप से यह मानते हुए कि धारा 2 (डी) में "पुरस्कार प्रतियोगिता" की परिभाषा व्यापक है।

काफी है

पर्याप्त मात्रा में कौशल से जुड़ी प्रतियोगिताओं को भी शामिल करना।

इस प्रश्न के निर्धारण के लिए यह उपयोगी होगा कि अमेरिकी अदालतों द्वारा निर्धारित निर्माण के कुछ नियम,

जहाँ पृथकता का प्रश्न विषय रहा है

कई प्राधिकरणों में विचार। उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है

इस प्रकार है:

यह निर्धारित करने में कि क्या किसी क़ानून के वैध भाग हैं

1 .

इसके अमान्य भागों से अलग करने योग्य, यह इरादा है विधायिका का जो निर्धारण कारक है। यह परीक्षा

1 1 ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 628 भारत बनाम

राजेन्द्र एन. शाह और एक अन्य

[के. एम. जोसेफ, जे.]

यह मिलाया जाए कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, तो एक हिस्से की अयोग्यता के परिणामस्वरूप अधिनियम की संपूर्णता अमान्य होनी चाहिए। दूसरी ओर, यदि वे इतने अलग और अलग हैं कि बाहर निकलने के बाद क्या है अमान्य, जो बचा है वह अपने आप में एक पूर्ण कोड है

बाकी से स्वतंत्र, फिर इसे बरकरार रखा जाएगा

इसके बावजूद कि बाकी अप्रवर्तनीय हो गए हैं। वीड कूलीज़ कॉन्स्टीटचूशनल लिमिटेशन, वॉल्यूम। मैं पीपी में हूँ। 360-361 ; सांविधिक निर्माण पर क्रॉफर्ड, पीपी। 217-218 .

यहां तक कि जब वैध प्रावधान उन प्रावधानों से अलग और अलग हैं जो अमान्य हैं, अगर वे सभी एक ही योजना का हिस्सा हैं जिसका उद्देश्य समग्र रूप से संचालित होना है, तो भी एक हिस्से की अयोग्यता के परिणामस्वरूप संपूर्ण रूप से विफल हो जाएगा। वीडियो क्रॉफर्ड

सांविधिक निर्माण पर, पीपी। 218-219 .

इसी तरह, जब किसी कानून के वैध और अमान्य हिस्से स्वतंत्र होते हैं और किसी योजना का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन अमान्य हिस्से को छोड़ने के बाद जो बचा रहता है वह इतना पतला और कटा हुआ होता है कि वह विधायिका से बाहर आने के समय की तुलना में मूल रूप से अलग होता है, तो भी इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा।

रूप नहीं, बल्कि पदार्थ का पदार्थ जो भौतिक है, और जिसे एक पर पता लगाया जाना है समग्र रूप से अधिनियम की जाँच और

उसमें सुसंगत प्रावधान।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यदि अमान्य भाग के बाद क़ानून से हटा दिया जाता है

6 .

जो कुछ बचा है उसे बिना बनाए लागू नहीं किया जा सकता है उसमें परिवर्तन और संशोधन, फिर इसे शून्य के रूप में निरस्त किया जाना चाहिए, अन्यथा यह न्यायिक विधान के बराबर होगा। वीड सदरलैंड ऑन

सांविधिक निर्माण, खण्ड। 2 , पी। 194 .

7 .

के प्रश्न पर विधायी आशय निर्धारित करने में

पृथकता, विधान के इतिहास, इसके उद्देश्य, शीर्षक और इसकी प्रस्तावना को ध्यान में रखना वैध होगा। वीडिय सदरलैंड सांविधिक पर

निर्माण, खंड। 2 , पीपी। 177-178 . "

11. हम, इस मामले में, एक संशोधन के मामले से चिंतित हैं

संविधान, जिसे अनुच्छेद 368 के तहत लागू किया गया है। लेख

निम्नलिखित रूप में ईड:

" 368. संविधान और प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति इसके लिए।

(1) इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, संसद अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त के रूप में संशोधन कर सकती है -

इस संविधान के किसी भी प्रावधान को तदनुसार परिवर्तित या निरस्त करना।

इस लेख में निर्धारित प्रक्रिया के साथ।

(2) इस संविधान का संशोधन केवल इसके द्वारा शुरू किया जा सकता है -

के किसी भी सदन में इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक पेश करना संसद, और जब विधेयक प्रत्येक सदन में बहुमत से पारित किया जाता है

उस सदन की कुल सदस्यता का और नहीं के बहुमत से

मतदान करते हुए, इसे राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा जो अपना विधेयक को स्वीकृति देना और उसके बाद संविधान कायम रहेगा।

विधेयक की शर्तों के अनुसार संशोधन: बशर्ते कि यदि ऐसा संशोधन इसमें कोई परिवर्तन करना चाहता है

(अ)

अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 या

अनुच्छेद 279 क या

(ख) भाग 5 का अध्याय 4, भाग 6 का अध्याय 5 या अध्याय 1

भाग XI का, या

((ग)

सातवीं अनुसूची की किसी भी सूची में, या

((घ)

संसद या भारत संघ में राज्यों का प्रतिनिधित्व।

इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार, संशोधन भी

(ई)

ऐसे संशोधन के लिए प्रावधान करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति को सहमति के लिए प्रस्तुत करने से पहले उन विधानमंडलों द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों द्वारा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

(3) अनुच्छेद 13 में कुछ भी इसके तहत किए गए किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होगा।

यह लेख। (4) इस संविधान का कोई संशोधन नहीं (प्रावधानों सहित)

संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 55 के प्रारंभ से पहले या बाद में इस अनुच्छेद के तहत बनाया गया या बनाया गया होने का तात्पर्य है]

(5) शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इसकी घटक शक्ति पर कोई सीमा नहीं होगी। संसद जोड़, परिवर्तन या निरसन के माध्यम से संशोधन करेगी

इस अनुच्छेद के तहत इस संविधान के प्रावधान।

12. अनुच्छेद 368 में संसद द्वारा संविधान में संशोधन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। दो हैं। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर व्यापक रूप से सीमाएँ:

संसद को प्रदान की गई प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन करना चाहिए

((i)

अनुच्छेद 368 में;

की शक्ति पर भी ठोस सीमा है

((ख)

संसद संविधान में संशोधन करने के लिए, जो कि मामले के कानून से समर्थन की आवश्यकता के लिए बहुत अच्छी तरह से स्थापित है। , कि संसद इसका उल्लंघन करके संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है बुनियादी विशेषताएँ।

13. इस मामले में, अनुच्छेद 243ZI से लेकर 243ZQ और अनुच्छेद 243ZT के प्रावधान निस्संदेह प्रक्रिया के गैर-अनुपालन के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं, जो अनिवार्य है। नतीजतन, उक्त प्रावधानों को अभी भी जन्म के रूप में माना जाना चाहिए। ये प्रावधान कानून में अमान्य हैं। अनुच्छेद 243ZH की परिभाषा खंड का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ नहीं होगा और यह व्यवहार्य नहीं रहेगा। इसलिए, एकमात्र सवाल यह उठता है कि जब संविधान में संशोधन के प्रावधान अमान्य पाए जाते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक के जनादेश का पालन नहीं किया गया है, तो क्या अन्य प्रावधानों को बनाए रखने के लिए गंभीरता के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है, जिसके लिए संसद को अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक के तहत प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

21] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. यह प्रश्न समग्रता के विरुद्ध नहीं है क्योंकि इस न्यायालय की संविधान पीठ ने किहोतो होलोहन बनाम में इस पर विचार किया है। ज़किलहु

और अन्य। उक्त मामले में न्यायालय एक चुनौती से निपट रहा था

संविधान की दसवीं अनुसूची। संसद, दसवीं अनुसूची के आधार पर दलबदल की बुराई से निपटने के लिए अभिप्रेत है। विभिन्न पहलुओं के लिए प्रावधान करने के बाद, यह पैराग्राफ-7 के आधार पर सभी न्यायालयों की अधिकारिता को हटाने के लिए भी अभिप्रेत है, जो निम्नानुसार है:

" 7. न्यायालयों की अधिकारिता की सीमा: इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, किसी भी न्यायालय को किसी सदस्य की अयोग्यता से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

इस अनुसूची के तहत सदन "।

15. न्यायालय पैराग्राफ-7 को छोड़कर दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को बरकरार रखने के लिए आगे बढ़ा। ऐसा करते हुए, इस न्यायालय ने गंभीरता के सिद्धांत का आह्वान किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित चर्चा पर ध्यान देना आवश्यक है:

" 66. कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करते समय जो सिद्धांत लागू किया जाता है वह यह है कि यदि किसी क़ानून का अर्थ लगाना संभव है ताकि किसी संवैधानिक हमले के खिलाफ इसकी वैधता को बनाए रखा जा सके तो इसका इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए और जब किसी क़ानून का हिस्सा वैध हो और हिस्सा शून्य हो, तो वैध हिस्से को अमान्य हिस्से से अलग किया जाना चाहिए। यह पृथकता के सिद्धांत को लागू करके किया जाता है। इस सिद्धांत के तर्क को कूली द्वारा समझाया गया है

निम्नलिखित शब्द: [कूली: संवैधानिक सीमाएँ, (8 वां संस्करण)

खण्ड. आई पी। 359-60 .]

" कभी-कभी यह पाया जाता है कि संविधान के कुछ प्रावधानों में विधायिका के किसी अधिनियम का विरोध किया जाता है, जबकि अन्य, जो अपने दम पर खड़े हैं, आपत्तिजनक नहीं होंगे। इसलिए इसे पारित करने में देखे गए प्रपत्र इसके द्वारा पूरे किए जाने वाले कुछ उद्देश्यों के लिए पर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए अपर्याप्त हो सकते हैं। ऐसे किसी भी मामले में वह भाग जो संविधान के साथ टकराव करता है, या जिसके संबंध में आवश्यक शर्तों का पालन नहीं किया गया है, उसे शून्य माना जाना चाहिए। क्या कानून के अन्य भागों को भी संघ के कारण शून्य घोषित किया जाना चाहिए, यह कानून के उद्देश्य पर विचार करने पर निर्भर करना चाहिए, और किस तरीके से।

और असंवैधानिक भाग किस हद तक प्रभावित करता है

शेष। एक क़ानून, यह कहा गया है, न्यायिक रूप से माना जाता है

2 (1992) पूरक।

2 एस. सी. सी. 651 भारत का आई. ओ. एन. बनाम राजेन्द्र एन. शाह और एक अन्य

[के. एम. जोसेफ, जे.]

असंवैधानिक, क्योंकि यह विधायी के दायरे में नहीं है

प्राधिकरण; यह या तो कुछ निषिद्ध को पूरा करने का प्रस्ताव कर सकता है

संविधान द्वारा, या कुछ विधिसम्मत कार्य पूरा करने के लिए, और यहाँ तक कि

प्रशंसनीय उद्देश्य, संविधान के प्रतिकूल

प्रावधान, और फिर भी वही अधिनियम, जिसकी मंजूरी प्राप्त हो चुकी है विधायिका की सभी शाखाएँ, और कानून के रूप में होने के कारण,

इसमें अन्य उपयोगी और हितकारी प्रावधान हैं, जो किसी के लिए अप्रिय नहीं हैं।

केवल संवैधानिक अपवाद। यह सभी के साथ असंगत होगा

इन अधिनियमों पर निर्णय लेने के लिए संवैधानिक कानून के सिद्धांत अमान्य हैं।

क्योंकि वे एक ही अधिनियम में जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़े हुए नहीं हैं दूसरों के साथ या उन पर निर्भर जो असंवैधानिक हैं।

XXX

XXX

XXX

68. पृथकता के सिद्धांत को इसके द्वारा लागू किया गया है

पर एक संशोधन की वैधता को चुनौती देने के मामलों में न्यायालय

मूल सीमाओं की अवहेलना का आधार

संशोधन शक्ति, अर्थात् मूल संरचना में परिवर्तन। लेकिन संशोधन का केवल अपमानजनक भाग जिसका प्रभाव था -

मूल संरचना को बदलना बंद कर दिया गया था जबकि बाकी संशोधन का समर्थन किया गया। [केशवानंद भारती बनाम देखें। की स्थिति

केरल [(1973) 4 एस. सी. सी. 225: 1973 पूरक एस. सी. आर. 1], मिनर्वा मिल्स

लिमिटेड वी. भारत संघ [(1980) 3 एस. सी. सी. 625: (1981) 1 एससीआर 206]

, पी. संबमूर्ति बनाम ए. पी. राज्य [(1987) 1 एस. सी. सी. 362: (1987) 2 एटीसी 502: (1987) 1 एससीआर 879]।

69. क्या लगाई गई प्रक्रियात्मक सीमाओं में कुछ है?

अनुच्छेद 368 के उप-अनुच्छेद (2) द्वारा जो के सिद्धांत को बाहर करता है

इस तरह का उल्लंघन तब हो सकता है जब कोई समग्र विधेयक हो या क्या हो वैधानिक संदर्भ या शब्दजाल में 'रग-बैग' उपाय कहा जाता है

एक संशोधन के तहत कई कानूनों में संशोधन की मांग

उपाय जो विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है संविधान जिसमें से कुछ खंड (ए) से (ई) को आकर्षित कर सकते हैं

अनुच्छेद 368 (2) और विधेयक का परंतुक, हालांकि अपेक्षित द्वारा पारित किया गया

अनुसमर्थन के लिए राज्यों को भेजे बिना राष्ट्रपति का या इस प्रकार भेजे जाने पर कम से कम इस तरह का अनुसमर्थन प्राप्त करने में विफल रहता है।

विधेयक को सहमति के लिए प्रस्तुत करने से पहले आधे से अधिक राज्य। इस तरह

एक संशोधन अधिनियम संसद की क्षमता के भीतर है जहाँ तक [2021] 5 एस. सी. आर.

क्योंकि यह अनुच्छेद 368 (2) के परन्तुक के खंड (ए) से (ई) में उल्लिखित प्रावधानों के अलावा अन्य प्रावधानों से संबंधित है, लेकिन खंड (ए) में निर्दिष्ट प्रावधानों में किए गए संशोधनों के संबंध में - (ङ) अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक के अनुसार, अकेले संसद कुछ संवैधानिक कारणों से ऐसे संशोधन करने के लिए सक्षम नहीं है।

मान्यता प्राप्त संघीय सिद्धांत को लागू किया जा रहा है। यदि सिद्धांत पृथकता लागू की जा सकती है इसे संसद की क्षमता के भीतर संशोधनों के संबंध में वैध के रूप में बरकरार रखा जा सकता है और केवल वे संशोधन जो अकेले संसद करने के लिए सक्षम नहीं थे, उन्हें अमान्य घोषित किया जा सकता है।

70. क्या अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक में कुछ बाध्यकारी है जिसके लिए यह आवश्यक है कि इसे इस तरह के संशोधन के लिए पृथकता के सिद्धांत को बाहर करने के रूप में माना जाए? यह वैधानिक निर्माण का तय नियम है कि "एक परंतुक का उचित कार्य एक ऐसे मामले को छोड़ना और उससे निपटना है जो अन्यथा मुख्य अधिनियम की सामान्य भाषा के भीतर आता है, और इसका प्रभाव उसी तक सीमित है।

मामला "और यह कि जहां" मुख्य अधिनियम की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है, एक परंतुक का मुख्य अधिनियम की व्याख्या पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता है, ताकि जो स्पष्ट रूप से इसकी व्यक्त शर्तों के भीतर आता है उसे निहितार्थ द्वारा इससे बाहर किया जा सके "।

[देखिए: मद्रास एंड सदर्न मराठा रेलवे कंपनी लिमिटेड वी. बेजवाड़ा नगरपालिका [(1944) 71 आई. ए. 113,122: एयर 1944 पीसी 71: 48 सी. डब्ल्यू. एन. 618], सी. आई. टी. बनाम। इंडो-मर्कैंटाइल बैंक लिमिटेड [1959 पूरक 2 एस. सी. आर. 256,266: ए. आई. आर 1959 एस. सी 713: (1959) 36 आईटीआर 1]

71. ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 368 (2) का प्रावधान

संघीय सिद्धांत को प्रभावी बनाने की दृष्टि से पेश किया गया। राज्यों की विधायी और कार्यकारी शक्तियों से संबंधित खंड (ए) से (ई) में निर्दिष्ट प्रावधानों के संशोधन के मामले में

क-संघ, न्यायपालिका, राष्ट्रपति के चुनाव और स्वयं संशोधन करने की शक्ति, जिसका राज्यों पर प्रभाव पड़ता है, के लिए परंतुक अनुसमर्थन की एक अतिरिक्त आवश्यकता अधिरोपित करता है -

विधेयक के राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उन प्रावधानों में परिवर्तन करने का प्रयास करने वाला संशोधन। यह हितकर है कि परंतुक का दायरा उसमें निर्धारित सीमाओं तक ही सीमित है और इसका अर्थ यह नहीं है कि अनुच्छेद 368 (2) के मुख्य भाग में शक्ति को छीन लिया गया है। एक संशोधन जो अन्यथा अनुच्छेद 368 (2) की आवश्यकताओं को पूरा करता है और निर्दिष्ट मामलों से बाहर है जिनके लिए अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, जिसे भारत के आई. ओ. एन. v से इनकार नहीं किया जा सकता है।

राजेन्द्र एन. शाह और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

केवल उस कंपनी की जमीनी वैधता जो वह रखती है। अनुच्छेद 368 (2) का मुख्य भाग निर्देश देता है कि जब कोई विधेयक जिसे दोनों सदनों द्वारा आवश्यक विशेष बहुमत से पारित किया गया है, उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो "संविधान विधेयक की शर्तों के अनुसार संशोधित होगा"। प्रावधान इस संवैधानिक घोषणा और जनादेश में हस्तक्षेप करने का यह अर्थ नहीं हो सकता है कि ऐसे मामले में जहां परंतुक का पालन नहीं किया गया है-यहां तक कि जो संशोधन परंतुक के दायरे में नहीं आते हैं, वे भी विफल हो जाते हैं। "संशोधन को विधायिका द्वारा अनुमोदित किए जाने की भी आवश्यकता होगी" शब्दों से संकेत मिलता है कि राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता वह संशोधन है जो परंतुक के खंड (ए) से (ई) में निर्दिष्ट प्रावधानों में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अनुसमर्थन की आवश्यकता और आवश्यकता केवल उस विशेष संशोधन तक ही सीमित है, न कि परंतुक के दायरे से बाहर के संशोधनों के संबंध में। इसलिए, इस परंतुक का उन संशोधनों की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ सकता है जो लागू नहीं होते हैं।

अपने दायरे में। वास्तव में सज्जन सिंह मामले [(1965) 1 एस. सी. आर. 933 में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियां: ए. आई. आर 1965 एस. सी 845]

उपयुक्त हैं: (एस. सी. आर पी. 940)

" हमारी राय में, अनुच्छेद 368 के दो भागों पर एक

उचित निर्माण को एक दूसरे के साथ इस अर्थ में सुसंगत बनाया जाना चाहिए कि उनमें से किसी के भी दायरे और प्रभाव को अनावश्यक रूप से कम या विस्तारित नहीं होने दिया जाना चाहिए।

XXX

XXX

XXX

73. एक समान स्थिति मुख्य के संदर्भ में उत्पन्न हो सकती है

अनुच्छेद 368 (2) का हिस्सा जो प्रदान करता है: जब विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाता है, तो इसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यहां भी एक शर्त लगाई गई है कि विधेयक को प्रत्येक सदन में निर्धारित विशेष बहुमत से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के समक्ष उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 4 के लिए संदर्भित पहली और चौथी अनुसूचियों में संशोधन संसद द्वारा पारित एक साधारण कानून द्वारा पेश किया जा सकता है।

साधारण बहुमत। एक ऐसा विधेयक हो सकता है जिसमें पहली और चौथी अनुसूचियों में किए गए संशोधनों के साथ-साथ उन [2021] 5 एस. सी. आर. को छोड़कर संविधान के अन्य प्रावधानों में संशोधन हो सकते हैं।

उस परंतुक में संदर्भित जिसे केवल अनुच्छेद 368 (2) के तहत विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है और विधेयक को विशेष बहुमत के बजाय केवल सामान्य बहुमत से पारित किए जाने के बाद

राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की। उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा पहली और चौथी अनुसूचियों में किए गए संशोधन अनुच्छेद 4 को ध्यान में रखते हुए वैध रूप से किए गए थे, लेकिन अन्य प्रावधान अनुच्छेद 368 (2) की अवहेलना में थे जिसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। क्या पृथक्करण का सिद्धांत ऐसे संशोधन पर लागू नहीं होता है ताकि अन्य प्रावधानों में संशोधनों को अप्रभावी घोषित करते हुए पहली और चौथी अनुसूची में किए गए संशोधनों को बरकरार रखा जा सके? पृथकता के सिद्धांत को छोड़कर एक विपरीत दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप संशोधन शक्ति पर एक प्रक्रियात्मक सीमा को मूल सीमाओं से अधिक स्तर तक बढ़ा दिया जाएगा।

XXX

XXX

XXX

75. उस मामले में, यह पाया गया कि रिश्वत की धारा 41

संशोधन अधिनियम, 1958 ने रिश्वत न्यायाधिकरण के सदस्यों के चयन के लिए न्याय मंत्री की सलाह पर गवर्नर-जनरल द्वारा एक पैनल की नियुक्ति का प्रावधान किया, जबकि संविधान की धारा 55 ने न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, बर्खास्तगी और अनुशासनात्मक नियंत्रण को निहित किया।

आयोग। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विधायिका ने पारित करने का इरादा किया था एक कानून जो आदेश की धारा 55 के साथ टकराव में है

परिषद को, यदि वैध होना है, न्यायिक नियुक्ति के बारे में संवैधानिक प्रावधानों के निहित परिवर्तन के रूप में माना जाना चाहिए।

अधिकारी और केवल उन कानूनों द्वारा बनाए जा सकते हैं जो धारा 29 (4) में निर्धारित विशेष विधायी प्रक्रिया का पालन करते हैं। तब से

यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि रिश्वत संशोधन अधिनियम, 1951 को आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया था, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "कोई भी विधेयक जो परंतुक की पूर्ववर्ती शर्त का पालन नहीं करता है, है और बना रहता है, भले ही उसे शाही सहमति प्राप्त हो, अमान्य और अधिकार से परे"। हालांकि, पृथकता के सिद्धांत को लागू करते हुए न्यायिक समिति ने उल्लंघन को खारिज कर दिया प्रावधान, अर्थात केवल धारा 41। दूसरे शब्दों में, विधेयक को विशेष बहुमत से पारित करना सहमति के लिए विधेयक को प्रस्तुत करने की पूर्व शर्त थी। सहमति के लिए एक विधेयक

प्रस्तुत करने के लिए ऐसी शर्त पूर्ववर्ती की उपेक्षा के परिणामस्वरूप पूरे अधिनियम को दूषित नहीं किया गया और कानून को पूरी तरह से अमान्य घोषित नहीं किया गया, लेकिन आई. ओ. एन. ऑफ इंडिया v.

राजेन्द्र एन. शाह और एक अन्य

[के. एम. जोसेफ, जे.]

इसका केवल एक विशेष प्रावधान के अमान्य होने का प्रभाव था जो

धारा 29 के खंड (4) में उपयोग की गई भाषा की तुलना अनुच्छेद 368 (2) से पता चलता है कि दोनों प्रावधानों में उद्देश्य की सामान्य समानता है और दोनों प्रावधानों के लिए विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले विशेष बहुमत से पारित करने की आवश्यकता होती है।

सहमति दें। इसलिए, वही सिद्धांत लागू होगा जब तक कि

एक समग्र संशोधन की वैधता पर विचार करते हुए जो करता है

पहली और चौथी अनुसूचियों के साथ-साथ संविधान के अन्य प्रावधानों में परिवर्तन, जिनके लिए अनुच्छेद 368 (2) के तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और ऐसा कानून, भले ही सरल अनुसूचियों द्वारा पारित किया गया हो। पहली और चौथी अनुसूचियों में किए गए संशोधनों के संबंध में विशेष बहुमत के बजाय बहुमत को बरकरार रखा जा सकता है। अनुच्छेद 368 (2) में निहित सहमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष पेश करने से पहले विधेयक को विशेष बहुमत से पारित करने की शर्त और संविधान सभाओं द्वारा संशोधन के अनुसमर्थन की शर्त के बीच सिद्धांत रूप में वास्तव में कोई अंतर नहीं है।

विधेयक पेश किए जाने से पहले कम से कम आधे राज्य

परंतुक में निहित सहमति के लिए राष्ट्रपति। पृथकता का सिद्धांत एक समग्र संशोधन पर समान रूप से लागू किया जा सकता है जिसमें उन प्रावधानों में संशोधन शामिल हैं जिनके लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है और साथ ही उन प्रावधानों में संशोधन भी शामिल है जिनके लिए इस तरह के अनुसमर्थन की आवश्यकता है और पृथकता के सिद्धांत को लागू करके, संशोधन को उन संशोधनों के संबंध में बरकरार रखा जा सकता है जिनके अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है और जो केवल संसद की क्षमता के भीतर हैं। केवल प्रावधानों में इन संशोधनों की आवश्यकता है जिनके लिए परंतुक के तहत अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है

गिराया या अमान्य घोषित किया गया।

विधायी इतिहास की पृष्ठभूमि, अर्थात् 'दलबदल समिति' की रिपोर्ट के साथ-साथ दलबदल की बुराई पर अंकुश लगाने के लिए पेश किए गए पहले के विधेयकों से यह स्पष्ट होगा कि संवैधानिक संशोधन का मुख्य उद्देश्य और दसवीं अनुसूची की शुरुआत दलबदल की बुराई पर अंकुश लगाने के लिए है जो हमारे राजनीतिक शरीर में भारी शरारत पैदा कर रही थी।

1] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुख्य उद्देश्य पर अंकुश लगाने के लिए और उसे बल देने के लिए दलबदल की बुराई। यह नहीं कहा जा सकता है कि घटक निकाय

पता था कि अनुच्छेद 7 वैध नहीं था। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि दसवीं अनुसूची के शेष प्रावधान इस पर कायम नहीं रह सकते हैं।

भले ही अनुच्छेद 7 असंवैधानिक पाया जाए। द.

इसलिए, पैराग्राफ 7 के प्रावधानों को विच्छेद योग्य माना जा सकता है। बाकी प्रावधानों से "।

(जोर दिया गया)

16. आर. एम. डी. चमरबागवाला (ऊपर) में निर्धारित पहला नियम

यह है कि, यह विधानमंडल का इरादा है, जो निर्धारण कारक है। परीक्षण यह भी निर्धारित किया गया है कि पूछा जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या विधानमंडल ने वैध भाग को अधिनियमित किया होता, यदि उसे पता होता कि शेष क़ानून अमान्य था। एक अन्य नियम को पढ़ना उचित है, जो निर्धारित किया गया है, जो नियम संख्या 7 है। विधायी आशय निर्धारित करने में, अन्य बातों के साथ-साथ, विधान के इतिहास और उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखना वैध होगा। नब्बे-सातवें संशोधन के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान और भारी वृद्धि हासिल की। हालांकि, इसने कमजोरियां दिखाई हैं।

सदस्यों के हितों की रक्षा करना और उनकी पूर्ति करना।

जिन उद्देश्यों के लिए इन संस्थानों का आयोजन किया गया था। वहाँ है।

ऐसे उदाहरण हैं जहाँ चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं

और नामित पदाधिकारी या प्रशासक प्रभारी बने रहते हैं

इन संस्थानों को लंबे समय तक। इससे जवाबदेही कम हो जाती है।

कई कंपनियों में प्रबंधन में अपर्याप्त व्यावसायिकता परिचालन संस्थानों ने खराब सेवाओं और कम उत्पादकता को जन्म दिया है।

सहकारी समितियों को सुस्थापित लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चलने की आवश्यकता है

और चुनाव समय पर और स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए गए। इसलिए,

इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए बुनियादी सुधारों को शुरू करने की आवश्यकता है आर्थिक क्षेत्र में अपने योगदान को सुनिश्चित करने के लिए संस्थान

देश का विकास और सदस्यों के हितों की सेवा करना। और बड़े पैमाने पर जनता और उनकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए, लोकतांत्रिक

कार्य और पेशेवर प्रबंधन।

भारत का आयन बनाम। राजेन्द्र एन. शाह और एक अन्य

[के. एम. जोसेफ, जे.]

2. "सहकारी समितियाँ" संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 32 में सूचीबद्ध एक विषय है और राज्य विधानमंडलों ने तदनुसार सहकारी समितियों पर कानून बनाए हैं। राज्य अधिनियमों के ढांचे के भीतर, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने और विकास के फलों के समान वितरण के प्रयासों के हिस्से के रूप में बड़े पैमाने पर सहकारी समितियों के विकास की परिकल्पना की गई थी। हालांकि यह हो चुका है

अनुभव किया कि सह के काफी विस्तार के बावजूद

संचालकों, गुणात्मक रूप से उनका प्रदर्शन वांछित स्तर तक नहीं रहा है। राज्यों के सहकारी समितियों के अधिनियमों में सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कई अवसरों पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया गया है।

राज्य सहकारी मंत्रियों के सम्मेलन। संविधान में संशोधन की प्रबल आवश्यकता महसूस की गई है ताकि सहकारी समितियों को अनावश्यक बाहरी हस्तक्षेपों से मुक्त रखा जा सके और

यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी स्वायत्त संगठनात्मक स्थापना और उनकी

लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली।

3. केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, पेशेवर, स्वायत्त और आर्थिक रूप से मजबूत तरीके से काम करें। आवश्यक सुधारों को लाने के लिए, संविधान में एक नया भाग शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल करने वाले कुछ प्रावधानों का प्रावधान किया जा सके। सहकारी समितियों के काम करने के पहलू जैसे लोकतांत्रिक, स्वायत्त और व्यावसायिक कार्यप्रणाली। राज्यों द्वारा प्रयास करने के लिए संविधान के भाग IV (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत) में एक नया अनुच्छेद जोड़ने का भी प्रस्ताव है।

स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना,

लोकतांत्रिक नियंत्रण और सहकारी का व्यावसायिक प्रबंधन समाज। संविधान में प्रस्तावित नया भाग, अन्य बातों के साथ-साथ, संसद को बहु-राज्य सहकारी समितियों के संबंध में और अन्य सहकारी समितियों के मामले में राज्य विधानमंडलों को निम्नलिखित मामलों को निर्धारित करते हुए उचित कानून बनाने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करता है, अर्थात्:

(क) लोकतांत्रिक सदस्य के सिद्धांतों पर आधारित सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के प्रावधान।

नियंत्रण, सदस्य-आर्थिक भागीदारी और स्वायत्तता

कार्य;

[2021] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ख) किसी सहकारी के निदेशकों की अधिकतम संख्या निर्दिष्ट करना।

सोसायटी में बीस से अधिक सदस्य न हों।

(ग) चुनाव की तारीख से पाँच साल की एक निश्चित अवधि के लिए प्रावधान करना।

बोर्ड और उसके कार्यालय के निर्वाचित सदस्यों के संबंध में

वाहक;

अधिस्थगन या निलंबन;

(ङ) स्वतंत्र व्यावसायिक लेखापरीक्षा प्रदान करना;

(च) निगम के सदस्यों को सूचना का अधिकार प्रदान करना।

(छ) राज्य सरकारों को आवधिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना।

सहकारी समितियों की गतिविधियों और खातों का;

(ज) अनुसूचित जाति के लिए एक सीट के आरक्षण का प्रावधान

जाति या अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए दो सीटें

प्रत्येक सहकारी समिति का बोर्ड, जिसके रूप में व्यक्ति हैं

ऐसी श्रेणियों के सदस्य; (i) संबंधित अपराधों के लिए प्रावधान

सहकारी समितियों को और ऐसे अपराधों के संबंध में दंड।

4. यह उम्मीद की जाती है कि ये प्रावधान न केवल यह सुनिश्चित करेंगे कि

अन्य हितधारक और उल्लंघन के लिए निवारक का प्रावधान करेंगे

कानून के प्रावधानों से।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

(जोर दिया गया)

17. कथन के उद्देश्यों और कारणों से, निम्नलिखित है -

समझ में आता है।

18. हितों की रक्षा करने में कमियां पाई गईं

प्रबंधन। यह पाया गया कि सहकारी समितियों को कुएँ पर चलाने की आवश्यकता है स्थापित लोकतांत्रिक सिद्धांतों और चुनावों को समय पर और स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किया जाना था। यह भी उल्लेख किया गया कि "सहकारी समितियाँ" भारत संघ की राज्य सूची की प्रविष्टि 32 में सूचीबद्ध एक विषय है।

सातवीं अनुसूची। वे कानून राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए थे, ध्यान दिया। संक्षेप में, राज्यों के सहकारी समिति अधिनियमों में सुधार आवश्यक पाए गए। राज्य सरकारों के साथ कई बार विचार-विमर्श किया गया। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध थी कि देश में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, पेशेवर, स्वायत्त और आर्थिक रूप से मजबूत तरीके से काम करें। यह इस संबंध में है कि भाग IXB को बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के संबंध में संसद और अन्य सहकारी समितियों के मामले में राज्य विधानमंडलों को उचित कानून बनाने के लिए सशक्त बनाने के लिए जोड़ा गया था।

19. इसलिए, इरादा स्पष्ट था कि संसद का उद्देश्य विधायी मानदंडों का एक समान समूह प्रदान करना और देश भर में अधिकारों, देनदारियों और शक्तियों का निर्माण करना था। वास्तव में, यह सभी सहकारी समितियों को सूचित करने के लिए था कि क्या वे राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा शासित थे, जो सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 32 के तहत आते हैं, या सूची I के तहत उपयुक्त प्रविष्टि।

20. दूसरे शब्दों में, सहकारी समितियों के बीच बिना किसी भेदभाव के एकरूपता लाने की कोशिश की गई थी। राज्य विधानमंडलों और संसद का विधायी क्षेत्र। जिस व्यवस्था और तरीके से भाग IXB में अनुच्छेदों का आदेश दिया गया है, वह यह दर्शाता है कि मूल प्रावधान, जो वास्तव में विधायी शक्ति की शर्त रखते हैं, अन्य बातों के अलावा, राज्य विधानमंडलों के खिलाफ निर्देशित थे।

21. आर. एम. डी. चमरबागवाला में निर्धारित दूसरा नियम

(उपर्युक्त) यह जांच करना है कि क्या वैध और अमान्य प्रावधान इतने अटूट रूप से मिश्रित हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। यह आगे घोषित किया जाता है कि यदि प्रतीत होने वाले वैध प्रावधान इतने अलग हैं

और अलग, कि प्रावधानों के अन्य समूह को अमान्य घोषित करने के बाद, शेष प्रावधान एक पूर्ण संहिता बने रहेंगे, जो बाकी से स्वतंत्र होंगे, फिर, विशिष्ट और अलग प्रावधान, जो एक पूर्ण संहिता को प्रकट करते हैं, लागू करने योग्य हो सकते हैं।

22. तीसरा नियम प्रदान करता है कि भले ही वे (प्रावधान) हैं

अलग और अलग, यदि वे सभी एक ही योजना का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य समग्र रूप से सक्रिय होना है, तो, एक हिस्से की अयोग्यता भी समग्र रूप से विफल हो जाएगी। किहोतो होलोहन (ऊपर) में, यह न्यायालय, नियमों को ध्यान में रखने के बाद, स्पष्ट रूप से आर. एम. डी. में निर्धारित किया गया है।

चमरबागवाला (ऊपर) ने परीक्षण को स्पष्ट रूप से (पैराग्राफ-76 में) स्पष्ट करने के लिए आगे बढ़ाया है। , इस बारे में कि क्या, अलगाव के बाद, जो बच जाता है, वह स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकता है और व्यवहार्य है।

23. इस संबंध में, उद्देश्यों और कारणों के कथन से यह स्पष्ट है कि संसद को पूरी तरह से पता था कि प्रविष्टि 32 ने

(उपर्युक्त), कि अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक के पीछे के उदात्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जो संविधान की संघीय प्रकृति को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना था, जो मायने रखता था वह सार था न कि रूप। यह. यह और भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि राज्यों को आगे ले जाने का प्रयास किया गया था

बोर्ड द्वारा राज्यों के बीच कई बैठकें आयोजित करके, और इससे भी अधिक, प्रस्ताव स्पष्ट रूप से राज्य सहकारी मंत्रियों की बैठक में पारित किए गए थे। यह सब इस बात की ओर इशारा करता प्रतीत होता है कि कानून और विचाराधीन प्रासंगिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि संसद ने संशोधन नहीं किया होता, अगर उसे पता होता कि अनुच्छेद 243ZI से 243ZQ में निहित प्रावधान पारित नहीं होते। उद्देश्य स्पष्ट रूप से शासन करने के लिए समान प्रावधान रखना था।

सहकारी समितियाँ। एकरूपता और वास्तव में, सभी सहकारी समितियों के लिए समान व्यवहार, चाहे वे राज्य के कानून के तहत बनाए गए हों या संसद द्वारा, लक्षय था।

24. यह सच है कि अनुच्छेद 368 (2) के प्रावधान में क्या विचार किया गया है

25. यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को बनाए रखने का प्रयास करे। जब संविधान में संशोधन की बात आती है, संवैधानिकता का यह अनुमान, और न्यायालय का कर्तव्य भी, और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। यदि, वास्तव में, गंभीरता के सिद्धांत पर, अनुच्छेद 243QR और अनुच्छेद 243QS में निहित प्रावधानों को बनाए रखा जा सकता है, तो मैं सहमत होऊंगा कि कानून को नष्ट होने के बजाय जीवित रहना चाहिए। हालाँकि, सवाल प्रश्नगत प्रावधानों की शर्तों पर है-भारत संघ बनाम।

(अनुच्छेद 243QR और 243QS), और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, क्या वे अनुच्छेद 243ZH से अनुच्छेद 243ZQ और अनुच्छेद 243ZT के अमान्य होने के बाद अपने दम पर जीवित रह सकते हैं।

26. किहोतो होलोहन (उपर्युक्त) में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त मामले में न्यायालय ने गंभीरता के सिद्धांत को लागू करके संसद के बचाव में आया और पैराग्राफ-7 के प्रावधानों को समाप्त करने के बाद भी दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को बनाए रखने में कोई कठिनाई नहीं पाई। यह पाया गया कि उक्त प्रावधान को दुर्बल के रूप में उच्चारण करने से अन्य प्रावधानों की व्यवहार्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जो दलबदल की बुराई के खिलाफ उपचार के लिए संबंधित और प्रदान किए गए थे।

27. सवाल इसी पर खड़ा होता है। क्या अनुच्छेद 243ZR और 243ZS के प्रावधान स्वतंत्र और व्यवहार्य हैं? इसके लिए

स्पष्टता के लिए, प्रावधानों को अनुच्छेद 243ZR और 243ZS के रूप में संदर्भित किया गया है।

" 243 जेडआर। बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए अनुप्रयोग। – इस भाग के प्रावधान बहु-राज्य सहकारी समितियों पर लागू होंगे।

समाज इस संशोधन के अधीन है कि कोई भी संदर्भ

243 जेडएस। केंद्र शासित प्रदेशों में आवेदन। – इस भाग के प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होंगे और किसी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश में उनके आवेदन में, जिसकी कोई विधानसभा नहीं है, जैसे कि -
किसी राज्य के विधान-मंडल के संदर्भ अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त उसके प्रशासक के लिए और विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में उस राज्य के विधान-मंडल के लिए थे।

विधान सभा:

बशर्ते कि राष्ट्रपति, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकता है कि इस भाग के प्रावधान किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या उसके हिस्से पर लागू नहीं होंगे जैसा कि वह में निर्दिष्ट करे

अधिसूचना "। 28. ये दोनों
प्रावधान पूरी तरह से प्रावधानों पर निर्भर हैं।

अनुच्छेद 243ZI से 243ZQ में निहित है। यही कारण है कि इन दोनों प्रावधानों में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि इस भाग के प्रावधान, जिसका स्पष्ट रूप से अर्थ है पूर्वगामी प्रावधान, जो

अनुच्छेद 243ZI से 243ZQ में निहित हैं, बहु-राज्यीय सहकारी समितियों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में संशोधनों के साथ लागू होते हैं, जो उसमें इंगित किए गए हैं।

किसी चीज का अनुप्रयोग और संशोधन हो सकता है जो मौजूद है। ऐसा भी नहीं हो सकता है, जब विस्तृत प्रावधानों को जन्म नहीं माना जाए।

29. क्या ये प्रावधान स्वतंत्र और व्यवहार्य हैं? मैं इस आधार पर आगे बढ़ूंगा कि संसद का उद्देश्य इस संबंध में एकरूपता पैदा करना है। कुछ विधायी मूल्य निर्णयों के लिए जो उन मूल्यों को कठोर मानदंड में ही घोषित करके बोलने के तरीके से पत्थर में डाला जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूल्य राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत पैदा हुई सहकारी समितियों और संसद द्वारा बनाई गई समितियों पर भी लागू होते हैं।

30. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार जब न्यायालय प्रासंगिक प्रावधानों को, जो कि पर्याप्त प्रावधान हैं (अनुच्छेद 243ZI से 243ZQ), असंवैधानिकता के ब्रश के साथ चित्रित कर देता है, तो उन प्रावधानों को अभी भी जन्म देता है, यह प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 243ZR और अनुच्छेद 243ZS में निहित प्रावधानों में वे बैसाखी नहीं होती जिनके बिना ये प्रावधान व्यवहार्य नहीं हैं और इन्हें बनाए रखना असंभव है। असंवैधानिक भाग, जो अनुच्छेद 243ZR और अनुच्छेद 243ZS का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

31. इस मामले के इस दृष्टिकोण में, मैं सम्मानपूर्वक अपने विद्वान और सम्मानित भाई द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से असहमत हूं गंभीरता के सिद्धांत का अनुप्रयोग।

32. मामले के इस दृष्टिकोण में, अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपी

लों का निपटारा किया गया।